2

Date : 13.10.2022

..ne Hon'ble Justice of National Green Tribunal
..rincipal Bench, New Delhi.

Sub.: **Additional Documents OA No. 407/2022 in the matter of Narayandas Tulsani Vs State of Rajasthan.**
Ref. **Hon'ble NGT order dated 11.07.2022**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण **OA No. 407/2022** से सम्बन्धित **Additional Documents** आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की **Non-compliance** के संदर्भ में पत्र क्र. 3989 दि. 25.08.2021 के तहत नमित मेहता तत्कालीन जिला कलेक्टर बीकानेर को ईमेल/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 1

2. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Non-compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 3990 दि. 25.08.2021 के तहत वीनू गुप्ता, तत्कालीन **Chairman RSPCB** जयपुर को ईमेल/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 2

3. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Non-compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 3992 दि. 25.08.2021 के तहत **Member Secretary** SEIAA जयपुर को ईमेल/ स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 3

4. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Non-compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 3995 दि. 25.08.2021 के तहत श्रेया गुहा तत्कालीन **Principal Secretary** पर्यावरण विभाग जयपुर को ईमेल/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 4

5. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Non-compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 4010 दि. 25.08.2021 के तहत **G.M. (Civil)** रीको लि. जयपुर को ईमेल/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 5

6. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 5328 दि. 06.02.2022 के तहत पी.के. गुप्ता तत्कालीन **Sr. R.M.** रीको लि. बीकानेर को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 6

7. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 6461 दि. 24.06.2022 के तहत अजय गुप्ता नोडल अधिकारी, **A.G.M. (Civil)** EM Cell रीको लि. जयपुर को ई–मैल/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 7

8. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 7005 दि. 22.08.2022 के तहत **Chairman RIICO** Ltd. जयपुर को ई–मैल/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 8

9. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 7476 दि. 02.10.2022 के तहत **Member Secretary RSPCB** जयपुर को ई–मैल/ स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया। जिसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्रेषित की गईः– (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 9
   - (A) श्रीमती उषा शर्मा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
   - (B) श्रीमान् शिखर अग्रवाल, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
   - (C) श्रीमान् महेश दत्त पुरोहित, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर।
   - (D) श्रीमान् प्रवीण कुमार जैन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भोपाल।
   - (E) श्रीमान् मोहित जैन, केन्द्रीय भू–जल प्राधिकारण जयपुर।
   - (F) श्रीमान् जिला कलेक्टर, बीकानेर।
   - (G) श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर ।

10. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-Compliance के संदर्भ में दि. 22.05.2022 से 30.07.2022 तक रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र **RSPCB Jaipur/Bikaner** को ईमेल/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किये गये हैं। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 10

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

नारायणदास
13.10.22

11. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. सं. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-Compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 7132 दि. 02.09.2022 के तहत श्रीमती उषा शर्मा, **मुख्य सचिव**, राज. सरकार जयपुर को स्पीड पोस्ट प्रेषित किया गया। (पत्र की छाया प्रति सलंग्न है) Anx- 11

12. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-Compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 7131 दि. 02.09.2022 के तहत श्रीमान् **निदेशक** महोदय, **CPCB**, **भोपाल** को स्पीड पोस्ट प्रेषित किया गया। (पत्र की छाया प्रति सलंग्न है) Anx- 12

13. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-Compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 7487 दि. 03.10.2022 के तहत Sh. Tanmay Kumar, **Chairman**, **CPCB** New Delhi को ई–मेल/स्पीड पोस्ट प्रेषित किया गया। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 13

14. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-Compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 7488 दि. 03.10.2022 के तहत Dr. Prahsant Gargava, **Member Secretary, CPCB** New Delhi को ई–मेल/स्पीड पोस्ट प्रेषित किया गया। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 14

15. यह कि प्रार्थी द्वारा EC No. 978 दि. 11.04.2017 की Violation/Non-Compliance के संदर्भ में पत्र क्र. 7503 दि. 09.10.2022 के तहत **Chairman**, **RSPCB** जयपुर को ई–मेल/ स्पीड पोस्ट प्रेषित किया गया। जिसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्रेषित की गईः– (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx- 15
    - (A) श्रीमान् मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
    - (B) श्रीमान् प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
    - (C) श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर।
    - (D) श्रीमान् अतिरिक्त सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
    - (E) श्रीमान् सदस्य सचिव, SEIAA जयपुर।
    - (F) श्रीमान् सदस्यव सचिव SEAC, जयपुर।
    - (G) श्रीमान् जिला कलेक्टर, बीकानेर।
    - (H) श्रीमान् महेश दत्त पुरोहित, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर।
    - (I) श्रीमान् प्रवीण कुमार जैन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भोपाल।
    - (J) श्रीमान् मोहित जैन केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण, जयपुर।
    - (K) श्रीमान् नीरज शर्मा, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर हाल सीकर
    - (L) श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर

16. यह कि EC की Violation/Noncompliance के संदर्भ में प्रकाशित समाचार पत्र नफा–नुकसान जयपुर, दैनिक भास्कर, बीकानेर, दैनिक युगपक्ष बीकानेर समाचार पत्र की प्रति । Anx- 16

17. यह कि प्रार्थी द्वारा बिन्दु सं. 1 से 16 में अंकित अधिकारियों को EC No. 978 दिनांक 11.04.2017 **Violation/Non-Compliance** के संदर्भ में पत्र प्रेषित किये गये लेकिन किसी भी अधिकारी/विभाग ने पत्र का जवाब/सूचना दिनांक 13.10.2022 तक प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जो कि प्राकृतिक न्याय का हनन है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. 1 से 17 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच/सत्यापन कर EC की Violation/Non-compliance से सम्बन्धित **रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध** नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

सधन्यवाद।

प्रार्थी,

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, सहयोग पार्क के पास, बीकानेर।
Mob. No.: 9928912610, email:narayandastulsani@gmail.com

Copy to:
1. Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. Principal Secretary, Environment Dept. Jaipur.
3. Member Secretary, SEIAA, Jaipur
4. Chairman, RSPCB, Jaipur.
5. Member Secretary, RSPCB, Jaipur.
6. Regional Director, MoEF & C.C., Jaipur.

प्रार्थी,
Sd/-

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, सहयोग पार्क के पास, बीकानेर।

INDEX

S. No.	Description	Annexure No.	Page No.
1.	Copy of Letter No. 3989 Dt. 25.08.2021 given by Complainant to Distt. Collector, Bikaner	1	1 - 9
2.	Copy of Letter No. 3990 Dt. 25.08.2021 given by complainant to Chairman, RSPCB, Jaipur	2	10 - 18
3.	Copy of Letter No. 3992 Dt. 25.08.2021 given by Complainant to Member Secretary, SEIAA, Jaipur	3	19 - 27
4.	Copy of Letter No. 3995 Dt. 25.08.2021 given by Complainant to Principal Secretary, Environment Dept., Jaipur	4	28 - 36
5.	Copy of Letter No. 4010 Dt. 25.08.2021 given by Complainant to G.M. (Civil) RIICO Ltd., Jaipur.	5	37 - 46
6.	Copy of Letter No. 5328 Dt. 06.02.2022 given by Complainant to Sr. R.M. RIICO, Bikaner	6	47 - 50
7.	Copy of Letter No. 6461 Dt. 24.06.2022 given by Complainant to AGM (Civil) EM Cell RIICO Ltd., Jaipur	7	51 - 53
8.	Copy of Letter No. 7005 Dt. 22.08.2022 given by Complainant to Chairman, RIICO Ltd. Jaipur	8	54 - 56
9.	Copy of Letter No. 7476 Dt. 02.10.2022 given by Complainant to Member Secretary, RSPCB, Jaipur.	9	57 - 61
10.	Copies of the letter dated 22.05.2022 to 30.07.2022 given by Complainant to RSPCB, Jaipur/Bikaner	10	62 - 67
11.	Copy of Letter No. 7132 Dt. 02.09.2022 given by Complainant to Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.	11	68
12.	Copy of Letter No. 7131 Dt. 02.09.2022 given by Complainant to Director, CPCB, Bhopal	12	69
13.	Copy of Letter No. 7487 Dt. 03.10.2022 given by Complainant to Chairman, CPCB, New Delhi.	13	70 - 71
14.	Copy of Letter No. 7488 Dt. 03.10.2022 given by Complainant to Member Secretary, CPCB, New Delhi.	14	72 - 73
15.	Copy of Letter No. 7503 Dt. 09.10.2022 given by Complainant to Chairman RSPCB, Jaipur	15	74 - 77
16.	Copies of some reupdated News papers in which Violation /Non Compliance News was printed recently After NGT Order.	16	78 - 81

Date: 13.10.2022

Narayan Das Tulsani
S/o Lt. Kishan Chand Tulsani
A-13, Karni Nagar, Pawanpuri,
Near Sahyog Park, Bikaner

OFFICE-COPY ANX-1

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

(1)

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

क्रमांक : 3989 **अतिआवश्यक प्रतिवेदन** दिनांक : 25.08.2021

सेवा में,

श्री नमित मेहता जी
जिला कलेक्टर
कोर्ट परिसर
बीकानेर

2 रु. कोर्ट फी Rs 2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विषयः **पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की खुली अवहेलना के संदर्भ मे।**
प्रसंगः **आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही करने के संदर्भ मे ।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा कम्पनी को पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 07.09.2012 रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(W) के तहत Preferential Allotment भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 **करणी औद्योगिक क्षेत्र** विस्तार (Project) बीकानेर में खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने/**3962=00 लाख** रुपये का निवेश करने हेतु आवंटित किये गये थे। उक्त करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दि० 11.04.17 की खुली अवहेलना से सम्बन्धित मुख्य तथ्य, साक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैः–

1. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से **Environment Clerance** प्राप्त किये बिना कम्पनी को भूखण्ड 07.09.2012 को आवंटित कर दिये। जो कि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र क्रमाक J-11013/41/2006/IA.II(I) दिनांक 19.08.10 की अवहेलना है।

2. यह है कि **पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना** रीको बीकानेर ने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में अप्रैल 2012 में आवंटित भूखण्डों पर बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लि. कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने हेतु **फरवरी 2014** में बिल्डिंग निर्माण/बिजली/पानी/ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु **अनुमति जारी की गई है।**

3. यह है कि रीको बीकानेर करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 (20 माह पश्चात) को पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया गया।

4. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर को स्थापित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल जयपुर से Consent to Establish दिनांक 17.01.2012 को प्राप्त की गई थी **जो कि 30.11.2014 तक वैद्य थी Consent to Establish प्राप्त किये बिना रीको द्वारा सिविल कार्य 2021 तक करवाये जा रहे है।**

5. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में दिनांक 27.04.2016 को प्रातः 11.00 बजे बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र रीको कार्यालय में एक जन सुनवाई की बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

6. यह कि पर्यावरण स्वीकृति के संबध मे आयोजित **जनसुनवाई दिंनाक 27.04.2016 से पूर्व** करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर मे एक खाद्य पदार्थ इकाई ने अपना उत्पादन आरंभ कर दिया गया था जो कि एक **जांच का विषय है।**

7. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा **जन सुनवाई की सूचना** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन/ करणी इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/बीछवाल औद्योगिक संघ तथा पूर्व में आवंटित भूखण्ड के मालिक (नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.) को **प्रेषित नहीं की गई,** जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त **जनसुनवाई पूर्व नियोजित योजना के तहत संचालित की गयी थी।** जो कि भारत सरकार द्वारा गजट मे प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 की पूर्णता अवहेलना है।

यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. (एस.सी. गर्ग) ने दिनांक 27.04.2016 को जनसुनवाई के दौरान **आम जनता** के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले कई वर्षो से **प्रदूषित उच्छिष्ट जल** (गंदगी एवं गंदे पानी) 1,48,000 वर्गमीटर के दायरे में जमा है।

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED 14/10/22

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

25.8.21

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(2)

(जिसके संबध मे फोटो एंव रिपोर्ट संलग्न है) उक्त प्रदूषित उच्छिष्ठ जल के समाधान हेतु **CETP** स्थापित करने के लिये 2600=00 लाख एवं एसटीपी स्थापित करने के लिये 175=00 लाख का बजट के परियोजना मे प्रावधान की घोषणा की गई थी।

9. यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, (एस.सी. गर्ग) रीको लि. बीकानेर ने दिनांक **27.04.2016** को जनसुनवाई के दोरान आम जनता के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर में स्थापित होने वाले **खाद्य पदार्थ** इकाईयों/अन्य इकाईयों के संदर्भ में **Zero Liquid Discharge की घोषणा नहीं की गई थी ?**

10. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एस.सी. गर्ग पुत्र श्री बी.एम. गर्ग आयु 48 वर्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 27.09.2016 को एक लीगल अण्डरटेकिंग पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर में प्रस्तुत की गई थी।

11. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. **978** दिनांक **11.04.2017** के बिन्दु सं. पार्ट A (1) (5) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि –

Part A : SPECIFIC CONDITION
1. CONSTRUCTION PAHSE

5. The P.P. (**RIICO**) shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment Management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE as envisaged, the P.P. shall invest at least an amount of Rs. **4277.29** lacs (**before the project is put into use**) for implementing various environmental protection measures.

A5 Environment Plant along with Budgetary breakup.

1. **Setting up CETP** invest in 2600 lacs
2. **Setting up of STP** for treating domestic waste water up to reused level of residential area, commercial area and institutional area (upto 1 M1D capacity) invest in 300.00 lacs
3. Development of land fill site waste disposal invest in 300.00 lacs
4. Laying of internal effluent conveyance system invest 800.00 lacs
5. EIA Study and allied work under head of provision of EIA Study invest 25.00 Lacs
6. Arboriculture invest 371.37
7. Construction of piezometric wells invest As per need
8. Rainwater harvesting invest 5.92

Total Invest 4277.29 lacs.

12. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में Proposed Enviornment Plan में **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **16.08.2021** तक रीको बीकानेर द्वारा नहीं किया गया है?

13. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि PP shall (RIICO) invest at least an amount of Rs. 4277.29 lacs (**before the project is put into use**) ? for implementing various environmental protection measures.

14. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति में अंकित शर्तों की अनुपालना किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को रीको बीकानेर द्वारा आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

15. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर से **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

प्रार्थी 25.8.21

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD (3)

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

16. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गलत/भ्रमित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है कि **Consent to Operate** रीको पर लागू नहीं है। जिसके संदर्भ में रीको सलाहकार (इन्फ्रा) द्वारा जारी सर्कुलर नं. IPI/P-5/2013/46/880 दिनांक 02.05.2016 में अंकित है कि –

The corporation has to receive Consent to Establish/Consent to Operate as per relevant Water and Air Act for **new industrial areas** from RSPCB. These consents are issued by the RSPCB with certain condition stipulated therein. Some of these conditions are related to allotment of land/individual industrial unit whereas some other conditions are related to development of the industrial areas. In order to ensure compliance of conditions stipulated in Consent to Establish/Consent to Operate for industrial areas issued by RSPCB, all unt heads are directed as under

S/d
(Lalit Kumar)
Advior (Infra)

17. उपरोक्त सर्कुरल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा प्रोजेक्ट को **आरम्भ** करना पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की खुली अवहेलना है।

18. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **138 मीटर** की दूरी पर **1,02,610 वर्गमीटर** के दायरे में **उच्छिष्ठ जल (गंदा पानी एवं गंदगी)** पिछले नो वर्षो से जमा है। जिसके संदर्भ में कम्पनी रीको / प्रदूषण विभाग को पिछले **20 माह से** सूचित कर रही है। जिसके संदर्भ में रीको बीकानेर ने पत्र क्रमांक **607** दिनांक **10.08.2020** के तहत सूचित किया कि– करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले नो वर्षो से **जमा उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार** हेतु रीको द्वारा कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है।

19. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरण विभाग को प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक **21.05.2014** में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि–

The Responsibility of RIICO will be site development, infrastructure Development and allotment of Plots for Industrial Units,

- Major and Arterial Roads
- **Strom Water Drainage System**
- Power Station (GSS) and Electric Supply Line
- Green Area
- **Common Effluent Treatment Plant**
- **Common Solid and Hazardous Waste Management Area (Land Fill)**

20. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 में उपरोक्त अंकित तथ्यों के अवलोकन के अनुसार करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में **CETP स्थापित करने की जिम्मेदारी रीको की होती है?**

21. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचित किया गया कि उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार हेतु करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन बीकानेर को 1/– रुपये की टोकन राशि पर भूखण्ड सं. एस.पी. 501 (**24282 वर्गमीटर**) भूमि का आवंटन दिनांक **26.07.2018** को किया गया है।

22. यह है कि उपरोक्त **फाउण्डेशन** द्वारा आवंटित भूखण्ड पर **CETP** स्थापित करने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य **25.08.2021 (3 वर्ष) तक** चालू नहीं किया गया है तथा (रीको) के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका सं. **3205/2020** दायर कर रखी है। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए रीको बीकानेर को दिनांक **06.03.2020** को नोटिस जारी कर रखा है। जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर मे विचाराधीन है।

23. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पिछले **20 माह** से कम्पनी/जिला कलक्टर/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर/जयपुर को अपने पत्रों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Projet) बीकानेर में **CETP** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो **फाउण्डेशन** द्वारा स्थापित किया जायेगा।

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

25.8.21

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(4)

24. यह है कि **करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन** द्वारा पत्र दिनांक **02.09.2020, 24.09.2020** के तहत रीको बीकानेर को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि **CETP स्थापित** करने हेतु 3400=00 लाख राशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें?

25. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति 978 दिनांक **11.04.2017** में प्रस्तावित CETP स्थापित करने हेतु **2600=00 लाख** राशि का प्रावधान रीको बीकानेर द्वारा रखा गया था । उपरोक्त आरक्षित राशि फाउण्डेशन को दिनांक **07.08.2021** तक उपलब्ध नही करवाई गयी है, जिसकी पृष्टी करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्उडेशन ने अपने पत्र दिनांक 07.08.2021 के तहत की है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

26. यह है कि करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्उडेशन ने अपने पत्र दिनांक 07.08.2021 मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि **राशि के अभाव मे CETP स्थापित करना संभव नही है।**

27. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **138** वर्गमीटर की दूरी पर **1,02,610** वर्गमीटर के दायरे में जमा उच्छिष्ठ जल (गंदगी एवं गंदा पानी) पिछले **नो वर्षो/बीस वर्ष से** जमा है **जिसकी पुष्टि स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर** ने पत्र क्रमांक एफ01/विशेष अधिकारी/स्वाकेराकृवि/2020/178 दिनांक 10.11.2020 के तहत की है पत्र की विवेचना करना आवश्यक होगा–

> **कुलपति प्रो. सिंह ने बताया कि पिछले लगभग बीस वर्षों से दोंनों औद्योगिक क्षेत्रों की इकाईयों का अपशिष्ट पानी विश्वविद्यालय परिसर में जमा हो रहा है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है, वहीं आसपास के क्षेत्र में भयंकर दुर्गध आती है।**

28. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **उच्छिष्ठ जल** (गंदगी व गंदा पानी) जमा होने के कारण कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में **केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र** जारी नहीं हो सकता है? जिसके संदर्भ में खाद्य कारोबार का अनुज्ञापत्र व पंजीयन विनियम 2011 के **शिड्यूल–4** का अवलोकन किया जा सकता है।

29. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग से प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की (रीको) द्वारा **खुली अवहेलना** की जा रही है। जिसके संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा (रीको) **Show Cause नोटिस** क्रमांक F-14 Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg/736-738 दिनांक **02.09.2020** को जारी किया गया है?

NOTARY Mohan ... BIKANER R.No. 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

General Manager
RIICO Ltd.
Karni Industrial Area,
Bikaner.

Date : 02.09.2020

Sub.: Show Cause notice for intended prosecution under section 43/44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 in rexpect of Karni Industrial Area, Bikaner

Ref.: 1. Environment clearance issues by SEIAA, Rajasthan vide letter dated 11.04.2017.
2. Consent to establish issued vide this office letter dated 17.01.2012.

1. Whereas, the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as the "Water Act") came into force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974.
2. And whereas, the Water Act has been enacted to provide for the prevention and control of water pollution and for mainintaing and restoring then wholesomensess of water.
3. And whereas, keeping this in view, the Rajasthan State Pollution Control Board thereinafter called as the "Board") has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention and control of water pollution and for maitaining and restoring the wholesomeness of water.
4. And whereas, an industrial area namely, Karni Industrial Area has been established at Bikaner by RIICO Ltd. (hereinafter called as the "Project Proponent").
5. And whereas during operation of industries in the Karni Industrial Area effluent is generated and discharged into the environment.
6. And whereas section 24 of the Water Act provides that no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determined in accordance with such standards as may be laid down by the Board, to enter into any stream or well or sewer or on land.
7. And whereas, section 25/26 of the Water Act provides that no person shall without the previous consent of the Board establish or take any steps to establish, any industry, operation or process of any treatment and disposal system or any extension or addition

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
नागरमलदास
25.8.21
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(5)

thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or begin to make any new discharge of sewage or trade effluent.

8. And whereas consent to establish under the Wate Act was granted vide this office letter dated **17.01.2012** subject to the conditions inter-alia that environmental clearance shall be obtained from SEIAA for installation of CETP. The consent to establish was **valied upto 30.11.2014**.

9. And whereas, the Environment Clearance has been granted to the Project Proponent vide letter dated 11.04.2017 subject to the conditions inter-alia that all the industries shall be zero discharge units and should have their own self sufficient effluent treatment plants and the treated effluent should be reused in their own premises.

10. And whereas, the karni Industrial Area was inspected on 26.06.2020 by officials of the Board and during inspection it was observed that-
    i. That common effleucnt treatment plant (CETP) has not been established for treatment of effluent generated from the Karni Industrial Area and the effluent generated/ discharged by the industries located in the karni Industrial area is discharged on open land without any treatment.
    ii. That sewage treatment plant has not been installed for the treatment of sewage generated from the industrial area.
    iii. **That the Project Proponent has failed to comply with the conditions no Aa1, Aa7, Aa11, Aa39, Ab1, Ab2, Ab5, Ab7, Ab9, Ab12, Ab14, Ab16, Ab22 and B2 imposed in the Environment Clearance granted by SEIAA vide letter F14(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt./ Project/Cat(C)978/15-16 dated 11.04.2017.**

11. And whereas, the Project Proponent has not applied for renewal of consent to establish or cosent to operate under the Water Act.

12. And whereas above observation show that the Project Proponent has failed to comply with conditions of environmental clearance and consent to establish and also has been violating the provisions of the Water Act.

13. And whereas, the industry has failed to comply the provisions of the Water Act which have been viewed seriously by the Board.

14. And whereas, contravention of the provisions of section 24 and section 25/26 of the Water Act is a criminal offence, punishable under section 43 & 44 of the Water Act.

Therefore, the Board, in view of above stated non-compliances and violation of the provisions of the Water Act, intends to initiate prosecution under section 43/44 of the Water Act against the Project Proponent and officers responsible for its affairs.

In case you have any submissions/reply against the aforesaid legal action, you may submit your reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 30.09.2020 failing which the Board shall initiate <u>**legal prosecution**</u> under the provisions of the Water Act without any further notice.

This bears approvals of the competent authority.

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 117 8/8/2 GOVT. OF INDIA

S/d
(Niraj Mathur)
GIC (Liquied Waste)

F.14/Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg 736-738 Date : 02.09.2020

Copy of the following for information and necessary action:-

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner for information. Please ensure delivery of this notice to the Project Propoent. The discharge of effluent by individual industries outside the premises is violation of EC conditons; please fowarded cases of such non-compliant industries to the concerned Group for necessary action.
2. Master file.

S/d
GIC (Liquid Waste)

30. यह है कि <u>पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय</u> (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज <u>लखनऊ</u> द्वारा File No. : II/ENV/Com-R/1990-Part-II/1007 दिनांक <u>22.09.2020</u> के तहत (रीको लि. बीकानेर) पत्र जारी किया गया है जो निम्नानुसार है:–

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय,
आर आई आई सी ओ लिमिटेड,
औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल,
बीकानेर, राजस्थान– 334006

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NB™ SINCE : 1977

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(6)

विषय : **पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना** के जांच के सम्बन्ध में।

संदर्भ : प्रार्थना पत्र संख्या शून्य पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति संख्या F1(4)/SEIAA/ SEAC RAJ/Sectt./Project/ Cat.7(c) (978)/15-16 दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के आधार पर आप से निम्नलिखित सूचनाएं अपेक्षित की जा सकती है।

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजस्थान द्वारा दी गई **CTE** की छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. **Common Effluent Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
3. **Sewage Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
4. औद्योगिक क्षेत्र करणी में जल की निकासी हेतु क्या प्रावधान/व्यवस्था की गयी है। इससे सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध करायें।
5. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई **CTO** की छाया प्रति उपलब्ध करायें।
6. **EIA Notification 2006** के अनुसार छमाही अनुपालना आख्या की स्थिति के बारे में अवगत करायें।
7. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के संदर्भ में **सम्पूर्ण निवेश** की जानकारी उपलब्ध करायें।
8. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) बीकानेर के सामने पिछले **7 वर्षों से जमा प्रदूषित जल** को निवारण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायें।

उपरोक्त शिकायत से सम्बन्धित दस्तावेज/आख्या इस कार्यालय के पत्र प्राप्त होने के पांच दिन के अन्दर उपलब्ध करायें।

भवदीया,
S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –(डी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :–

1. श्री देव किशन गावलानी पुत्र स्व. दयाराम गावलानी, 2–बी–18, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, पवनपुरी, बीकानेर।
2. निदेशक (मॉनीटरिंग सेल), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आई.ए. डिवीजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली– 110003
3. सदस्य सचिव, SEIAA, राजस्थान 4–इन्स्टीट्यूशनल एरिया, झलाना डूंगरी, जयपुर–302004, राजस्थान।

S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –(डी)

31. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा F.14/Tech/Bikaner(45)/ RPCB/B&C/ 1339-1341 Date **05.10.2020** के तहत आपको (रीको लि.) को Show Cause Notice जारी किया है जो निम्नानुसार है:–

To,

M/s RIICO Ltd.
Industrial Area Karni Extension, Bichhwal,
Village- Chak Garbi & 7 BKM,
Tehsil & District- Bikaner, Rajasthan.

Sub.: **Show cause notice** for intended legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act. 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 for your industrial area development plan, **"Karni Extension"** at Bichhwal, Bikaner.

Ref.: a) Compliance received from Mr. Devkishan Gawlani vide letters dated 09.01.2020, 25.01.2020, 20.03.2020, 07.07.2020, 20.07.2020 and 24.07.2020 for not obtaining consent from RSPCB for said project and for non-compliances of Environmental Clearance dated **11.04.2017**.

b) **Inspection of until dated 20.06.2020**

NOTARY Mohan Modi BIKANER R. No. 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
25.8.21
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NB™ SINCE : 1977

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(7)

Sir,

This is without prejudice to the right of the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as 'the Board') to initiate proceeding under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as 'the **Water Act**') and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter called as 'the **Air Act**') for violation of various provisions of the Act here-in-after shown:-

1. Whereas the Water Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974 and the Air Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 16.05.1981.
2. And whereas, the said Water and Air Act are enacted to provide for the prevention & control of Water and Air pollution and for the maintaining and restoring the wholesomeness of Water and Air.
3. And whereas, keeping this in view the Board has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention, control & abatement of water and air pollution.
4. And whereas, section 21 of the Air Act and section 25/26 of the Water Act prohibit establishing or operating an industrial plant and discharge of air and water pollutants without obtaining prior consent of the State Board.
5. And whereas, the unit is engaged in extension of industrial area development project (Karni Industrial Area) at Bichhwal, Bikaner, that is covered under orange category project for consent mechanism of State Board in compliance of Water Act and Air Act.
6. And whereas, the unit is operating without valid consent from State Board as earlier Consent to establish dated **30.01.12 has been expired** on **30.11.14** and unit has not applied again for consent to establish as well as for **Consent to operate as per MIS record.**
7. And whereas, the said project was inspected by Board Officials of Regional Office Bikaner on **26.06.2020** and during inspection it has been confirmed that unit has **started construction work without prior consent under Air Act and Water Act from State Board.**
8. And whereas, various complains has been received against the unit and same has been verified by Board Officials of Regional Office Bikaner in their inspection report dated **17.07.2020** along with non-compliances of Environmental Clearance dated 11.04.12017.
9. And whereas, from the available record of the unit and after examining the inspection report following non compliance has been observed-
   a. That the unit has not applied for consent to establish as earlier CTE issued from State Board vide letter dated **30.01.12** has been **expired on 30.11.14**.
   b. That the unit has started construction work **without** obtaining prior consent to operate from State Board.
   c. That the unit has not installed **CETP** for treatment for industrial effluent as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017 to ensure ZLD condition
   d. That the unit has **not installed** STP as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017.
   e. That the unit has **not maintained** proper drainage system to avoid water logging during rainy season.
   f. That the untreated effluent from woollen scouring and food processing units was found spilled and creating nuisance in nearby area.
   g. That the unit has **not complied** all conditions of Environmental clearance dated 11.04.2017 and also not submitted six monthly compliance reports of the same.
10. And whereas, it is clear from the above observed non-compliances that the industry has failed to comply the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act. 1974 and air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 which have been viewed seriously by the Board.

Therefore, the Board, in order to prevent further non-compliance of the provisions of the Air Act and the Water Act, directs you to stop the construction work at site with immediate effect and intends to initiate legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

In case you have any objection against the aforesaid legal action, you may submit you reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 28.10.2020 failing which the Board shall initiate legal prosecution against the

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan ... BIKANER R.No 177 ...8/2025

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ज्ञापनीय 25.8.24

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

unit and its occupiers under the provisions of the Air Act and the Water Act without any further notice.

This bears approval of competent authority.

Yours sincerely,
S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

Copy to following for information and necessary action,

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner with request to verify the reply submitted by the unit, if any. Also ensure delivery of this notice to the industry.
2. Master file of Show cause notice.

S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

32. यह है कि रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के संदर्भ में रीको के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका सं. **10600/2020** दायर की गई है। न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको, बीकानेर/प्रबन्धक निदेशक जयपुर को **नोटिस** जारी किया गया है। उपरोक्त जनहित याचिका मान0 न्यायालय मे विचाराधीन है।

33. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारो रीको बीकानेर को दिनांक **02.09.2020, 22.09.2020, 05.10.2020** **Show Cause नोटिस** जारी किये गये हैं।

34: यह कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी नोटिस दिंनाक 02.09.2020 के संदर्भ मे रीको लि0 बीकानेर द्वारा प्रेषित जवाब दिंनाक 30.09.2020 मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो का सत्यापन/जांच प्रदूषण मण्डल द्वारा नही करवायी गयी है

35: यह कि पर्यावरण स्वीकृति मे अकिंत शर्तो/नियमो की खुली अवहेलना के संदर्भ मे **श्रीमति वीनू गुप्ता** अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा अर्धशष्कीय पत्र संख्या **DO No. F-14 (Tech-Bikaner) CETP-51/RPCB/LW/386 Date 13.07.2021** श्री आशुतोष पेडनेकर प्रबंधक निदेशक रीको लि0 जयपुर को जारी किया गया है।

36. यह है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर/पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा जारी **नोटिसों/अर्धशष्कीय पत्र** का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 की **खुली अवहेलना की जा रही है।**

37. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 की **खुली अवहेलना के कारण** भविष्य में **National Green Tribunal भोपाल/नई दिल्ली** द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की **कार्यवाही** की जा सकती है? जिससे कम्पनी को भारी **आर्थिक/मानसिक** नुकसान हो सकता है?

38 महोदय जी बिन्दु सं. **1 से 37** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों का अवलोकन कर रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की पिछले 52 माह से की जा रही खुली अवहेलना के सम्बन्ध में **आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही** करने की कृपा करें,

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु संख्या **1 से 38** मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो का अवलोकन कर **प्राकृतिक न्याय** के सिद्वांतो को ध्यान मे रखते हुये आवश्यक जांच/सत्यापन/कार्यवाही करने की कृपा करे जो कि न्याय के हित मे होगा। जिससे कम्पनी **बिना किसी डर/भय** के आवंटित भूखण्डों पर खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित कर **3962.00 लाख** का निवेश करते हुए **250 व्यक्तियों** को रोजगार प्रदान कर सके। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देवें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

धन्यवाद।

प्रार्थी, नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

भारतीय डाक
India Post
SP PC BIKANER RMS COUNTER
Counter No:2,26/08/2021,17:50
To:NAMIT MEHTA,D C
PIN:334001, PC Bikaner RMS Counter
From:M/S NAGAD NARAYAN,B I A
Wt:114gms
Amt:29.50(Cash)Tax:4.50
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

GOVT. OF INDIA

(3)

Gmail

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>

URGENT LETTER FOR NECESSARY ACTION

nagadnarayan <nagadnarayan@gmail.com>
To: dm-bik-rj@nic.in

Fri, Aug 27, 2021 at 11:14 AM

Dear Sir
With Reference to Subject Above Kindly Find Enclosed Urgent Letter No: 3989, Dated 25.08.2021 for Necessary Action Against the RIICO (Bikaner Office) for Violation & Non Compliance of Environment Clearance No. 978, Dated 11.04.2017 Issued by SEIAA (Rajasthan) .

Thanking you
Regards
Nagad Narayan Agro Foods Pvt Ltd
Bikaner (Rajasthan)

Dist Collector Bikaner.pdf
6545K

NOTARY GOVT. OF INDIA
Mohan Modi BIKANER R.No 777 8/6/2025

PHOTO COPY ATTESTED
14/10/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

OFFICE-COPY

ANX-2

ॐ

(10)

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

क्रमांक : 3990 · **अतिआवश्यक प्रतिवेदन** दिनांक : 25.08.2021

सेवा में,

श्रीमति वीनू गुप्ता जी
अध्यक्ष
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
4 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
झालाना डूगंरी, जयपुर (राज)

विषयः **पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की खुली अवहेलना के संदर्भ मे।**
प्रसंगः **आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही करने के संदर्भ मे ।**

आदरणीय महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा कम्पनी को पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 07.09.2012 रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(W) के तहत Preferential Allotment भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 **करणी औद्योगिक क्षेत्र** विस्तार (Project) बीकानेर में खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने/**3962=00 लाख** रुपये का निवेश करने हेतु आवंटित किये गये थे। उक्त करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिं0 11.04.17 की खुली अवहेलना से सम्बन्धित मुख्य तथ्य, साक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैः–

1. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से **Environment Clerance** प्राप्त किये बिना कम्पनी को भूखण्ड 07.09.2012 को आवंटित कर दिये। जो कि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र क्रंमाक J-11013/41/2006/IA.II(I) दिंनाक 19.08.10 की अवहेलना है।

2. यह है कि **पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना** रीको बीकानेर ने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में अप्रैल 2012 में आवंटित भूखण्डों पर बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लि. कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने हेतु **फरवरी 2014** में बिल्डिंग निर्माण/बिजली/पानी/ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु **अनुमति जारी की गई है।**

3. यह है कि रीको बीकानेर करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 (20 माह पश्चात) को पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया गया।

4. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर को स्थापित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल जयपुर से Consent to Establish दिनांक 17.01.2012 को प्राप्त की गई थी **जो कि 30.11.2014 तक वैद्य थी Consent to Establish प्राप्त किये बिना रीको द्वारा सिविल कार्य 2021 तक करवाये जा रहे है।**

5. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में दिनांक 27.04.2016 को प्रातः 11.00 बजे बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र रीको कार्यालय में एक जन सुनवाई की बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

6: यह कि पर्यावरण स्वीकृति के संबध मे आयोजित **जनसुनवाई दिंनाक 27.04.2016 से पूर्व** करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर मे एक खाद्य पदार्थ इकाई ने अपना उत्पादन आरंभ कर दिया गया था जो कि एक **जांच का विषय है।**

7. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा **जन सुनवाई की सूचना** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन/ करणी इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/बीछवाल औद्योगिक संघ तथा पूर्व में आवंटित भूखण्ड के मालिक (नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.) को **प्रेषित नहीं की गई,** जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त **जनसुनवाई पूर्व नियोजित योजना के तहत संचालित की गयी थी।** जो कि भारत सरकार द्वारा गजट मे प्रकाशित अधिसूचना दिंनाक 01.12.2009 की पूर्णता अवहेलना है।

8. यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. (एस.सी. गर्ग) ने दिनांक 27.04.2016 को जनसुनवाई के दौरान **आम जनता** के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले नो वर्षो से **प्रदूषित उच्छिष्ठ जल** (गंदगी एवं गंदे पानी) **1,48,000 वर्गमीटर** के दायरे में जमा है।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

25.8.21

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(11)

(जिसके संबध मे फोटो एंव रिपोर्ट संलग्न है) उक्त प्रदूषित उच्छिष्ट जल के समाधान हेतु **CETP** स्थापित करने के लिये **2600=00 लाख** एवं एसटीपी स्थापित करने के लिये **175=00 लाख** का बजट के परियोजना मे प्रावधान की घोषणा की गई थी।

9. यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, (एस.सी. गर्ग) रीको लि. बीकानेर ने दिनांक **27.04.2016** को जनसुनवाई के दोरान आम जनता के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर में स्थापित होने वाले **खाद्य पदार्थ** इकाईयों/अन्य इकाईयो के संदर्भ में **Zero Liquid Discharge की घोषणा नहीं की गई थी ?**

10. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु **एस.सी. गर्ग पुत्र श्री बी.एम. गर्ग** आयु 48 वर्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 27.09.2016 को एक लीगल अण्डरटेकिंग पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर में प्रस्तुत की गई थी।

11. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. पार्ट A (1) (5) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि –

Part A : SPECIFIC CONDITION
1. CONSTRUCTION PAHSE

5. The P.P. (**RIICO**) shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment Management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE as envisaged, the P.P. shall invest at least an amount of Rs. **4277.29** lacs (**before the project is put into use**) for implementing various environmental protection measures.

A. Environment Plant along with Budgetary breakup.
1. **Setting up CETP** invest in 2600 lacs
2. **Setting up of STP** for treating domestic waste water up to reused level of residential area, commercial area and institutional area (upto 1 M1D capacity) invest in 300.00 lacs
3. Development of land fill site waste disposal invest in 300.00 lacs
4. Laying of internal effluent conveyance system invest 800.00 lacs
5. EIA Study and allied work under head of provision of EIA Study invest 25.00 Lacs
6. Arboriculture invest 371.37
7. Construction of piezometric wells invest As per need
8. Rainwater harvesting invest 5.92

Total Invest 4277.29 lacs.

12. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में Proposed Enviornment Plan में **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **16.08.2021** तक रीको बीकानेर द्वारा नहीं किया गया है?

13. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि PP shall (RIICO) invest at least an amount of Rs. 4277.29 lacs (**before the project is put into use**) ? for implementing various environmental protection measures.

14. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति में अंकित शर्तों की **अनुपालना किये बिना** करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को रीको बीकानेर द्वारा आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

15. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर से **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

प्रार्थी/शपथकर्ता
25.8.21

ॐ
☎ 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

12

16. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गलत/भ्रमित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है कि **Consent to Operate** रीको पर लागू नहीं है। जिसके संदर्भ में रीको सलाहकार (इन्फ्रा) द्वारा जारी सर्कुरल नं. IPI/P-5/2013/46/880 दिनांक 02.05.2016 में अंकित है कि –

The corporation has to receive Consent to Establish/Consent to Operate as per relevant Water and Air Act for **new industrial areas** from RSPCB. These consents are issued by the RSPCB with certain condition stipulated therein. Some of these conditions are related to allotment of land/individual industrial unit whereas some other conditions are related to development of the industrial areas. In order to ensure compliance of conditions stipulated in Consent to Establish/Consent to Operate for industrial areas issued by RSPCB, all unt heads are directed as under

S/d
(Lalit Kumar)
Advior (Infra)

17. उपरोक्त सर्कुरल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा प्रोजेक्ट को **आरम्भ** करना पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की खुली अवहेलना है।

18. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **138 मीटर** की दूरी पर **1,02,610 वर्गमीटर** के दायरे में **उच्छिष्ठ जल (गंदा पानी एवं गंदगी)** पिछले नो वर्षो से जमा है। जिसके संदर्भ में कम्पनी रीको / प्रदूषण विभाग को पिछले **20 माह से** सूचित कर रही है। जिसके संदर्भ में रीको बीकानेर ने पत्र क्रमांक 607 दिनांक 10.08.2020 के तहत सूचित किया कि– करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले नो वर्षो से **जमा उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार** हेतु रीको द्वारा कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है।

19. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरण विभाग को प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक **21.05.2014** में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि–

The Responsibility of RIICO will be site development, infrastructure Development and allotment of Plots for Industrial Units,

- Major and Arterial Roads
- **Strom Water Drainage System**
- Power Station (GSS) and Electric Supply Line
- Green Area
- **Common Effluent Treatment Plant**
- **Common Solid and Hazardous Waste Management Area (Land Fill)**

20. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 में उपरोक्त अंकित तथ्यों के अवलोकन के अनुसार करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में **CETP स्थापित करने की जिम्मेदारी रीको की होती है?**

21. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचित किया गया कि उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार हेतु करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन बीकानेर को 1/– रुपये की टोकन राशि पर भूखण्ड सं. एस.पी. 501 **(24282 वर्गमीटर)** भूमि का आवंटन दिनांक **26.07.2018** को किया गया है।

22. यह है कि उपरोक्त **फाउण्डेशन** द्वारा आवंटित भूखण्ड पर **CETP** स्थापित करने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य 25.08.2021 (3 वर्ष) तक चालू नहीं किया गया है तथा (रीको) के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका सं. **3205/2020** दायर कर रखी है। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए रीको बीकानेर को दिनांक **06.03.2020** को नोटिस जारी कर रखा है। जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर मे विचाराधीन है।

23. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पिछले **20 माह** से कम्पनी/जिला कलक्टर/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर/जयपुर को अपने पत्रों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Projet) बीकानेर में **CETP** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो **फाउण्डेशन** द्वारा स्थापित किया जायेगा।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
25.8.21
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
(13)
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

24. यह है कि करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन द्वारा पत्र दिनांक 02.09.2020, 24.09.2020 के तहत रीको बीकानेर को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि **CETP स्थापित** करने हेतु 3400=00 लाख राशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें?

25. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति 978 दिनांक 11.04.2017 में प्रस्तावित CETP स्थापित करने हेतु 2600=00 लाख राशि का प्रावधान रीको बीकानेर द्वारा रखा गया था । उपरोक्त आरक्षित राशि फाउण्डेशन को दिनांक 07.08.2021 तक उपलब्ध नहीं करवाई गयी है, जिसकी पृष्टी करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्डेशन ने अपने पत्र दिनाक 07.08.2021 के तहत की है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

26. यह है कि करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्उडेशन ने अपने पत्र दिनाक 07.08.2021 मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि **राशि के अभाव मे CETP स्थापित करना संभव नही है।**

27. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने 138 वर्गमीटर की दूरी पर 1,02,610 वर्गमीटर के दायरे में जमा उच्छिष्ठ जल (गंदगी एवं गंदा पानी) पिछले **नो वर्षों/बीस वर्ष से जमा है जिसकी पुष्टि स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर** ने पत्र क्रमांक एफ01/विशेष अधिकारी/स्वाकेराकृवि/2020/178 दिनांक 10.11.2020 के तहत की है पत्र की विवेचना करना आवश्यक होगा–

> **कुलपति प्रो. सिंह ने बताया कि पिछले लगभग बीस वर्षों से दोनों औद्योगिक क्षेत्रों की इकाईयों का अपशिष्ट पानी विश्वविद्यालय परिसर में जमा हो रहा है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है, वहीं आसपास के क्षेत्र में भयंकर दुर्गंध आती है।**

28. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने उच्छिष्ठ जल (गंदगी व गंदा पानी) जमा होने के कारण कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र जारी नहीं हो सकता है? जिसके संदर्भ में खाद्य कारोबार का अनुज्ञापत्र व पंजीयन विनियम 2011 के **शिड्यूल–4** का अवलोकन किया जा सकता है।

29. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग से प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की (रीको) द्वारा **खुली अवहेलना** की जा रही है। जिसके संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा (रीको) **Show Cause नोटिस** क्रमांक F-14 Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg/736-738 दिनांक 02.09.2020 को जारी किया गया है?

General Manager
RIICO Ltd.
Karni Industrial Area,
Bikaner.

Date : 02.09.2020

Sub.: Show Cause notice for intended prosecution under section 43/44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 in rexpect of Karni Industrial Area, Bikaner

Ref.: 1. Environment clearance issues by SEIAA, Rajasthan vide letter dated 11.04.2017.
2. Consent to establish issued vide this office letter dated 17.01.2012.

1. Whereas, the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as the "Water Act") came into force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974.
2. And whereas, the Water Act has been enacted to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaing and restoring then wholesomenses of water.
3. And whereas, keeping this in view, the Rajasthan State Pollution Control Board thereinafter called as the "Board") has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention and control of water pollution and for maitaining and restoring the wholesomeness of water.
4. And whereas, an industrial area namely, Karni Industrial Area has been established at Bikaner by RIICO Ltd. (hereinafter called as the "Project Proponent").
5. And whereas during operation of industries in the Karni Industrial Area effluent is generated and discharged into the environment.
6. And whereas section 24 of the Water Act provides that no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determined in accordance with such standards as may be laid down by the Board, to enter into any stream or well or sewer or on land.
7. And whereas, section 25/26 of the Water Act provides that no person shall without the previous consent of the Board establish or take any steps to establish, any industry, operation or process of any treatment and disposal system or any extension or addition

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(14)

thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or begin to make any new discharge of sewage or trade effluent.

8. And whereas consent to establish under the Wate Act was granted vide this office letter dated **17.01.2012** subject to the conditions inter-alia that environmental clearance shall be obtained from SEIAA for installation of CETP. The consent to establish was **valied upto 30.11.2014.**

9. And whereas, the Environment Clearance has been granted to the Project Proponent vide letter dated 11.04.2017 subject to the conditions inter-alia that all the industries shall be zero discharge units and should have their own self sufficient effluent treatment plants and the treated effluent should be reused in their own premises.

10. And whereas, the karni Industrial Area was inspected on 26.06.2020 by officials of the Board and during inspection it was observed that-
   i. That common effleucnt treatment plant (CETP) has not been established for treatment of effluent generated from the Karni Industrial Area and the effluent generated/ discharged by the industries located in the karni Industrial area is discharged on open land without any treatment.
   ii. That sewage treatment plant has not been installed for the treatment of sewage generated from the industrial area.
   iii. **That the Project Proponent has failed to comply with the conditions no Aa1, Aa7, Aa11, Aa39, Ab1, Ab2, Ab5, Ab7, Ab9, Ab12, Ab14, Ab16, Ab22 and B2 imposed in the Environment Clearance granted by SEIAA vide letter F14(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt./ Project/Cat(C)978/15-16 dated 11.04.2017.**

11. And whereas, the Project Proponent has not applied for renewal of consent to establish or cosent to operate under the Water Act.

12. And whereas above observation show that the Project Proponent has failed to comply with conditions of environmental clearance and consent to establish and also has been violating the provisions of the Water Act.

13. And whereas, the industry has failed to comply the provisions of the Water Act which have been viewed seriously by the Board.

14. And whereas, contravention of the provisions of section 24 and section 25/26 of the Water Act is a criminal offence, punishable under section 43 & 44 of the Water Act.

Therefore, the Board, in view of above stated non-compliances and violation of the provisions of the Water Act, intends to initiate prosecution under section 43/44 of the Water Act against the Project Proponent and officers responsible for its affairs.

In case you have any submissions/reply against the aforesaid legal action, you may submit your reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 30.09.2020 failing which the Board shall initiate **legal prosecution** under the provisions of the Water Act without any further notice.

This bears approvals of the competent authority.

S/d
(Niraj Mathur)
GIC (Liquied Waste)

F.14/Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg 736-738 Date : 02.09.2020

Copy of the following for information and necessary action:-

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner for information. Please ensure delivery of this notice to the Project Propoent. The discharge of effluent by individual industries outside the premises is violation of EC conditons; please fowarded cases of such non-compliant industries to the concerned Group for necessary action.
2. Master file.

S/d
GIC (Liquid Waste)

30. यह है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ द्वारा File No. : II/ENV/Com-R/1990-Part-II/1007 दिनांक 22.09.2020 के तहत (रीको लि. बीकानेर) पत्र जारी किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय,
आर आई आई सी ओ लिमिटेड,
औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल,
बीकानेर, राजस्थान– 334006

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

विषय : पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना के जांच के सम्बन्ध में।

संदर्भ : प्रार्थना पत्र संख्या शून्य पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति संख्या F1(4)/SEIAA/SEAC RAJ/Sectt./Project/ Cat.7(c) (978)/15-16 दिनांक 11.04.2017 की खुली अवहेलना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के आधार पर आप से निम्नलिखित सूचनाएं अपेक्षित की जा सकती है।

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजस्थान द्वारा दी गई **CTE** की छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. **Common Effluent Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
3. **Sewage Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
4. औद्योगिक क्षेत्र करणी में जल की निकासी हेतु क्या प्रावधान/व्यवस्था की गयी है। इससे सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध करायें।
5. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई **CTO** की छाया प्रति उपलब्ध करायें।
6. **EIA Notification 2006** के अनुसार छमाही अनुपालना आख्या की स्थिति के बारे में अवगत करायें।
7. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के संदर्भ में **सम्पूर्ण निवेश** की जानकारी उपलब्ध करायें।
8. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) बीकानेर के सामने पिछले **7 वर्षों से जमा प्रदूषित जल** को निवारण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायें।

उपरोक्त शिकायत से सम्बन्धित दस्तावेज/आख्या इस कार्यालय के पत्र प्राप्त होने के पांच दिन के अन्दर उपलब्ध करायें।

भवदीया,
S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –(डी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :–
1. श्री देव किशन गावलानी पुत्र स्व. दयाराम गावलानी, 2–बी–18, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, पवनपुरी, बीकानेर।
2. निदेशक (मॉनीटरिंग सेल), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आई.ए. डिवीजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली– 110003
3. सदस्य सचिव, SEIAA, राजस्थान 4–इन्स्टीट्यूशनल एरिया, झलाना डूंगरी, जयपुर–302004, राजस्थान।

S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –(डी)

31. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा F.14/Tech/Bikaner(45)/RPCB/B&C/ 1339-1341 Date **05.10.2020** के तहत आपको (रीको लि.) को Show Cause Notice जारी किया है जो निम्नानुसार है:–

To,
M/s RIICO Ltd.
Industrial Area Karni Extension, Bichhwal,
Village- Chak Garbi & 7 BKM,
Tehsil & District- Bikaner, Rajasthan.

Sub.: **Show cause notice** for intended legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act. 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 for your industrial area development plan, **"Karni Extension"** at Bichhwal, Bikaner.

Ref.: a) Compliance received from Mr. Devkishan Gawlani vide letters dated 09.01.2020, 25.01.2020, 20.03.2020, 07.07.2020, 20.07.2020 and 24.07.2020 for not obtaining consent from RSPCB for said project and for non-compliances of Environmental Clearance dated **11.04.2017**.

b) **Inspection of until dated 20.06.2020**

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY

ॐ ☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(16)

Sir,

This is without prejudice to the right of the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as 'the Board') to initiate proceeding under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as 'the **Water Act**') and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter called as 'the **Air Act**') for violation of various provisions of the Act here-in-after shown:-

1. Whereas the Water Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974 and the Air Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 16.05.1981.
2. And whereas, the said Water and Air Act are enacted to provide for the prevention & control of Water and Air pollution and for the maintaining and restoring the wholesomeness of Water and Air.
3. And whereas, keeping this in view the Board has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention, control & abatement of water and air pollution.
4. And whereas, section 21 of the Air Act and section 25/26 of the Water Act prohibit establishing or operating an industrial plant and discharge of air and water pollutants without obtaining prior consent of the State Board.
5. And whereas, the unit is engaged in extension of industrial area development project (Karni Industrial Area) at Bichhwal, Bikaner, that is covered under orange category project for consent mechanism of State Board in compliance of Water Act and Air Act.
6. And whereas, the unit is operating without valid consent from State Board as earlier Consent to establish dated **30.01.12 has been expired** on **30.11.14** and unit has not applied again for consent to establish as well as for **Consent to operate as per MIS record.**
7. And whereas, the said project was inspected by Board Officials of Regional Office Bikaner on **26.06.2020** and during inspection it has been confirmed that unit has **started construction work without prior consent under Air Act and Water Act from State Board.**
8. And whereas, various complains has been received against the unit and same has been verified by Board Officials of Regional Office Bikaner in their inspection report dated **17.07.2020** along with non-compliances of Environmental Clearance dated 11.04.12017.
9. And whereas, from the available record of the unit and after examining the inspection report following non compliance has been observed-
   a. That the unit has not applied for consent to establish as earlier CTE issued from State Board vide letter dated **30.01.12** has been **expired on 30.11.14**.
   b. That the unit has started construction work **without** obtaining prior consent to operate from State Board.
   c. That the unit has not installed **CETP** for treatment for industrial effluent as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017 to ensure ZLD condition
   d. That the unit has **not installed** STP as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017.
   e. That the unit has **not maintained** proper drainage system to avoid water logging during rainy season.
   f. That the untreated effluent from woollen scouring and food processing units was found spilled and creating nuisance in nearby area.
   g. That the unit has **not complied** all conditions of Environmental clearance dated 11.04.2017 and also not submitted six monthly compliance reports of the same.
10. And whereas, it is clear from the above observed non-compliances that the industry has failed to comply the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act. 1974 and air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 which have been viewed seriously by the Board.

Therefore, the Board, in order to prevent further non-compliance of the provisions of the Air Act and the Water Act, directs you to stop the construction work at site with immediate effect and intends to initiate legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

In case you have any objection against the aforesaid legal action, you may submit you reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 28.10.2020 failing which the Board shall initiate legal prosecution against the

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi Bikaner R.No. 177

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)
25.8.21

unit and its occupiers under the provisions of the Air Act and the Water Act without any further notice.

This bears approval of competent authority.

Yours sincerely,
S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

Copy to following for information and necessary action,

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner with request to verify the reply submitted by the unit, if any. Also ensure delivery of this notice to the industry.
2. Master file of Show cause notice.

S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

32. यह है कि रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के संदर्भ में रीको के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका सं. **10600/2020** दायर की गई है। न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको, बीकानेर/प्रबन्धक निदेशक जयपुर को **नोटिस** जारी किया गया है। उपरोक्त जनहित याचिका मान0 न्यायालय मे विचाराधीन है।

33. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारो रीको बीकानेर को दिनांक **02.09.2020, 22.09.2020, 05.10.2020 Show Cause नोटिस** जारी किये गये हैं।

34: यह कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी नोटिस दिनाक 02.09.2020 के संदर्भ मे रीको लि0 बीकानेर द्वारा प्रेषित जवाब दिनाक 30.09.2020 मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो का सत्यापन/जांच प्रदूषण मण्डल द्वारा नही करवायी गयी है

35: यह कि पर्यावरण स्वीकृति मे अकिंत शर्तो/नियमो की खुली अवहेलना के संदर्भ मे **श्रीमति वीनू गुप्ता** अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा अर्धशष्कीय पत्र संख्या **DO No. F-14 (Tech-Bikaner) CETP-51/RPCB/LW/386 Date 13.07.2021** श्री आशुतोष पेडनेकर प्रबंधक निदेशक रीको लि0 जयपुर को जारी किया गया है।

36. यह है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर/पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा जारी **नोटिसों/अर्धशष्कीय पत्र** का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 की **खुली अवहेलना की जा रही है।**

37. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 की **खुली अवहेलना के कारण** भविष्य में **National Green Tribunal भोपाल/नई दिल्ली** द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की **कार्यवाही** की जा सकती है? जिससे कम्पनी को भारी **आर्थिक/मानसिक** नुकसान हो सकता है?

38 महोदय जी बिन्दु सं. **1 से 37** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों का अवलोकन कर रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की पिछले 52 माह से की जा रही खुली अवहेलना के सम्बन्ध में **आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही** करने की कृपा करें,

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु संख्या **1 से 38** मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो का अवलोकन कर **प्राकृतिक न्याय** के सिद्वांतो को ध्यान मे रखते हुये आवश्यक जांच/सत्यापन/कार्यवाही करने की कृपा करे जो कि न्याय के हित मे होगा। जिससे कम्पनी **बिना किसी डर/भय** के आवंटित भूखण्डों पर खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित कर **3962.00 लाख** का निवेश करते हुए **250 व्यक्तियों** को रोजगार प्रदान कर सके। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देंवे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

धन्यवाद।

ER980401296IN IVR:6982980401298 भारतीय डाक
SP PO BIKANER RMS COUNTER
Counter No:2,26/08/2021,17:50
To:VEENU GUPTA,J DOONGARI
PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
From:M/S NAGAD NARAYAN,B I A
Wt:114gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>
India Post

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

प्रार्थी, नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.
नारायणदास
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

GOVT. OF INDIA NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED
14/1/2022
CENTRAL NOTARY

(18)

Gmail

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>

URGENT LETTER FOR NECESSARY ACTION

nagadnarayan <nagadnarayan@gmail.com> Fri, Aug 27, 2021 at 11:03 AM
To: chairperson@rpcb.nic.in

Dear Madam
With Reference to Subject Above Kindly Find Enclosed Urgent Letter No: 3990, Dated 25.08.2021 for Necessary Action Against the RIICO for Violation & Non Compliance of Environment Clearance No. 978, Dated 11.04.2017 Issued by SEIAA (Rajasthan) .

Thanking you
Regards
Nagad Narayan Agro Foods Pvt Ltd
Bikaner (Rajasthan)

Chairperson RSPCB Rajasthan.pdf
6609K

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

NOTARY
Mohan Modi
BIKANER
GOVT. OF INDIA

OFFICE-COPY

ANX-3

(19)

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

क्रमांक : 3992 **अतिआवश्यक प्रतिवेदन** दिनांक : 25.08.2021

सेवा में,

श्रीमान सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण समागत निर्धारण प्राधिकरण
राजस्थान सरकार
शासन सचिवालय
जयपुर।

कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विषयः **पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की खुली अवहेलना के संदर्भ मे।**
प्रसंगः **आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही करने के संदर्भ मे ।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा कम्पनी को पत्र क्रमांक 2583 दिनांक **07.09.2012** रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(W) के तहत Preferential Allotment भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 **करणी औद्योगिक क्षेत्र** विस्तार (Project) बीकानेर में खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने/**3962=00 लाख** रुपये का निवेश करने हेतु आवंटित किये गये थे। उक्त करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिं0 11.04.17 की खुली अवहेलना से सम्बन्धित मुख्य तथ्य, साक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैः–

1. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से **Environment Clerance** प्राप्त किये बिना कम्पनी को भूखण्ड 07.09.2012 को आवंटित कर दिये। जो कि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र क्रमांक J-11013/41/2006/IA.II(I) दिंनाक 19.08.10 की अवहेलना है।

2. यह है कि **पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना** रीको बीकानेर ने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में अप्रैल 2012 में आवंटित भूखण्डों पर बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लि. कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने हेतु **फरवरी 2014** में बिल्डिंग निर्माण/बिजली/पानी/ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु **अनुमति जारी की गई है।**

3. यह है कि रीको बीकानेर करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक **21.05.2014** (**20 माह पश्चात**) को पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया गया।

4. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर को स्थापित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल जयपुर से Consent to Establish दिनांक 17.01.2012 को प्राप्त की गई थी **जो कि 30.11.2014 तक वैद्य थी Consent to Establish प्राप्त किये बिना रीको द्वारा सिविल कार्य 2021 तक करवाये जा रहे है।**

5. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में दिनांक **27.04.2016** को प्रातः 11.00 बजे बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र रीको कार्यालय में एक जन सुनवाई की बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

6: यह कि पर्यावरण स्वीकृति के संबध मे आयोजित **जनसुनवाई दिंनाक 27.04.2016 से पूर्व** करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर मे एक खाद्य पदार्थ इकाई ने अपना उत्पादन आरंभ कर दिया गया था जो कि एक **जांच का विषय है।**

7. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा **जन सुनवाई की सूचना** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन/ करणी इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/बीछवाल औद्योगिक संघ तथा पूर्व में आवंटित भूखण्ड के मालिक (नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.) को **प्रेषित नहीं की गई,** जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त **जनसुनवाई पूर्व नियोजित योजना के तहत संचालित की गयी थी।** जो कि भारत सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित अधिसूचना दिंनाक 01.12.2009 की पूर्णता अवहेलना है।

8. यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. (एस.सी. गर्ग) ने दिनांक **27.04.2016** को जनसुनवाई के दौरान **आम जनता** के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले नो वर्षों से **प्रदूषित उच्छिष्ठ जल** (गंदगी एवं गंदे पानी) **1,48,000 वर्गमीटर** के दायरे में जमा है।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED

25.8.21

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(20)

<u>(जिसके संबध मे फोटो एवं रिपोर्ट संलग्न है)</u> उक्त <u>प्रदूषित उच्छिष्ठ जल</u> के समाधान हेतु **<u>CETP</u>** स्थापित करने के लिये <u>2600=00 लाख</u> एवं एसटीपी स्थापित करने के लिये <u>175=00 लाख</u> का बजट के परियोजना मे प्रावधान की घोषणा की गई थी।

9. यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, (एस.सी. गर्ग) रीको लि. बीकानेर ने दिनांक 27.04.2016 को जनसुनवाई के दोरान आम जनता के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर में स्थापित होने वाले **खाद्य पदार्थ** इकाईयों/अन्य इकाईयों के संदर्भ में **<u>Zero Liquid Discharge की घोषणा नहीं की गई थी ?</u>**

10. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु **<u>एस.सी. गर्ग पुत्र श्री बी.एम. गर्ग</u>** आयु 48 वर्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 27.09.2016 को एक लीगल अण्डरटेकिंग पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर में प्रस्तुत की गई थी।

11. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. पार्ट A (1) (5) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि –

Part A : SPECIFIC CONDITION
1. CONSTRUCTION PAHSE

5. The P.P. (**RIICO**) shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment Management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE as envisaged, the P.P. shall invest at least an amount of Rs. **4277.29** lacs (**before the project is put into use**) for implementing various environmental protection measures.

A. Environment Plant along with Budgetary breakup.
1. **<u>Setting up CETP</u>** invest in 2600 lacs
2. **<u>Setting up of STP</u>** for treating domestic waste water up to reused level of residential area, commercial area and institutional area (upto 1 M1D capacity) invest in 300.00 lacs
3. Development of land fill site waste disposal invest in 300.00 lacs
4. Laying of internal effluent conveyance system invest 800.00 lacs
5. EIA Study and allied work under head of provision of EIA Study invest 25.00 Lacs
6. Arboriculture invest 371.37
7. Construction of piezometric wells invest As per need
8. Rainwater harvesting invest 5.92

<u>Total Invest 4277.29 lacs.</u>

12. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में Proposed Enviornment Plan में 4277.29 लाख का निवेश दिनांक 16.08.2021 तक रीको बीकानेर द्वारा नहीं किया गया है?

13. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि PP shall (RIICO) invest at least an amount of Rs. 4277.29 lacs (**<u>before the project is put into use</u>**) ? for implementing various environmental protection measures.

14. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति में अंकित शर्तों की **<u>अनुपालना किये बिना</u>** करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को रीको बीकानेर द्वारा आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

15. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर से **<u>Consent to Operate</u>** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

25.8.21

21

16. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गलत/भ्रमित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है कि **Consent to Operate** रीको पर लागू नहीं है। जिसके संदर्भ में रीको सलाहकार (इन्फ्रा) द्वारा जारी सर्कुरल नं. IPI/P-5/2013/46/880 दिनांक 02.05.2016 में अंकित है कि –

The corporation has to receive Consent to Establish/Consent to Operate as per relevant Water and Air Act for **new industrial areas** from RSPCB. These consents are issued by the RSPCB with certain condition stipulated therein. Some of these conditions are related to allotment of land/individual industrial unit whereas some other conditions are related to development of the industrial areas. In order to ensure compliance of conditions stipulated in Consent to Establish/Consent to Operate for industrial areas issued by RSPCB, all unt heads are directed as under

S/d
(Lalit Kumar)
Advior (Infra)

17. उपरोक्त सर्कुरल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा प्रोजेक्ट को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की खुली अवहेलना है।

18. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **138 मीटर** की दूरी पर **1,02,610 वर्गमीटर** के दायरे में **उच्छिष्ठ जल (गंदा पानी एवं गंदगी)** पिछले नो वर्षों से जमा है। जिसके संदर्भ में कम्पनी रीको / प्रदूषण विभाग को पिछले **20 माह से** सूचित कर रही है। जिसके संदर्भ में रीको बीकानेर ने पत्र क्रमांक 607 दिनांक 10.08.2020 के तहत सूचित किया कि– करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले नो वर्षो से जमा उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार हेतु रीको द्वारा कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है।

19. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरण विभाग को प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक **21.05.2014** में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि–

The Responsibility of RIICO will be site development, infrastructure Development and allotment of Plots for Industrial Units,

- Major and Arterial Roads
- **Strom Water Drainage System**
- Power Station (GSS) and Electric Supply Line
- Green Area
- **Common Effluent Treatment Plant**
- **Common Solid and Hazardous Waste Management Area (Land Fill)**

20. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 में उपरोक्त अंकित तथ्यों के अवलोकन के अनुसार करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में **CETP स्थापित करने की जिम्मेदारी रीको की होती है?**

21. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचित किया गया कि उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार हेतु करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन बीकानेर को 1/– रुपये की टोकन राशि पर भूखण्ड सं. एस.पी. 501 **(24282 वर्गमीटर)** भूमि का आवंटन दिमांक **26.07.2018** को किया गया है।

22. यह है कि उपरोक्त **फाउण्डेशन** द्वारा आवंटित भूखण्ड पर **CETP** स्थापित करने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य 25.08.2021 **(3 वर्ष) तक** चालू नहीं किया गया है तथा (रीको) के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका सं. 3205/2020 दायर कर रखी है। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए रीको बीकानेर को दिनांक 06.03.2020 को नोटिस जारी कर रखा है। जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर मे विचाराधीन है।

23. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पिछले **20 माह** से कम्पनी/जिला कलक्टर/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर/जयपुर को अपने पत्रों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Projet) बीकानेर में **CETP** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन द्वारा स्थापित किया जायेगा।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
25.8.21
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(22)

24. यह है कि **करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन** द्वारा पत्र दिनांक **02.09.2020, 24.09.2020** के तहत रीको बीकानेर को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि **CETP स्थापित** करने हेतु 3400=00 लाख राशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें?

25. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति 978 दिनांक **11.04.2017** में प्रस्तावित CETP स्थापित करने हेतु **2600=00 लाख** राशि का प्रावधान रीको बीकानेर द्वारा रखा गया था । उपरोक्त आरक्षित राशि फाउण्डेशन को दिनाक **07.08.2021** तक उपलब्ध नहीं करवाई गयी है, जिसकी पृष्टी करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्उडेशन ने अपने पत्र दिंनाक 07.08.2021 के तहत की है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

26. यह है कि करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्उडेशन ने अपने पत्र दिंनाक 07.08.2021 मे स्पष्ट रूप से अकिंत किया है कि **राशि के अभाव मे CETP स्थापित करना संभव नही है।**

27. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **138** वर्गमीटर की दूरी पर **1,02,610** वर्गमीटर के दायरे में जमा उच्छिष्ठ जल (गंदगी एवं गंदा पानी) पिछले **नो वर्षो/बीस वर्ष से जमा** है **जिसकी पुष्टि स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर** ने पत्र क्रमांक एफ01/विशेष अधिकारी/स्वाकेराकृवि/2020/178 दिनांक 10.11.2020 के तहत की है पत्र की विवेचना करना आवश्यक होगा–

> **कुलपति प्रो. सिंह ने बताया कि पिछले लगभग बीस वर्षों से दोंनों औद्योगिक क्षेत्रों की इकाईयों का अपशिष्ट पानी विश्वविद्यालय परिसर में जमा हो रहा है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है, वहीं आसपास के क्षेत्र में भयंकर दुर्गंध आती है।**

28. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **उच्छिष्ठ जल** (गंदगी व गंदा पानी) जमा होने के कारण कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में **केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र** जारी नहीं हो सकता है? जिसके संदर्भ में खाद्य कारोबार का अनुज्ञापत्र व पंजीयन विनियम 2011 के **शिड्यूल–4** का अवलोकन किया जा सकता है।

29. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग से प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की (रीको) द्वारा **खुली अवहेलना** की जा रही है। जिसके संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा (रीको) **Show Cause नोटिस** क्रमांक F-14 Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg/736-738 दिनांक **02.09.2020** को जारी किया गया है?

General Manager
RIICO Ltd.
Karni Industrial Area,
Bikaner.

Date : 02.09.2020

Sub.: Show Cause notice for intended prosecution under section 43/44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 in rexpect of Karni Industrial Area, Bikaner

Ref.: 1. Environment clearance issues by SEIAA, Rajasthan vide letter dated 11.04.2017.
2. Consent to establish issued vide this office letter dated 17.01.2012.

1. Whereas, the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as the "Water Act") came into force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974.
2. And whereas, the Water Act has been enacted to provide for the prevention and control of water pollution and for mainintaing and restoring then wholesomensess of water.
3. And whereas, keeping this in view, the Rajasthan State Pollution Control Board thereinafter called as the "Board") has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention and control of water pollution and for maitaining and restoring the wholesomeness of water.

4. And whereas, an industrial area namely, Karni Industrial Area has been established at Bikaner by RIICO Ltd. (hereinafter called as the "Project Proponent").
5. And whereas during operation of industries in the Karni Industrial Area effluent is generated and discharged into the environment.
6. And whereas section 24 of the Water Act provides that no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determined in accordance with such standards as may be laid down by the Board, to enter into any stream or well or sewer or on land.
7. And whereas, section 25/26 of the Water Act provides that no person shall without the previous consent of the Board establish or take any steps to establish, any industry, operation or process of any treatment and disposal system or any extension or addition

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

नागरणदास
25.8.21

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
23
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or begin to make any new discharge of sewage or trade effluent.

8. And whereas consent to establish under the Wate Act was granted vide this office letter dated **17.01.2012** subject to the conditions inter-alia that environmental clearance shall be obtained from SEIAA for installation of CETP. The consent to establish was **valied upto 30.11.2014.**

9. And whereas, the Environment Clearance has been granted to the Project Proponent vide letter dated 11.04.2017 subject to the conditions inter-alia that all the industries shall be zero discharge units and should have their own self sufficient effluent treatment plants and the treated effluent should be reused in their own premises.

10. And whereas, the karni Industrial Area was inspected on 26.06.2020 by officials of the Board and during inspection it was observed that-
    i. That common effleucnt treatment plant (CETP) has not been established for treatment of effluent generated from the Karni Industrial Area and the effluent generated/ discharged by the industries located in the karni Industrial area is discharged on open land without any treatment.
    ii. That sewage treatment plant has not been installed for the treatment of sewage generated from the industrial area.
    iii. **That the Project Proponent has failed to comply with the conditions no Aa1, Aa7, Aa11, Aa39, Ab1, Ab2, Ab5, Ab7, Ab9, Ab12, Ab14, Ab16, Ab22 and B2 imposed in the Environment Clearance granted by SEIAA vide letter F14(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt./ Project/Cat(C)978/15-16 dated 11.04.2017.**

11. And whereas, the Project Proponent has not applied for renewal of consent to establish or cosent to operate under the Water Act.

12. And whereas above observation show that the Project Proponent has failed to comply with conditions of environmental clearance and consent to establish and also has been violating the provisions of the Water Act.

13. And whereas, the industry has failed to comply the provisions of the Water Act which have been viewed seriously by the Board.

14. And whereas, contravention of the provisions of section 24 and section 25/26 of the Water Act is a criminal offence, punishable under section 43 & 44 of the Water Act.

Therefore, the Board, in view of above stated non-compliances and violation of the provisions of the Water Act, intends to initiate prosecution under section 43/44 of the Water Act against the Project Proponent and officers responsible for its affairs.

In case you have any submissions/reply against the aforesaid legal action, you may submit your reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 30.09.2020 failing which the Board shall initiate **legal prosecution** under the provisions of the Water Act without any further notice.

This bears approvals of the competent authority.

S/d
(Niraj Mathur)
GIC (Liquied Waste)

F.14/Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg 736-738 Date : 02.09.2020

Copy of the following for information and necessary action:-

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner for information. Please ensure delivery of this notice to the Project Propoent. The discharge of effluent by individual industries outside the premises is violation of EC conditons; please fowarded cases of such non-compliant industries to the concerned Group for necessary action.
2. Master file.

S/d
GIC (Liquid Waste)

30. यह है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ द्वारा File No. : II/ENV/Com-R/1990-Part-II/1007 दिनांक 22.09.2020 के तहत (रीको लि. बीकानेर) पत्र जारी किया गया है जो निम्नानुसार है:–

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय,
आर आई आई सी ओ लिमिटेड,
औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल,
बीकानेर, राजस्थान– 334006

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ

☎: 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NB™ SINCE : 1977

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(24)

विषय : **पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना** के जांच के सम्बन्ध में।

संदर्भ : प्रार्थना पत्र संख्या शून्य पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति संख्या F1(4)/SEIAA/ SEAC RAJ/Sectt./Project/ Cat.7(c) (978)/15-16 दिनांक 11.04.2017 की खुली अवहेलना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के आधार पर आप से निम्नलिखित सूचनाएं अपेक्षित की जा सकती है।

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजस्थान द्वारा दी गई **CTE** की छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. **Common Effluent Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
3. **Sewage Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
4. औद्योगिक क्षेत्र करणी में जल की निकासी हेतु क्या प्रावधान/व्यवस्था की गयी है। इससे सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध करायें।
5. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई **CTO** की छाया प्रति उपलब्ध करायें।
6. **EIA Notification 2006** के अनुसार छमाही अनुपालना आख्या की स्थिति के बारे में अवगत करायें।
7. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के संदर्भ में **सम्पूर्ण निवेश** की जानकारी उपलब्ध करायें।
8. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) बीकानेर के सामने पिछले **7 वर्षों से जमा प्रदूषित जल** को निवारण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायें।

उपरोक्त शिकायत से सम्बन्धित दस्तावेज/आख्या इस कार्यालय के पत्र प्राप्त होने के पांच दिन के अन्दर उपलब्ध करायें।

भवदीया,
S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –(डी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :–

1. श्री देव किशन गावलानी पुत्र स्व. दयाराम गावलानी, 2–बी–18, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, पवनपुरी, बीकानेर।
2. निदेशक (मॉनीटरिंग सेल), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आई.ए. डिवीजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली– 110003
3. सदस्य सचिव, SEIAA, राजस्थान 4–इन्स्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूंगरी, जयपुर– 302004, राजस्थान।

S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –(डी)

NOTARY GOVT. OF INDIA BIKANER

31. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा F.14/Tech/Bikaner(45)/ RPCB/B&C/ 1339-1341 Date **05.10.2020** के तहत आपको (रीको लि.) को Show Cause Notice जारी किया है जो निम्नानुसार है:–

To,

M/s RIICO Ltd.
Industrial Area Karni Extension, Bichhwal,
Village- Chak Garbi & 7 BKM,
Tehsil & District- Bikaner, Rajasthan.

Sub.: **Show cause notice** for intended legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act. 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 for your industrial area development plan, **"Karni Extension"** at Bichhwal, Bikaner.

Ref.: a) Compliance received from Mr. Devkishan Gawlani vide letters dated 09.01.2020, 25.01.2020, 20.03.2020, 07.07.2020, 20.07.2020 and 24.07.2020 for not obtaining consent from RSPCB for said project and for non-compliances of Environmental Clearance dated **11.04.2017**.

b) **Inspection of until dated 20.06.2020**

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
25.8.21
CENTRAL NOTARY

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

Sir,

This is without prejudice to the right of the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as 'the Board') to initiate proceeding under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as 'the **Water Act**') and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter called as 'the **Air Act**') for violation of various provisions of the Act here-in-after shown:-

1. Whereas the Water Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974 and the Air Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 16.05.1981.
2. And whereas, the said Water and Air Act are enacted to provide for the prevention & control of Water and Air pollution and for the maintaining and restoring the wholesomeness of Water and Air.
3. And whereas, keeping this in view the Board has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention, control & abatement of water and air pollution.
4. And whereas, section 21 of the Air Act and section 25/26 of the Water Act prohibit establishing or operating an industrial plant and discharge of air and water pollutants without obtaining prior consent of the State Board.
5. And whereas, the unit is engaged in extension of industrial area development project (Karni Industrial Area) at Bichhwal, Bikaner, that is covered under orange category project for consent mechanism of State Board in compliance of Water Act and Air Act.
6. And whereas, the unit is operating without valid consent from State Board as earlier Consent to establish dated **30.01.12 has been expired** on **30.11.14** and unit has not applied again for consent to establish as well as for **Consent to operate as per MIS record.**
7. And whereas, the said project was inspected by Board Officials of Regional Office Bikaner on **26.06.2020** and during inspection it has been confirmed that unit has **started construction work without prior consent under Air Act and Water Act from State Board.**
8. And whereas, various complains has been received against the unit and same has been verified by Board Officials of Regional Office Bikaner in their inspection report dated **17.07.2020** along with non-compliances of Environmental Clearance dated 11.04.12017.
9. And whereas, from the available record of the unit and after examining the inspection report following non compliance has been observed-
   a. That the unit has not applied for consent to establish as earlier CTE issued from State Board vide letter dated **30.01.12** has been **expired on 30.11.14**.
   b. That the unit has started construction work **without** obtaining prior consent to operate from State Board.
   c. That the unit has not installed **CETP** for treatment for industrial effluent as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017 to ensure ZLD condition
   d. That the unit has **not installed** STP as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017.
   e. That the unit has **not maintained** proper drainage system to avoid water logging during rainy season.
   f. That the untreated effluent from woollen scouring and food processing units was found spilled and creating nuisance in nearby area.
   g. That the unit has **not complied** all conditions of Environmental clearance dated 11.04.2017 and also not submitted six monthly compliance reports of the same.
10. And whereas, it is clear from the above observed non-compliances that the industry has failed to comply the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act. 1974 and air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 which have been viewed seriously by the Board.

Therefore, the Board, in order to prevent further non-compliance of the provisions of the Air Act and the Water Act, directs you to stop the construction work at site with immediate effect and intends to initiate legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

In case you have any objection against the aforesaid legal action, you may submit you reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 28.10.2020 failing which the Board shall initiate legal prosecution against the

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 177 GOVT. OF INDIA

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NB™ SINCE : 1977

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(26)

unit and its occupiers under the provisions of the Air Act and the Water Act without any further notice.

This bears approval of competent authority.

Yours sincerely,
S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

Copy to following for information and necessary action,

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner with request to verify the reply submitted by the unit, if any. Also ensure delivery of this notice to the industry.
2. Master file of Show cause notice.

S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

32. यह है कि रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.04.2017 की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के संदर्भ में रीको के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका सं. 10600/2020 दायर की गई है। न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको, बीकानेर/प्रबन्धक निदेशक जयपुर को <u>नोटिस</u> जारी किया गया है। उपरोक्त जनहित याचिका मान0 न्यायालय मे विचाराधीन है।

33. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.04.2017 की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारो रीको बीकानेर को दिनांक **02.09.2020, 22.09.2020, 05.10.2020** **<u>Show Cause</u> नोटिस** जारी किये गये हैं।

34: यह कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी नोटिस दिंनाक 02.09.2020 के संदर्भ मे रीको लि0 बीकानेर द्वारा प्रेषित जवाब दिंनाक 30.09.2020 मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यों का सत्यापन/जांच प्रदूषण मण्डल द्वारा नही करवायी गयी है

35: यह कि पर्यावरण स्वीकृति मे अकिंत शर्तो/नियमो की खुली अवहेलना के संदर्भ मे **<u>श्रीमति वीनू गुप्ता</u>** अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा अर्धशष्कीय पत्र संख्या **<u>DO No. F-14 (Tech-Bikaner) CETP-51/RPCB/LW/386 Date 13.07.2021</u>** श्री आशुतोष पेडनेकर प्रबंधक निदेशक रीको लि0 जयपुर को जारी किया गया है।

36. यह है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर/पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा जारी **<u>नोटिसों/अर्धशष्कीय पत्र</u>** का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 **की खुली अवहेलना की जा रही है।**

37. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 की **<u>खुली अवहेलना के कारण</u>** भविष्य में **National Green Tribunal भोपाल/नई दिल्ली** द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की **<u>कार्यवाही</u>** की जा सकती है? जिससे कम्पनी को भारी **आर्थिक/मानसिक** नुकसान हो सकता है?

38 महोदय जी बिन्दु सं. **<u>1 से 37</u>** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों का अवलोकन कर रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की पिछले 52 माह से की जा रही खुली अवहेलना के सम्बन्ध में **<u>आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही</u>** करने की कृपा करें,

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु संख्या **<u>1 से 38</u>** मे अंकित तथ्यो, साक्ष्यो का अवलोकन कर **<u>प्राकृतिक न्याय</u>** के सिद्धांतो को ध्यान मे रखते हुये आवश्यक जांच/सत्यापन/कार्यवाही करने की कृपा करे जो कि न्याय के हित मे होगा। जिससे कम्पनी **<u>बिना किसी डर/भय</u>** के आवंटित भूखण्डों पर खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित कर **3962.00 लाख** का निवेश करते हुए **250 व्यक्तियों** को रोजगार प्रदान कर सके। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देंवे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

धन्यवाद।

EA780040128 2IN IVR:6782... भारतीय डाक
SP PC BIKANER RMS COUNTER <334...
Counter No:2,28/08/2021,17:50
To:M SEC,ADMIN SEC
PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
From:M/S NAGAD NARAYAN,B I A
Wt:114gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>
India Post

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. ★ Bikaner (Raj.)

प्रार्थी, नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No. 77 ... GOVT. OF INDIA

(27)

Gmail Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>

URGENT LETTER FOR NECESSARY ACTION

nagadnarayan <nagadnarayan@gmail.com> Fri, Aug 27, 2021 at 11:09 AM
To: pku31in@gmail.com, seiaaseiaa2018@gmail.com, anilgoel.ifs@gmail.com, seiaa.rajasthan@gmail.com

Dear Sir

With Reference to Subject Above Kindly Find Enclosed Urgent Letter No: 3992, Dated 25.08.2021 for Necessary Action Against the RIICO (Bikaner Office) for Violation & Non Compliance of Environment Clearance No. 978, Dated 11.04.2017 Issued by SEIAA (Rajasthan) .

Thanking you
Regards
Nagad Narayan Agro Foods Pvt Ltd
Bikaner (Rajasthan)

Member Secretary SEIIA Rajasthan.pdf
6630K

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ANX-4

OFFICE-COPY

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

(28)

NB™ SINCE : 1977

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

क्रमांक : 3995. **अतिआवश्यक प्रतिवेदन** दिनांक : 25.08.2021

कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते दो रुपये TWO RUPEES

सेवा में,

श्रीमति श्रेहा गुहा जी
प्रमुख सचिव
पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार
शासन सचिवालय
जयपुर।

विषय: **पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की खुली अवहेलना के संदर्भ मे।**
प्रसंगः **आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही करने के संदर्भ मे ।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा कम्पनी को पत्र क्रमांक 2583 दिनांक **07.09.2012** रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(W) के तहत Preferential Allotment भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 **करणी औद्योगिक क्षेत्र** विस्तार (Project) बीकानेर में खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने/**3962=00 लाख** रुपये का निवेश करने हेतु आवंटित किये गये थे। उक्त करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दि0 11.04.17 की खुली अवहेलना से सम्बन्धित मुख्य तथ्य, साक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैः–

1. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से **Environment Clerance** प्राप्त किये बिना कम्पनी को भूखण्ड **07.09.2012** को आवंटित कर दिये। जो कि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र क्रंमाक J-11013/41/2006/IA.II(I) दिंनाक 19.08.10 की अवहेलना है।

2. यह है कि **पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना** रीको बीकानेर ने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में अप्रैल 2012 में आवंटित भूखण्डों पर बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लि. कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने हेतु **फरवरी 2014** में बिल्डिंग निर्माण/बिजली/पानी/ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु **अनुमति जारी की गई है।**

3. यह है कि रीको बीकानेर करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक **21.05.2014** (**20 माह पश्चात्त**) को पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया गया।

4. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर को स्थापित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल जयपुर से Consent to Establish दिनांक 17.01.2012 को प्राप्त की गई थी **जो कि 30.11.2014 तक वैद्य थी Consent to Establish प्राप्त किये बिना रीको द्वारा सिविल कार्य 2021 तक करवाये जा रहे है।**

5. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में दिनांक **27.04.2016** को प्रातः 11.00 बजे बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र रीको कार्यालय में एक जन सुनवाई की बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

6: ,यह कि पर्यावरण स्वीकृति के संबध मे आयोजित **जनसुनवाई दिंनाक 27.04.2016 से पूर्व** करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर मे एक खाद्य पदार्थ इकाई ने अपना उत्पादन आरंभ कर दिया गया था जो कि एक **जांच का विषय है।**

7. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा **जन सुनवाई की सूचना** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन/ करणी इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/बीछवाल औद्योगिक संघ तथा पूर्व में आवंटित ,भूखण्ड के मालिक (नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.) को **प्रेषित नहीं की गई,** जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त **जनसुनवाई पूर्व नियोजित योजना के तहत संचालित की गयी थी।** जो कि भारत सरकार द्वारा गजट मे प्रकाशित अधिसूचना दिंनाक 01.12.2009 की पूर्णता अवहेलना है।

8. यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. (एस.सी. गर्ग) ने दिनांक **27.04.2016** को जनसुनवाई के दौरान **आम जनता** के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले नो वर्षो से **प्रदुषित उच्छिष्ठ जल** (गंदगी एवं गंदे पानी) **1,48,000 वर्गमीटर** के दायरे में जमा है।

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

Nagad Narayan Agro Foods Pvt.Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)
25.8.21

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
(29)
NB™ SINCE : 1977
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(जिसके संबध मे फोटो एंव रिपोर्ट संलग्न है) उक्त प्रदूषित उच्छिष्ठ जल के समाधान हेतु **CETP** स्थापित करने के लिये **2600=00 लाख** एवं एसटीपी स्थापित करने के लिये **175=00 लाख** का बजट के परियोजना मे प्रावधान की घोषणा की गई थी।

9. यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, (एस.सी. गर्ग) रीको लि. बीकानेर ने दिनांक **27.04.2016** को जनसुनवाई के दोरान आम जनता के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर में स्थापित होने वाले **खाद्य पदार्थ** इकाईयों/अन्य इकाईयों के संदर्भ में **Zero Liquid Discharge की घोषणा नहीं की गई थी ?**

10. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु **एस.सी. गर्ग पुत्र श्री बी.एम. गर्ग** आयु 48 वर्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 27.09.2016 को एक लीगल अण्डरटेकिंग पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर में प्रस्तुत की गई थी।

11. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. **978** दिनांक **11.04.2017** के बिन्दु सं. पार्ट A (1) (5) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि –

Part A : SPECIFIC CONDITION

1. CONSTRUCTION PAHSE

5. The P.P. **(RIICO)** shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment Management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE as envisaged, the P.P. shall invest at least an amount of Rs. **4277.29** lacs (**before the project is put into use**) for implementing various environmental protection measures.

A. Environment Plant along with Budgetary breakup.

1. **Setting up CETP** invest in 2600 lacs
2. **Setting up of STP** for treating domestic waste water up to reused level of residential area, commercial area and institutional area (upto 1 M1D capacity) invest in 300.00 lacs
3. Development of land fill site waste disposal invest in 300.00 lacs
4. Laying of internal effluent conveyance system invest 800.00 lacs
5. EIA Study and allied work under head of provision of EIA Study invest 25.00 Lacs
6. Arboriculture invest 371.37
7. Construction of piezometric wells invest As per need
8. Rainwater harvesting invest 5.92

Total Invest 4277.29 lacs.

12. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में Proposed Enviornment Plan में **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **16.08.2021** तक रीको बीकानेर द्वारा नहीं किया गया है?

13. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि PP shall (RIICO) invest at least an amount of Rs. 4277.29 lacs (**before the project is put into use**) ? for implementing various environmental protection measures.

14. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति में अंकित शर्तों की **अनुपालना किये बिना** करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को रीको बीकानेर द्वारा आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

15. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर से **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NB SINCE : 1977

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

16. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गलत/भ्रमित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है कि **Consent to Operate** रीको पर लागू नहीं है। जिसके संदर्भ में रीको सलाहकार (इन्फ्रा) द्वारा जारी सर्कुलर नं. IPI/P-5/2013/46/880 दिनांक 02.05.2016 में अंकित है कि –

The corporation has to receive Consent to Establish/Consent to Operate as per relevant Water and Air Act for **new industrial areas** from RSPCB. These consents are issued by the RSPCB with certain condition stipulated therein. Some of these conditions are related to allotment of land/individual industrial unit whereas some other conditions are related to development of the industrial areas. In order to ensure compliance of conditions stipulated in Consent to Establish/Consent to Operate for industrial areas issued by RSPCB, all unt heads are directed as under

S/d
(Lalit Kumar)
Advior (Infra)

17. उपरोक्त सर्कुलर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा प्रोजेक्ट को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिनांक 11.04.2017 की खुली अवहेलना है।

18. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **138 मीटर** की दूरी पर **1,02,610 वर्गमीटर** के दायरे में **उच्छिष्ठ जल (गंदा पानी एवं गंदगी)** पिछले नो वर्षो से जमा है। जिसके संदर्भ में कम्पनी रीको / प्रदूषण विभाग को पिछले **20 माह से** सूचित कर रही है। जिसके संदर्भ में रीको बीकानेर ने पत्र क्रमांक 607 दिनांक 10.08.2020 के तहत सूचित किया कि– करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले नो वर्षो से जमा उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार हेतु रीको द्वारा कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है।

19. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरण विभाग को प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि–

The Responsibility of RIICO will be site development, infrastructure Development and allotment of Plots for Industrial Units,

- Major and Arterial Roads
- **Strom Water Drainage System**
- Power Station (GSS) and Electric Supply Line
- Green Area
- **Common Effluent Treatment Plant**
- **Common Solid and Hazardous Waste Management Area (Land Fill)**

20. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 में उपरोक्त अंकित तथ्यों के अवलोकन के अनुसार करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में **CETP स्थापित करने की जिम्मेदारी रीको की होती है?**

21. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचित किया गया कि उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार हेतु करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन बीकानेर को 1/– रुपये की टोकन राशि पर भूखण्ड सं. एस.पी. 501 **(24282 वर्गमीटर)** भूमि का आवंटन दिनांक 26.07.2018 को किया गया है।

22. यह है कि उपरोक्त **फाउण्डेशन** द्वारा आवंटित भूखण्ड पर **CETP** स्थापित करने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य 25.08.2021 **(3 वर्ष) तक** चालू नहीं किया गया है तथा (रीको) के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका सं. 3205/2020 दायर कर रखी है। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए रीको बीकानेर को दिनांक 06.03.2020 को नोटिस जारी कर रखा है। जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर मे विचाराधीन है।

23. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पिछले **20 माह** से कम्पनी/जिला कलक्टर/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर/जयपुर को अपने पत्रों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Projet) बीकानेर में **CETP** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो **फाउण्डेशन** द्वारा स्थापित किया जायेगा।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)
25.8.21

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(31)

24. यह है कि करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन द्वारा पत्र दिनांक 02.09.2020, 24.09.2020 के तहत रीको बीकानेर को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि **CETP स्थापित** करने हेतु 3400=00 लाख राशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें?

25. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति 978 दिनांक 11.04.2017 में प्रस्तावित CETP स्थापित करने हेतु 2600=00 लाख राशि का प्रावधान रीको बीकानेर द्वारा रखा गया था । उपरोक्त आरक्षित राशि फाउण्डेशन को दिनाक 07.08.2021 तक उपलब्ध नहीं करवाई गयी है, जिसकी पृष्टी करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्डेशन ने अपने पत्र दिनाक 07.08.2021 के तहत की है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

26. यह है कि करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्डेशन ने अपने पत्र दिनाक 07.08.2021 मे स्पष्ट रूप से अकिंत किया है कि **राशि के अभाव मे CETP स्थापित करना संभव नही है।**

27. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने 138 वर्गमीटर की दूरी पर 1,02,610 वर्गमीटर के दायरे में जमा उच्छिष्ठ जल (गंदगी एवं गंदा पानी) पिछले **नो वर्षो/बीस वर्ष से** जमा है **जिसकी पुष्टि स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर** ने पत्र क्रमांक एफ01/विशेष अधिकारी/स्वाकेराकृवि/2020/178 दिनांक 10.11.2020 के तहत की है पत्र की विवेचना करना आवश्यक होगा–

> **कुलपति प्रो. सिंह ने बताया कि पिछले लगभग बीस वर्षों से दोनों औद्योगिक क्षेत्रों की इकाईयों का अपशिष्ट पानी विश्वविद्यालय परिसर में जमा हो रहा है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है, वहीं आसपास के क्षेत्र में भयंकर दुर्गंध आती है।**

28. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने उच्छिष्ठ जल (गंदगी व गंदा पानी) जमा होने के कारण कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र जारी नहीं हो सकता है? जिसके संदर्भ में खाद्य कारोबार का अनुज्ञापत्र व पंजीयन विनियम 2011 के शिड्यूल–4 का अवलोकन किया जा सकता है।

29. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग से प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की (रीको) द्वारा खुली अवहेलना की जा रही है। जिसके संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा (रीको) **Show Cause नोटिस** क्रमांक F-14 Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg/736-738 दिनांक 02.09.2020 को जारी किया गया है?

General Manager
RIICO Ltd.
Karni Industrial Area,
Bikaner.

Date : 02.09.2020

Sub.: Show Cause notice for intended prosecution under section 43/44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 in rexpect of Karni Industrial Area, Bikaner

Ref.: 1. Environment clearance issues by SEIAA, Rajasthan vide letter dated 11.04.2017.
2. Consent to establish issued vide this office letter dated 17.01.2012.

1. Whereas, the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as the "Water Act") came into force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974.
2. And whereas, the Water Act has been enacted to provide for the prevention and control of water pollution and for mainintaing and restoring then wholesomensess of water.
3. And whereas, keeping this in view, the Rajasthan State Pollution Control Board thereinafter called as the "Board") has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention and control of water pollution and for maitaining and restoring the wholesomeness of water.
4. And whereas, an industrial area namely, Karni Industrial Area has been established at Bikaner by RIICO Ltd. (hereinafter called as the "Project Proponent").
5. And whereas during operation of industries in the Karni Industrial Area effluent is generated and discharged into the environment.
6. And whereas section 24 of the Water Act provides that no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determined in accordance with such standards as may be laid down by the Board, to enter into any stream or well or sewer or on land.
7. And whereas, section 25/26 of the Water Act provides that no person shall without the previous consent of the Board establish or take any steps to establish, any industry, operation or process of any treatment and disposal system or any extension or addition

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No. 177 GOVT. OF INDIA

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (RAJ.)

☎ 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(32)

thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or begin to make any new discharge of sewage or trade effluent.

8. And whereas consent to establish under the Wate Act was granted vide this office letter dated **17.01.2012** subject to the conditions inter-alia that environmental clearance shall be obtained from SEIAA for installation of CETP. The consent to establish was **valied upto 30.11.2014**.

9. And whereas, the Environment Clearance has been granted to the Project Proponent vide letter dated 11.04.2017 subject to the conditions inter-alia that all the industries shall be zero discharge units and should have their own self sufficient effluent treatment plants and the treated effluent should be reused in their own premises.

10. And whereas, the karni Industrial Area was inspected on 26.06.2020 by officials of the Board and during inspection it was observed that-
    i. That common effleucnt treatment plant (CETP) has not been established for treatment of effluent generated from the Karni Industrial Area and the effluent generated/ discharged by the industries located in the karni Industrial area is discharged on open land without any treatment.
    ii. That sewage treatment plant has not been installed for the treatment of sewage generated from the industrial area.
    iii. **That the Project Proponent has failed to comply with the conditions no Aa1, Aa7, Aa11, Aa39, Ab1, Ab2, Ab5, Ab7, Ab9, Ab12, Ab14, Ab16, Ab22 and B2 imposed in the Environment Clearance granted by SEIAA vide letter F14(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt./ Project/Cat(C)978/15-16 dated 11.04.2017.**

11. And whereas, the Project Proponent has not applied for renewal of consent to establish or cosent to operate under the Water Act.

12. And whereas above observation show that the Project Proponent has failed to comply with conditions of environmental clearance and consent to establish and also has been violating the provisions of the Water Act.

13. And whereas, the industry has failed to comply the provisions of the Water Act which have been viewed seriously by the Board.

14. And whereas, contravention of the provisions of section 24 and section 25/26 of the Water Act is a criminal offence, punishable under section 43 & 44 of the Water Act.

Therefore, the Board, in view of above stated non-compliances and violation of the provisions of the Water Act, intends to initiate prosecution under section 43/44 of the Water Act against the Project Proponent and officers responsible for its affairs.

In case you have any submissions/reply against the aforesaid legal action, you may submit your reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 30.09.2020 failing which the Board shall initiate **legal prosecution** under the provisions of the Water Act without any further notice.

This bears approvals of the competent authority.

S/d
(Niraj Mathur)
GIC (Liquied Waste)

F.14/Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg 736-738 Date : 02.09.2020

Copy of the following for information and necessary action:-

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner for information. Please ensure delivery of this notice to the Project Propoent. The discharge of effluent by individual industries outside the premises is violation of EC conditons; please fowarded cases of such non-compliant industries to the concerned Group for necessary action.
2. Master file.

S/d
GIC (Liquid Waste)

30. यह है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ द्वारा File No. : II/ENV/Com-R/1990-Part-II/1007 दिनांक 22.09.2020 के तहत (रीको लि. बीकानेर) पत्र जारी किया गया है जो निम्नानुसार है:–

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय,
आर आई आई सी ओ लिमिटेड,
औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल,
बीकानेर, राजस्थान– 334006

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

जगदीशनारायण
25.8.21

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
(33)
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

विषय : **पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना** के जांच के सम्बन्ध में।

संदर्भ : प्रार्थना पत्र संख्या शून्य पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति संख्या F1(4)/SEIAA/SEAC RAJ/Sectt./Project/ Cat.7(c) (978)/15-16 दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के आधार पर आप से निम्नलिखित सूचनाएं अपेक्षित की जा सकती है।

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजस्थान द्वारा दी गई **CTE** की छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. **Common Effluent Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
3. **Sewage Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
4. औद्योगिक क्षेत्र करणी में जल की निकासी हेतु क्या प्रावधान/व्यवस्था की गयी है। इससे सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध करायें।
5. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई **CTO** की छाया प्रति उपलब्ध करायें।
6. **EIA Notification 2006** के अनुसार छमाही अनुपालना आख्या की स्थिति के बारे में अवगत करायें।
7. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के संदर्भ में **सम्पूर्ण निवेश** की जानकारी उपलब्ध करायें।
8. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) बीकानेर के सामने पिछले **7 वर्षों से जमा प्रदूषित जल** को निवारण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायें।

उपरोक्त शिकायत से सम्बन्धित दस्तावेज/आख्या इस कार्यालय के पत्र प्राप्त होने के पांच दिन के अन्दर उपलब्ध करायें।

भवदीया,
S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –(डी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :–
1. श्री देव किशन गावलानी पुत्र स्व. दयाराम गावलानी, 2–बी–18, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, पवनपुरी, बीकानेर।
2. निदेशक (मॉनीटरिंग सेल), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आई.ए. डिवीजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली– 110003
3. सदस्य सचिव, SEIAA, राजस्थान 4–इन्स्टीट्यूशनल एरिया, झलाना डूंगरी, जयपुर–302004, राजस्थान।

S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –(डी)

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 177 6/8/2025 GOVT. OF INDIA

31. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा F.14/Tech/Bikaner(45)/RPCB/B&C/ 1339-1341 Date **05.10.2020** के तहत आपको (रीको लि.) को Show Cause Notice जारी किया है जो निम्नानुसार है:–

To,

M/s RIICO Ltd.
Industrial Area Karni Extension, Bichhwal,
Village- Chak Garbi & 7 BKM,
Tehsil & District- Bikaner, Rajasthan.

Sub.: **Show cause notice** for intended legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act. 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 for your industrial area development plan, **"Karni Extension"** at Bichhwal, Bikaner.

Ref.: a) Compliance received from Mr. Devkishan Gawlani vide letters dated 09.01.2020, 25.01.2020, 20.03.2020, 07.07.2020, 20.07.2020 and 24.07.2020 for not obtaining consent from RSPCB for said project and for non-compliances of Environmental Clearance dated **11.04.2017**.

b) **Inspection of until dated 20.06.2020**

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)
25.8.21

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NB™ SINCE : 1977

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(34)

Sir,

This is without prejudice to the right of the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as 'the Board') to initiate proceeding under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as 'the **Water Act**') and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter called as 'the **Air Act**') for violation of various provisions of the Act here-in-after shown:-

1. Whereas the Water Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974 and the Air Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 16.05.1981.
2. And whereas, the said Water and Air Act are enacted to provide for the prevention & control of Water and Air pollution and for the maintaining and restoring the wholesomeness of Water and Air.
3. And whereas, keeping this in view the Board has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention, control & abatement of water and air pollution.
4. And whereas, section 21 of the Air Act and section 25/26 of the Water Act prohibit establishing or operating an industrial plant and discharge of air and water pollutants without obtaining prior consent of the State Board.
5. And whereas, the unit is engaged in extension of industrial area development project (Karni Industrial Area) at Bichhwal, Bikaner, that is covered under orange category project for consent mechanism of State Board in compliance of Water Act and Air Act.
6. And whereas, the unit is operating without valid consent from State Board as earlier Consent to establish dated **30.01.12 has been expired** on **30.11.14** and unit has not applied again for consent to establish as well as for **Consent to operate as per MIS record.**
7. And whereas, the said project was inspected by Board Officials of Regional Office Bikaner on **26.06.2020** and during inspection it has been confirmed that unit has **started construction work without prior consent under Air Act and Water Act from State Board.**
8. And whereas, various complains has been received against the unit and same has been verified by Board Officials of Regional Office Bikaner in their inspection report dated **17.07.2020** along with non-compliances of Environmental Clearance dated 11.04.12017.
9. And whereas, from the available record of the unit and after examining the inspection report following non compliance has been observed-
   a. That the unit has not applied for consent to establish as earlier CTE issued from State Board vide letter dated **30.01.12** has been **expired on 30.11.14**.
   b. That the unit has started construction work **without** obtaining prior consent to operate from State Board.
   c. That the unit has not installed **CETP** for treatment for industrial effluent as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017 to ensure ZLD condition
   d. That the unit has **not installed** STP as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017.
   e. That the unit has **not maintained** proper drainage system to avoid water logging during rainy season.
   f. That the untreated effluent from woollen scouring and food processing units was found spilled and creating nuisance in nearby area.
   g. That the unit has **not complied** all conditions of Environmental clearance dated 11.04.2017 and also not submitted six monthly compliance reports of the same.
10. And whereas, it is clear from the above observed non-compliances that the industry has failed to comply the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act. 1974 and air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 which have been viewed seriously by the Board.

Therefore, the Board, in order to prevent further non-compliance of the provisions of the Air Act and the Water Act, directs you to stop the construction work at site with immediate effect and intends to initiate legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

In case you have any objection against the aforesaid legal action, you may submit you reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 28.10.2020 failing which the Board shall initiate legal prosecution against the

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No 177 6/8/2025

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
25.8.24
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

35

unit and its occupiers under the provisions of the Air Act and the Water Act without any further notice.

This bears approval of competent authority.

Yours sincerely,
S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

Copy to following for information and necessary action,

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner with request to verify the reply submitted by the unit, if any. Also ensure delivery of this notice to the industry.
2. Master file of Show cause notice.

S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

32. यह है कि रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के संदर्भ में रीको के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका सं. **10600/2020** दायर की गई है। न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको, बीकानेर/प्रबन्धक निदेशक जयपुर को नोटिस जारी किया गया है। उपरोक्त जनहित याचिका मान० न्यायालय मे विचाराधीन है।

33. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा रीको बीकानेर को दिनांक **02.09.2020, 22.09.2020, 05.10.2020** **Show Cause नोटिस** जारी किये गये हैं।

34: यह कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी नोटिस दिनांक 02.09.2020 के संदर्भ मे रीको लि0 बीकानेर द्वारा प्रेषित जवाब दिनांक 30.09.2020 मे अंकित तथ्यों, साक्ष्यो का सत्यापन/जांच प्रदूषण मण्डल द्वारा नही करवायी गयी है

35: यह कि पर्यावरण स्वीकृति मे अंकित शर्तो/नियमो की खुली अवहेलना के संदर्भ मे **श्रीमति वीनू गुप्ता** अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा अर्धशष्कीय पत्र संख्या **DO No. F-14 (Tech-Bikaner) CETP-51/RPCB/LW/386 Date 13.07.2021** श्री आशुतोष पेडनेकर प्रबंधक निदेशक रीको लि0 जयपुर को जारी किया गया है।

36. यह है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर/पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा जारी **नोटिसों/अर्धशष्कीय पत्र** का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 की **खुली अवहेलना की जा रही है।**

37. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 की **खुली अवहेलना के कारण** भविष्य में **National Green Tribunal भोपाल/नई दिल्ली** द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की **कार्यवाही** की जा सकती है? जिससे कम्पनी को भारी **आर्थिक/मानसिक** नुकसान हो सकता है?

38 महोदय जी बिन्दु सं. 1 से 37 में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों का अवलोकन कर रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिनांक 11.04.2017 की पिछले 52 माह से की जा रही खुली अवहेलना के सम्बन्ध में **आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही** करने की कृपा करें,

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु संख्या 1 से 38 मे अंकित तथ्यो, साक्ष्यो का अवलोकन कर **प्राकृतिक न्याय** के सिद्वांतो को ध्यान मे रखते हुये आवश्यक जांच/सत्यापन/कार्यवाही करने की कृपा करे जो कि न्याय के हित मे होगा। जिससे कम्पनी **बिना किसी डर/भय** के आवंटित भूखण्डों पर खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित कर **3962.00 लाख** का निवेश करते हुए **250 व्यक्तियों** को रोजगार प्रदान कर सके। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देंवे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

धन्यवाद।

प्रार्थी, नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.
नारायणदास
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

EK980401375IN IVR:6982780401375 भारतीय डाक
SP PC BIKANER RMS COUNTER (3)
Counter No:2,26/08/2021,17:56
To:SHREYA GUHA,CHIEF SEC
PIN:302005, Rajasthan Secretariat S.O
From:M/S NAGAD NARAYAN,B I A
Wt:114gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)
India Post

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
TW 14/07/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

36

Gmail

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>

URGENT LETTER FOR NECESSARY ACTION

nagadnarayan <nagadnarayan@gmail.com> Fri, Aug 27, 2021 at 11:07 AM
To: env_raj@yahoo.co.in

Dear Madam
With Reference to Subject Above Kindly Find Enclosed Urgent Letter No: 3995, Dated 25.08.2021 for Necessary Action Against the RIICO (Bikaner Office) for Violation & Non Compliance of Environment Clearance No. 978, Dated 11.04.2017 Issued by SEIAA (Rajasthan) .

Thanking you
Regards
Nagad Narayan Agro Foods Pvt Ltd
Bikaner (Rajasthan)

Principal Sec Environment Dept Rajasthan.pdf
6836K

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

NOTARY
GOVT. OF INDIA

ANX-5

☎: 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

क्रमांक : 4010 **अतिआवश्यक प्रतिवेदन** दिनांक : 27.08.2021

सेवा में,

श्रीमान महाप्रबंधक (सिविल)
रीको लि0
राजस्थान सरकार
उधोग भवन तिलक मार्ग
जयपुर (राज)

विषयः **पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की खुली अवहेलना के संदर्भ मे।**
प्रसंगः **आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही करने के संदर्भ मे ।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा कम्पनी को पत्र क्रमांक 2583 दिनांक **07.09.2012** रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(W) के तहत Preferential Allotment भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 **करणी औद्योगिक क्षेत्र** विस्तार (Project) बीकानेर में खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने/**3962=00 लाख** रुपये का निवेश करने हेतु आवंटित किये गये थे। उक्त करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में रीको कार्यालय बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिं0 11.04.17 की खुली अवहेलना से सम्बन्धित मुख्य तथ्य, साक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैः–

1. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से **Environment Clerance** प्राप्त किये बिना कम्पनी को भूखण्ड **07.09.2012** को आवंटित कर दिये। जो कि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र क्रंमाक J-11013/41/2006/IA.II(I) दिनांक 19.08.10 की अवहेलना है।

2. यह है कि **पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना** रीको बीकानेर ने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में अप्रैल 2012 में आवंटित भूखण्डों पर बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लि. कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने हेतु **फरवरी 2014** में बिल्डिंग निर्माण/बिजली/पानी/ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु **अनुमति जारी की गई है।**

3. यह है कि रीको बीकानेर करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक **21.05.2014** (**20 माह पश्चात**) को पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया गया।

4. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर को स्थापित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल जयपुर से Consent to Establish दिनांक 17.01.2012 को प्राप्त की गई थी **जो कि 30.11.2014 तक वैद्य थी Consent to Establish प्राप्त किये बिना रीको द्वारा सिविल कार्य 2021 तक करवाये जा रहे है।**

5. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में दिनांक **27.04.2016** को प्रातः 11.00 बजे बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र रीको कार्यालय में एक जन सुनवाई की बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

6: यह कि पर्यावरण स्वीकृति के संबध मे आयोजित **जनसुनवाई दिनाक 27.04.2016 से पूर्व** करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर मे एक खाद्य पदार्थ इकाई ने अपना उत्पादन आरंभ कर दिया गया था जो कि एक **जांच का विषय है।**

7. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा **जन सुनवाई की सूचना** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन/ करणी इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/बीछवाल औद्योगिक संघ तथा पूर्व में आवंटित भूखण्ड के मालिक (नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.) को **प्रेषित नहीं की गई,** जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त **जनसुनवाई पूर्व नियोजित योजना के तहत संचालित की गयी थी।** जो कि भारत सरकार द्वारा गजट मे प्रकाशित अधिसूचना दिनाक 01.12.2009 की पूर्णता अवहेलना है।

8. यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. (एस.सी. गर्ग) ने दिनांक **27.04.2016** को जनसुनवाई के दौरान **आम जनता** के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले नो वर्षो से **प्रदूषित उच्छिष्ठ जल** (गंदगी एवं गंदे पानी) **1,48,000 वर्गमीटर** के दायरे में जमा है।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
27.8.21
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

38

(जिसके संबध मे फोटो एंव रिपोर्ट संलग्न है) उक्त **प्रदूषित उच्छिष्ठ जल** के समाधान हेतु **CETP** स्थापित करने के लिये **2600=00 लाख** एवं एसटीपी स्थापित करने के लिये **175=00 लाख** का बजट के परियोजना मे प्रावधान की घोषणा की गई थी।

9. यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, (एस.सी. गर्ग) रीको लि. बीकानेर ने दिनांक **27.04.2016** को जनसुनवाई के दोरान आम जनता के सामने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर में स्थापित होने वाले **खाद्य पदार्थ** इकाईयों/अन्य इकाईयों के संदर्भ में **Zero Liquid Discharge की घोषणा नहीं की गई थी ?**

10. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु **एस.सी. गर्ग पुत्र श्री बी.एम. गर्ग** आयु 48 वर्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 27.09.2016 को एक लीगल अण्डरटेकिंग पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर में प्रस्तुत की गई थी।

11. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. **978** दिनांक **11.04.2017** के बिन्दु सं. पार्ट A (1) (5) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि –

Part A : SPECIFIC CONDITION

1. CONSTRUCTION PAHSE

5. The P.P. (**RIICO**) shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment Management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE as envisaged, the P.P. shall invest at least an amount of Rs. **4277.29** lacs (**before the project is put into use**) for implementing various environmental protection measures.

A. Environment Plant along with Budgetary breakup.
1. **Setting up CETP** invest in 2600 lacs
2. **Setting up of STP** for treating domestic waste water up to reused level of residential area, commercial area and institutional area (upto 1 M1D capacity) invest in 300.00 lacs
3. Development of land fill site waste disposal invest in 300.00 lacs
4. Laying of internal effluent conveyance system invest 800.00 lacs
5. EIA Study and allied work under head of provision of EIA Study invest 25.00 Lacs
6. Arboriculture invest 371.37
7. Construction of piezometric wells invest As per need
8. Rainwater harvesting invest 5.92

Total Invest 4277.29 lacs.

12. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में Proposed Enviornment Plan में **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **16.08.2021** तक रीको बीकानेर द्वारा नहीं किया गया है?

13. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि PP shall (RIICO) invest at least an amount of Rs. 4277.29 lacs (**before the project is put into use**) ? for implementing various environmental protection measures.

14. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति में अंकित शर्तों की **अनुपालना किये बिना** करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को रीको बीकानेर द्वारा आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

15. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर से **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना है।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NB TM SINCE : 1977
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

39

16. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गलत/भ्रमित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है कि **Consent to Operate** रीको पर लागू नहीं है। जिसके संदर्भ में रीको सलाहकार (इन्फ्रा) द्वारा जारी सर्कुरल नं. IPI/P-5/2013/46/880 दिनांक 02.05.2016 में अंकित है कि –

The corporation has to receive Consent to Establish/Consent to Operate as per relevant Water and Air Act for **new industrial areas** from RSPCB. These consents are issued by the RSPCB with certain condition stipulated therein. Some of these conditions are related to allotment of land/individual industrial unit whereas some other conditions are related to development of the industrial areas. In order to ensure compliance of conditions stipulated in Consent to Establish/Consent to Operate for industrial areas issued by RSPCB, all unt heads are directed as under

S/d
(Lalit Kumar)
Advior (Infra)

17. उपरोक्त सर्कुरल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर को **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना रीको बीकानेर द्वारा प्रोजेक्ट को **आरम्भ** करना पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिनांक 11.04.2017 की खुली अवहेलना है।

18. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **138 मीटर** की दूरी पर **1,02,610 वर्गमीटर** के दायरे में **उच्छिष्ठ जल (गंदा पानी एवं गंदगी)** पिछले नो वर्षों से जमा है। जिसके संदर्भ में कम्पनी रीको / प्रदूषण विभाग को पिछले **20 माह से** सूचित कर रही है। जिसके संदर्भ में रीको बीकानेर ने पत्र क्रमांक 607 दिनांक 10.08.2020 के तहत सूचित किया कि– करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के सामने पिछले नो वर्षो से **जमा उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार** हेतु रीको द्वारा कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है।

19. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरण विभाग को प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि–

The Responsibility of RIICO will be site development, infrastructure Development and allotment of Plots for Industrial Units,

- Major and Arterial Roads
- **Strom Water Drainage System**
- Power Station (GSS) and Electric Supply Line
- Green Area
- **Common Effluent Treatment Plant**
- **Common Solid and Hazardous Waste Management Area (Land Fill)**

20. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 में उपरोक्त अंकित तथ्यों के अवलोकन के अनुसार करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में **CETP स्थापित करने की जिम्मेदारी रीको की होती है?**

21. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा सूचित किया गया कि उच्छिष्ठ जल (गंदे पानी) के उपचार हेतु करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन बीकानेर को 1/– रुपये की टोकन राशि पर भूखण्ड सं. एस.पी. 501 **(24282 वर्गमीटर)** भूमि का आवंटन दिनांक 26.07.2018 को किया गया है।

22. यह है कि उपरोक्त **फाउण्डेशन** द्वारा आवंटित भूखण्ड पर **CETP** स्थापित करने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य 25.08.2021 (3 वर्ष) तक चालू नहीं किया गया है तथा (रीको) के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका सं. 3205/2020 दायर कर रखी है। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए रीको बीकानेर को दिनांक 06.03.2020 को नोटिस जारी कर रखा है। जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर मे विचाराधीन हैं।

23. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पिछले **20 माह** से कम्पनी/जिला कलक्टर/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर/जयपुर को अपने पत्रों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Projet) बीकानेर में **CETP** करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन द्वारा स्थापित किया जायेगा।

NOTARY GOVT. OF INDIA BIKANER R.No 171 8/8/2025
Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)
नागदनारायण
PHOTO COPY ATTESTED
14/10/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

40

24. यह है कि **करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन** द्वारा पत्र दिनांक **02.09.2020, 24.09.2020** के तहत रीको बीकानेर को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि **CETP स्थापित** करने हेतु 3400=00 लाख राशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें?

25. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति 978 दिनांक **11.04.2017** में प्रस्तावित CETP स्थापित करने हेतु **2600=00 लाख** राशि का प्रावधान रीको बीकानेर द्वारा रखा गया था । उपरोक्त आरक्षित राशि फाउण्डेशन को दिंनाक **07.08.2021** तक उपलब्ध नहीं करवाई गयी है, जिसकी पुष्टी करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्उडेशन ने अपने पत्र दिंनाक 07.08.2021 के तहत की है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

26. यह है कि करणी बीकानेर वाटर एनवायरो फाण्उडेशन ने अपने पत्र दिंनाक 07.08.2021 मे स्पष्ट रूप से अकिंत किया है कि **राशि के अभाव मे CETP स्थापित करना संभव नही है।**

27. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **138** वर्गमीटर की दूरी पर **1,02,610** वर्गमीटर के दायरे में जमा उच्छिष्ठ जल (गंदगी एवं गंदा पानी) पिछले **नो वर्षो/बीस वर्ष से जमा है जिसकी पुष्टि स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर** ने पत्र क्रमांक एफ01/विशेष अधिकारी/स्वाकेराकृवि/2020/178 दिनांक 10.11.2020 के तहत की है पत्र की विवेचना करना आवश्यक होगा–

> **कुलपति प्रो. सिंह ने बताया कि पिछले लगभग बीस वर्षों से दोनों औद्योगिक क्षेत्रों की इकाईयों का अपशिष्ट पानी विश्वविद्यालय परिसर में जमा हो रहा है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है, वहीं आसपास के क्षेत्र में भयंकर दुर्गध आती है।**

28. यह है कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने **उच्छिष्ठ जल** (गंदगी व गंदा पानी) जमा होने के कारण कम्पनी को खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में **केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र** जारी नहीं हो सकता है? जिसके संदर्भ में खाद्य कारोबार का अनुज्ञापत्र व पंजीयन विनियम 2011 के **शिड्यूल–4** का अवलोकन किया जा सकता है।

29. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग से प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की (रीको) द्वारा **खुली अवहेलना** की जा रही है। जिसके संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा (रीको) **Show Cause नोटिस** क्रमांक F-14 Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg/736-738 दिनांक **02.09.2020** को जारी किया गया है?

General Manager
RIICO Ltd.
Karni Industrial Area,
Bikaner.

Date : 02.09.2020

Sub.: Show Cause notice for intended prosecution under section 43/44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 in rexpect of Karni Industrial Area, Bikaner

Ref.: 1. Environment clearance issues by SEIAA, Rajasthan vide letter dated 11.04.2017.
2. Consent to establish issued vide this office letter dated 17.01.2012.

1. Whereas, the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as the "Water Act") came into force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974.
2. And whereas, the Water Act has been enacted to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining and restoring then wholesomensess of water.
3. And whereas, keeping this in view, the Rajasthan State Pollution Control Board thereinafter called as the "Board") has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention and control of water pollution and for maitaining and restoring the wholesomeness of water.
4. And whereas, an industrial area namely, Karni Industrial Area has been established at Bikaner by RIICO Ltd. (hereinafter called as the "Project Proponent").
5. And whereas during operation of industries in the Karni Industrial Area effluent is generated and discharged into the environment.
6. And whereas section 24 of the Water Act provides that no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determined in accordance with such standards as may be laid down by the Board, to enter into any stream or well or sewer or on land.
7. And whereas, section 25/26 of the Water Act provides that no person shall without the previous consent of the Board establish or take any steps to establish, any industry, operation or process of any treatment and disposal system or any extension or addition

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or begin to make any new discharge of sewage or trade effluent.

8. And whereas consent to establish under the Wate Act was granted vide this office letter dated **17.01.2012** subject to the conditions inter-alia that environmental clearance shall be obtained from SEIAA for installation of CETP. The consent to establish was **valied upto 30.11.2014**.

9. And whereas, the Environment Clearance has been granted to the Project Proponent vide letter dated 11.04.2017 subject to the conditions inter-alia that all the industries shall be zero discharge units and should have their own self sufficient effluent treatment plants and the treated effluent should be reused in their own premises.

10. And whereas, the karni Industrial Area was inspected on 26.06.2020 by officials of the Board and during inspection it was observed that-
    i. That common effleucnt treatment plant (CETP) has not been established for treatment of effluent generated from the Karni Industrial Area and the effluent generated/ discharged by the industries located in the karni Industrial area is discharged on open land without any treatment.
    ii. That sewage treatment plant has not been installed for the treatment of sewage generated from the industrial area.
    iii. **That the Project Proponent has failed to comply with the conditions no Aa1, Aa7, Aa11, Aa39, Ab1, Ab2, Ab5, Ab7, Ab9, Ab12, Ab14, Ab16, Ab22 and B2 imposed in the Environment Clearance granted by SEIAA vide letter F14(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt./ Project/Cat(C)978/15-16 dated 11.04.2017.**

11. And whereas, the Project Proponent has not applied for renewal of consent to establish or cosent to operate under the Water Act.

12. And whereas above observation show that the Project Proponent has failed to comply with conditions of environmental clearance and consent to establish and also has been violating the provisions of the Water Act.

13. And whereas, the industry has failed to comply the provisions of the Water Act which have been viewed seriously by the Board.

14. And whereas, contravention of the provisions of section 24 and section 25/26 of the Water Act is a criminal offence, punishable under section 43 & 44 of the Water Act.

Therefore, the Board, in view of above stated non-compliances and violation of the provisions of the Water Act, intends to initiate prosecution under section 43/44 of the Water Act against the Project Proponent and officers responsible for its affairs.

In case you have any submissions/reply against the aforesaid legal action, you may submit your reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 30.09.2020 failing which the Board shall initiate **legal prosecution** under the provisions of the Water Act without any further notice.

This bears approvals of the competent authority.

S/d
(Niraj Mathur)
GIC (Liquied Waste)

F.14/Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg 736-738 Date : 02.09.2020

Copy of the following for information and necessary action:-

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner for information. Please ensure delivery of this notice to the Project Propoent. The discharge of effluent by individual industries outside the premises is violation of EC conditons; please fowarded cases of such non-compliant industries to the concerned Group for necessary action.
2. Master file.

S/d
GIC (Liquid Waste)

30. यह है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ द्वारा File No. : II/ENV/Com-R/1990-Part-II/1007 दिनांक 22.09.2020 के तहत (रीको लि. बीकानेर) पत्र जारी किया गया है जो निम्नानुसार है:–

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय,
आर आई आई सी ओ लिमिटेड,
औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल,
बीकानेर, राजस्थान– 334006

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ

☎: 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(42)

विषय : **पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना** के जांच के सम्बन्ध में।
संदर्भ : प्रार्थना पत्र संख्या शून्य पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति संख्या F1(4)/SEIAA/SEAC RAJ/Sectt./Project/ Cat.7(c) (978)/15-16 दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के आधार पर आप से निम्नलिखित सूचनाएं अपेक्षित की जा सकती है।

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजस्थान द्वारा दी गई **CTE** की छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. **Common Effluent Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
3. **Sewage Treatment Plant** की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करायें।
4. औद्योगिक क्षेत्र करणी में जल की निकासी हेतु क्या प्रावधान/व्यवस्था की गयी है। इससे सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध करायें।
5. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई **CTO** की छाया प्रति उपलब्ध करायें।
6. **EIA Notification 2006** के अनुसार छमाही अनुपालना आख्या की स्थिति के बारे में अवगत करायें।
7. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के संदर्भ में **सम्पूर्ण निवेश** की जानकारी उपलब्ध करायें।
8. करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) बीकानेर के सामने पिछले **7 वर्षो से जमा प्रदूषित जल** को निवारण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायें।

उपरोक्त शिकायत से सम्बन्धित दस्तावेज/आख्या इस कार्यालय के पत्र प्राप्त होने के पांच दिन के अन्दर उपलब्ध करायें।

भवदीया,
S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –(डी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :–
1. श्री देव किशन गावलानी पुत्र स्व. दयाराम गावलानी, 2–बी–18, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, पवनपुरी, बीकानेर।
2. निदेशक (मॉनीटरिंग सेल), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आई.ए. डिवीजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली– 110003
3. सदस्य सचिव, SEIAA, राजस्थान 4–इन्स्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूंगरी, जयपुर– 302004, राजस्थान।

S/d
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक –¼डी½

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 177 ...3/8/2025 GOVT. OF INDIA

31. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा F.14/Tech/Bikaner(45)/RPCB/B&C/ 1339-1341 Date **05.10.2020** के तहत आपको (रीको लि.) को Show Cause Notice जारी किया है जो निम्नानुसार है:–

To,

M/s RIICO Ltd.
Industrial Area Karni Extension, Bichhwal,
Village- Chak Garbi & 7 BKM,
Tehsil & District- Bikaner, Rajasthan.

Sub.: **Show cause notice** for intended legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act. 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 for your industrial area development plan, **"Karni Extension"** at Bichhwal, Bikaner.

Ref.: a) Compliance received from Mr. Devkishan Gawlani vide letters dated 09.01.2020, 25.01.2020, 20.03.2020, 07.07.2020, 20.07.2020 and 24.07.2020 for not obtaining consent from RSPCB for said project and for non-compliances of Environmental Clearance dated **11.04.2017**.

b) **Inspection of until dated 20.06.2020**

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. ★ Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ ☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
(43)

NB SINCE : 1977

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

Sir,

This is without prejudice to the right of the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as 'the Board') to initiate proceeding under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as 'the **Water Act**') and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter called as 'the **Air Act**') for violation of various provisions of the Act here-in-after shown:-

1. Whereas the Water Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974 and the Air Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 16.05.1981.
2. And whereas, the said Water and Air Act are enacted to provide for the prevention & control of Water and Air pollution and for the maintaining and restoring the wholesomeness of Water and Air.
3. And whereas, keeping this in view the Board has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention, control & abatement of water and air pollution.
4. And whereas, section 21 of the Air Act and section 25/26 of the Water Act prohibit establishing or operating an industrial plant and discharge of air and water pollutants without obtaining prior consent of the State Board.
5. And whereas, the unit is engaged in extension of industrial area development project (Karni Industrial Area) at Bichhwal, Bikaner, that is covered under orange category project for consent mechanism of State Board in compliance of Water Act and Air Act.
6. And whereas, the unit is operating without valid consent from State Board as earlier Consent to establish dated **30.01.12 has been expired** on **30.11.14** and unit has not applied again for consent to establish as well as for **Consent to operate as per MIS record.**
7. And whereas, the said project was inspected by Board Officials of Regional Office Bikaner on **26.06.2020** and during inspection it has been confirmed that unit has **started construction work without prior consent under Air Act and Water Act from State Board.**
8. And whereas, various complains has been received against the unit and same has been verified by Board Officials of Regional Office Bikaner in their inspection report dated **17.07.2020** along with non-compliances of Environmental Clearance dated 11.04.12017.
9. And whereas, from the available record of the unit and after examining the inspection report following non compliance has been observed-
   a. That the unit has not applied for consent to establish as earlier CTE issued from State Board vide letter dated **30.01.12** has been **expired on 30.11.14**.
   b. That the unit has started construction work **without** obtaining prior consent to operate from State Board.
   c. That the unit has not installed **CETP** for treatment for industrial effluent as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017 to ensure ZLD condition
   d. That the unit has **not installed** STP as proposed in Environmental Clearance dated 11.04.2017.
   e. That the unit has **not maintained** proper drainage system to avoid water logging during rainy season.
   f. That the untreated effluent from woollen scouring and food processing units was found spilled and creating nuisance in nearby area.
   g. That the unit has **not complied** all conditions of Environmental clearance dated 11.04.2017 and also not submitted six monthly compliance reports of the same.
10. And whereas, it is clear from the above observed non-compliances that the industry has failed to comply the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act. 1974 and air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 which have been viewed seriously by the Board.

Therefore, the Board, in order to prevent further non-compliance of the provisions of the Air Act and the Water Act, directs you to stop the construction work at site with immediate effect and intends to initiate legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

In case you have any objection against the aforesaid legal action, you may submit you reply to this office along with a copy to Regional Office, Bikaner by 28.10.2020 failing which the Board shall initiate legal prosecution against the

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025

नागरनारायण

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(44)

unit and its occupiers under the provisions of the Air Act and the Water Act without any further notice.

This bears approval of competent authority.

Yours sincerely,
S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

Copy to following for information and necessary action,

1. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner with request to verify the reply submitted by the unit, if any. Also ensure delivery of this notice to the industry.
2. Master file of Show cause notice.

S/d
V.S. Brijvasi
(SEE and GIC B&C)

32. यह है कि रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के संदर्भ में रीको के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका सं. **10600/2020** दायर की गई है। न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको, बीकानेर/प्रबन्धक निदेशक जयपुर को **नोटिस** जारी किया गया है। उपरोक्त जनहित याचिका मान0 न्यायालय मे विचाराधीन है।

33. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति दिनांक **11.04.2017** की खुली अवहेलना/अविधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारो रीको बीकानेर को दिनांक **02.09.2020, 22.09.2020, 05.10.2020** **Show Cause नोटिस** जारी किये गये हैं।

34: यह कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी नोटिस दिंनाक 02.09.2020 के संदर्भ मे रीको लि0 बीकानेर द्वारा प्रेषित जवाब दिंनाक 30.09.2020 मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो का सत्यापन/जांच प्रदूषण मण्डल द्वारा नही करवायी गयी है

35: यह कि पर्यावरण स्वीकृति मे अकिंत शर्तो/नियमो की खुली अवहेलना के संदर्भ मे **श्रीमति वीनू गुप्ता** अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा अर्धशष्कीय पत्र संख्या **DO No. F-14 (Tech-Bikaner) CETP-51/RPCB/LW/386 Date 13.07.2021** श्री आशुतोष पेडनेकर प्रबंधक निदेशक रीको लि0 जयपुर को जारी किया गया है।

36. यह है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर/पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा जारी **नोटिसों/अर्धशष्कीय पत्र** का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 की **खुली अवहेलना की जा रही है।**

37. यह है कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 की **खुली अवहेलना के कारण** भविष्य में **National Green Tribunal भोपाल/नई दिल्ली** द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की **कार्यवाही** की जा सकती है? जिससे कम्पनी को भारी **आर्थिक/मानसिक** नुकसान हो सकता है?

38 महोदय जी बिन्दु सं. **1 से 37** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों का अवलोकन कर रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की पिछले 52 माह से की जा रही खुली अवहेलना के सम्बन्ध में **आवश्यक जांच/सत्यापन/ कार्यवाही** करने की कृपा करें,

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु संख्या **1 से 38** मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो का अवलोकन कर **प्राकृतिक न्याय** के सिद्वांतो को ध्यान मे रखते हुये आवश्यक जांच/सत्यापन/कार्यवाही करने की कृपा करे जो कि न्याय के हित मे होगा। जिससे कम्पनी **बिना किसी डर/भय** के आवंटित भूखण्डों पर खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित कर **3962.00 लाख** का निवेश करते हुए **250 व्यक्तियों** को रोजगार प्रदान कर सके। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देंवे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

धन्यवाद।

ER159233184IN (VR:6982159253184
SP PO BIKANER RMS COUNTER भारतीय डाक
Counter No:2,20/08/2021,20:
To:G M ,RIICO LTD
PIN:302005, Rajasthan Secretariat
From:M/S NAGAD N,B I A
Wt:114gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

प्रार्थी, नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
14/10/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

45

Gmail

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>

URGENT LETTER FOR NECESSARY ACTION

nagadnarayan <nagadnarayan@gmail.com> Fri, Aug 27, 2021 at 10:26 PM
To: tarun.gupta@riico.co.in, vijaygupta@riico.co.in

Dear Sir

With Reference to Subject Above Kindly Find Enclosed Urgent Letter No: 4010, Dated 27.08.2021 for Necessary action Against RIICO (Bikaner Unit Office) for violation & non- compliance of Environmental Clearance No. 978, Dt. 11.04.2017 issued by State Level Environment Impact Assessment Authority, Rajasthan, for development of Karni Industrial Area (Ext) Bikaner.

Regards
Narayan Das Tulsani
Nagad Narayan Agro Foods Pvt Ltd
Bikaner

GM (CIVIL) RIICO.pdf
3669K

GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED

14/10/22

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

KARNI BIKANER WATER ENVIRO FOUNDATION

Regd Off: Karni Industrial Association Bhawan, Karni Industrial Area
Bikaner- 334006, Rajasthan ☎: 9351200058,
Email: karnienviro@gmail.com

(46)

दिंनाक: 07.08.2021

सैवा मे
श्री नारायण दास तुलसानी जी
मैसर्स नगद नारायण एग्रो फूडस प्रा लि0
ई-593 से 596 और एफ-609 से 615
करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार
बीकानेर (राज)

विषय: Common Effluent treatment Plant स्थापित करने के संदर्भ मे।

महोदय जी,
उपरोक्त विष्यान्तर्गत आप द्वारा अपने पत्र क्रंमाक 3821, दिं0 26.07.2021 फाउण्डेशन को प्रेषित करते हुये करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर मे भूखण्ड संख्या एसपी-501 पर Common Effluent Treatment Plant स्थापित करने के संबध मे जानकारी एंव स्पष्टीकरण चाहा गया है। उक्त संबध मे लेख है कि रीको लिमिटेड द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर मे आवटिंत भूखण्ड संख्या एसपी-501 पर Common Effluent treatment Plant स्थापित करने हेतु आरक्षित राशि फाउण्डेशन को दिंनाक 07.08.2021 तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिये आरक्षित राशि के अभाव मे फाउण्डेशन द्वारा Common Effluent Treatment Plant स्थापित करना संभव नही है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि जब तक रीको लिमिटेड द्वारा फाउण्डेशन को Common Effluent treatment Plant स्थापित करने के संबध मे आरक्षित राशि उपलब्ध नही करवायी जाती है तब तक फाण्उडेशन द्वारा Common Effluent Treatment Plant स्थापित करना संभव नही है।

!सादर!

वास्ते
करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन
महेश कुमार कोठारी
महेश कोठारी
(निदेशक)

NOTARY GOVT. OF INDIA

Photocopy
Self Attested

27.8.21

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ॐ

☎: 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(47)
Anx-6

क्रमांक : 5328 **अतिआवश्यक प्रतिवेदन** दिनांक : 06.02.2022

सेवा में,
श्रीमान् पी.के. गुप्ता
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक
रीको लिमिटेड
बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र,
बीकानेर (राज.)

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विषयः **पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 के Violation/ Non-Comploiance के संदर्भ में।**
प्रसग : **करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको जयपुर/बीकानेर द्वारा कम्पनी को पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 07.09.2012 रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(W) के तहत Preferential Allotment भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में खाद्य प्रदार्थ इकाई स्थापित करने/3962=00 लाख रुपये का निवेश करने हेतु आवंटित किये गये थे। उक्त करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिं0 11.04.17 जारी की गई थी, उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति का नोडल अधिकारी श्रीमान् वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि. बीकानेर को नियुक्त किया गया है। उक्त **Violation/Non-Compliance** के संदर्भ में मुख्य तथ्य, साक्ष्य, दस्तावेज आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार है :– (पर्यावरण स्वीकृति की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-1**

1. यह है कि रीको लिमिटेड बीकानेर द्वारा **Environment Clearance** प्राप्त किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में कम्पनी को 1 भूखण्ड तथा 6 भूखण्ड अन्य कम्पनियां को आवंटित किये गये। जिसका क्षेत्रफल 2,20,000 **वर्गमीटर** है जिसकी पुष्टि रीको बीकानेर द्वारा प्रेषित पत्र 21.05.2014 से होती है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-2**
2. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना भूखण्ड आवंटन करना **भारत** सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र क्रमांक J-11013/41/2006/IA.II(I) दिनांक 19.08.2010 **का Violation** है। (परिपत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-3**
3. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर में बिल्डिंग निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जो कि भारत सरकार के परिपत्र सं. J-11013/41/2006-IA.II(I) Ministry of Environemnt & Forests New Delhi दिनांक 12.12.2012 **का Violation है**। (परिपत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-4**
4. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2014 को पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
5. यह है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक जन–सुनवाई दिनांक 27.04.2016 को प्रातः 11.00 बजे बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में आयोजित की गई थी। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी **गजट** नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.2009/ भारत सरकार के पर्यावरण कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र सं.J-15012/29/IA-II(M) दिनांक 19.04.2010 में अंकित जन–सुनवाई प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। जो कि नोटिफिकेशन/परिपत्र का **Violation है।** (नोटिफिकेशन/परिपत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-5**
6. यह है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर पर्यावरण सम्बन्ध में **जन सुनवाई** की सूचना करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन/करणी इण्डस्ट्रीयल एसोसियेशन/बीछवाल औद्योगिक संघ तथा पूर्व में आवंटित भूखण्ड के निर्देशक नारायण दास तुलसानी (नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.) भूखण्ड सं. ई–593–596 एंव एफ 609 से 615 करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को **प्रेषित** नहीं की गई। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त जन–सुनवाई **पूर्व नियोजित योजना** के तहत संचालित की गई थी।

NOTARY Mohan Mo... BIKANER R.No 177 8/3/2025 GOVT. OF INDIA

Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

आरक्षित
6.2.22

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

7. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में आयोजित जन–सुनवाई दिनांक 27.04.2016 से पूर्व एक **Large** खाद्य पदार्थ इकाई ने दिनांक 31.03.2016 को अपना उत्पादन आरम्भ कर दिया था। जो कि **EIA Notification** 2006 **का Violation है।**

8. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Part-A के Sepcific Condition के बिन्दु सं. 5 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि PP shall (RIICO) invest at least an amount of Rs. **4277.29 Lacs (Before the project is put into use)** ? for implementing various environmental protection measures.

9. यह है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Part-A के बिन्दु सं. 5 की Compliance किये बिना परियोजना को आरम्भ कर दिया गया जो कि **EIA Notification 2006 का Violation है।**

10. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Part-A Specific Condition के बिन्दु सं. 28 में अंकित Permission of draw ground water, if any, shall be obtained from the CGWA/CGWB prior to construction/operation of the project रीको लि. द्वारा ग्राउण्ड वाटर की **परमिशन लिये बिना** प्रोजेक्ट को आरम्भ कर दिया है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 का Violation है।

11. यह है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में दिनांक 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** प्राप्त नहीं की गई तथा दिनांक 04.01.2022 तक **Consent to Operate** प्राप्त नहीं की गई है जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 की Non-compliance है। जिसके संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक F-14(17)RPCB/Meeting/PLG/477-491 दिनांक 14.05.2007 की विवेचना करना आवश्यक होगा। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-6**

12. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 में बिन्दु सं. 8 में परियोजना की कोस्ट 11444.32 लाख अंकित की गई है लेकिन रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 06.02.2022 तक 25 करोड़ राशि का निवेश किया गया है।

13. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा 89.44 लाख का निवेश दिनांक 03.02.2022 तक नहीं किया गया है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 की **Non-compliance है।**

14. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के II Operation Phase के बिन्दु सं. 23 के तहत 6 Monthly Compliance Status Report of the project पर्यावरण विभाग (SEEIA Rajasthan & RPCB Jaipur, MoEF Regional Office, Lucknow को प्रेषित नहीं की गई है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की **Non-Compliance** है।

15. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Violation/Non-compliance के संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड्ल, जयपुर द्वारा रीको लि. बीकानेर को Show Cause नोटिस/पत्र जारी किये गये जिनकी विवेचना करना आवश्यक होगा जो निम्नानुसार है –

(A) क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल **बीकानेर** द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर का निरीक्षण दिनांक 25.06.2020 को किया गया था। (निरीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-7**

(B) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सदंर्भ में रीको लि. बीकानेर को दिनांक 02.09.2020 को Show Cause Notice जारी किया गया। (Show Cause Notice की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-8**

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. BIKANER

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

.....3.

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

49

(C) भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में रीको लि. बीकानेर को दिनांक 22.09.2020 को पत्र जारी किया गया। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-9**

(D) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में रीको लि. बीकानेर को दिनांक 05.10.2020 को Show Cause Notice जारी किया गया। (Show Cause Notice की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-10**

(E) भारत सरकार के Ministry of Environment Forest and Climate Change New Delhi द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में Member Secretary SEIAA Rajasthan 4 Industrial Area, Jhalana, Doongri Jaipur को दिनांक 24.11.2020 को पत्र प्रेषित किया गया था। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-11**

(F) श्री वीनू गुप्ता IAS Chairperson राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में Shri Ashutosh A.T. Pendenkar Secretary, Industries & Managing Director RIICO Ltd. Udyog Bhawan, Tilak Marg, Road, C-Scheme Jaipur, Rajasthan को **अर्द्ध शासकीय पत्र** दिनांक 13.07.2021 को जारी किया गया। (अर्द्ध शासकीय पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-12**

(G) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिनांक 13.08.2021 को निम्न विभागों को पत्र जारी किया गया– (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-13**

1. सहायक शासन सचिव पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को पत्रांक प.5(2)/पर्या./1989/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 02.11.2020 के क्रम में।
2. डॉ. सत्या, संयुक्त निदेशक/वैज्ञानिक (डी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच. अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक File. No.II /ENV/Com-R/1990-Part-II/994 दिनांक 17.09.2020 के क्रम में ।
3. श्री एम.के. चौधरी AD & DH-PR डिवीजन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली–110032 को पत्र क्रमांक CB/PR/ PG20-21/3148 दिनांक 04.12.2020 के क्रम में।
4. श्री ताहीर हुसैन पुत्र श्री तौफीक, विमल भवन के पीछे, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर को पत्र क्रमांक 84 दिनांक 13.10.2021 के क्रम में।
5. शाखा प्रभारी पी.सी.वी./वी.टी.आर. शाखा, रा.प्र.नि.म. जयपुर को पत्र क्रमांक एफ–19(5)/रा.प्र.निम./वी.टी.आर. शिकायत/आर.ओ.बीका. / 3432 दिनांक 01.10.2021, 05.01.2021, 16.02.2021, 04,03,2021 एवं सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 07200268139541 के क्रम में ।

.....4.

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED 14/10/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ॐ
☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(50)

6. प्रभारी (MUID) RPCB Jaipur रीको को करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के लिये कनसेन्ट टू स्टेब्लिस पत्र दिनांक 17.01.2012 द्वारा जारी की गई थी। रीको द्वारा Environmental Clearance के लिये प्रस्तुत आवेदन/प्रस्ताव में पुराने करणी एवं बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र से जनित उच्छिष्ठ के लिए सी.ई.टी.पी. प्रस्तावित किया गया था एवं इस हेतु ई.एम.पी. में रुपये 26.00 करोड़ का प्रावधान भी किया था। रीको द्वारा सी.ई.टी.पी. स्थापित किये बिना औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित एवं संचालित करवाना Environmental Clearance में उल्लेखित शर्तो की **Non-compliance** है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(H) **Non-Compliance** के संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा रीको लि. बीकानेर को Show Cause Notice F.14/Tech/ Bikaner (45 RSPBC/B&C/2430-2432 दिनांक 04.01.2022 को जारी किया गया है। (Show Cause Notice की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-14**

16. यह कि **Violation/Non-Compliance** की परिभाषा के संदर्भ में **भारत सरकार** के परिपत्र सं. F.No. 22-21/2020-IA.III Ministry of Environment, Forest and Climate Change Impact Assessment Division नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 07.07.2021 की विवेचना करना आवश्यक होगा। (परिपत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-15**

17. यह कि पर्यावरण स्वीकृति की Violation/Non-compliance के संदर्भ में रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक जनहित याचिका सं. 10600/2020 दायर की गई है जो कि दिनांक 06.02.2022 तक विचाराधीन है।

18. यह कि कम्पनी द्वारा आवंटित भूखण्डों पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर **39.62 करोड़** का निवेश किया जाना प्रस्तावित है।

19. यह कि कम्पनी द्वारा आवंटित भूखण्डों पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर दिनांक **06.02.2022 तक 18.00 करोड़** का निवेश कर दिया है।

20. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 का **violation/Non-compliance** के कारण भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय द्वारा भविष्य में करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। जिससे कि कम्पनी की खाद्य प्रसंस्करण इकाई पर **विपरीत असर (आर्थिक/मानसिक नुकसान)** हो सकता है।

21. यह कि बिन्दु सं. 1 से 20 तक के तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 का **violation/Non-compliance** किया जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. 1 से 21 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच/सत्यापन कर **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **Violation/NonCompliance** के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। जिससे कम्पनी बिना किसी डर/भय के आवंटित भूखण्डों पर खाद्य पदार्थ स्थापित कर **39.62 करोड़** का निवेश करते हुए 250 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर सके। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देते हुए आपके/कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कम्पनी को सूचित करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

सधन्यवाद।

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

संलग्न : **Annexure 1 to 15**

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

PHOTO COPY

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No. 177 GOVT. OF INDIA

ANX-7

(57)

☎: 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

Office Copy

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

क्रमांक : 6461 **अतिआवश्यक प्रतिवेदन** दिनांक : 24.06.2022

सेवा में,
श्रीमान् अजय गुप्ता
अतिरिक्त महाप्रबन्धक सिविल (ई.एम. सैल)
रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर।

विषयः **39.62 करोड़ राशि के निवेश करने के संदर्भ में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु।**
प्रसंग : **करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में।**

आदरणीय ,महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा कम्पनी को पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 07.09.2012 रीको भू-निपटान नियम 1979 के नियम 3(W) के तहत 99 वर्ष की लीज के तहत Preferential Allotment भूखण्ड सं. ई-593 से 596 एवं एफ-609 से 615 करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने हेतु 39.62 करोड़ रुपये का निवेश करने हेतु आवंटित किये गये थे। उपरोक्त 39.62 करोड़ का निवेश करने हेतु कम्पनी को जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो निम्नानुसार हैः-

1. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित शर्तो की पालना के संदर्भ में कम्पनी को जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार है।
2. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 प्राप्त की गई थी। जिसकी Compliance/Monitering के लिये नोडल अधिकारी महाप्रबन्धक (सिविल) (ई.एम. सैल) रीको लि. जयपुर को नियुक्त किया गया था।

क्र. सं.	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित Specific Condition	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित Specific Condition के संदर्भ में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु
A.	यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट-ए, Specific Condition के कन्स्ट्रक्शन फेस के बिन्दु सं. 5 में अंकित है कि- The PP shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE, As envisaged, the **P.P. shall invest at least an amount of s. 4277.29 lacs (before the project is put into use)** for implementing various environmental protection measures.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनाक 11.04.2017 के पार्ट-ए, Specific Condition के बिन्दु सं. 5 में अंकित 4277.29 लाख का निवेश दिनांक **24.06.2022 (5 वर्ष तक) नहीं किया गया?** उपरोक्त निवेश किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर को दिसम्बर 2019 में किस परिपत्र/अधिसूचना/आदेश के तहत परियोजना को आरम्भ किया गया है। उपरोक्त परिपत्र/अधिसूचना/आदेश की दिनांक सहित जानकारी/स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।
B.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** दिनांक 24.06.2022 क प्राप्त नहीं की गई?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** प्राप्त नहीं करने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/परिपत्र/आदेश की दिनांक सहित जानकारी देने की कृपा करें।
C.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा जारी **Consent to Establish** दिनांक 17.01.2012 के बिन्दु सं. 4 में अंकित है कि परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व **Consent to Operate** प्राप्त करना आवश्यक है लेकिन रीको द्वारा **Consent to Operate** दिनांक 24.06.2022 तक प्राप्त नहीं की गई है?	यह कि रीको द्वारा **Consent to Operate** प्राप्त किये बिना राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र/अधिसूचना/ आदेश के तहत दिसम्बर 2019 में परियोजना को आरम्भ किया गया? उपरोक्त परिपत्र/ अधिसूचना/आदेश की दिनांक सहित जानकारी देने की कृपा करें।
D.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने के सदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में **11444.32 लाख** का निवेश प्रस्तावित था लेकिन रीको लि. ,बीकानेर द्वारा दिनांक 15.05.2022 (5 वर्ष) तक 22.32 **करोड़** का निवेश किया गया है। शेष राशि 92.44 **करोड़** का निवेश दिनांक 15.05.2022 तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने में शेष राशि 92.44 **करोड़** का निवेश कब तक किया जायेगा? जानकारी/स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

24.6.22

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY

E.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में 33% ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य **24.06.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा 33% ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य **कब आरम्भ** किया जायेगा? जानकारी / स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।
F.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में ट्यूबवेल निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली / जयपुर से दिनांक **24.06.2022** (5 वर्ष) तक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में निर्माणाधीन ट्यूबवेल से सम्बन्धित **अनुमति कब तक** प्राप्त की जायेगी। जानकारी / स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।
G.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले / नालियों का निर्माण कार्य **24.06.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले / नालियों का निर्माण **कार्य कब आरम्भ किया जायेगा** ? जानकारी / स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।
H.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 23** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक समयावधि से सम्बन्धित Six Monthly Compliance status report of the "Project along with implementation of environmental measures SEIAA & RSPCB Jaipur/Bikaner को **दिनांक 10.06.2022 (5 वर्ष)** तक प्रेषित नहीं की गई है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. **23** की अनुपालना में **11.04.2017 से 11.04.2022** तक Six Monthly Complinace Status report of the "Project along with implementation of envrinmental measures. SEIAA & RSPCB Jaipur/Bikaner को **कब तक प्रेषित की जायेगी।** जानकारी / स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।
I.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Japur/Bikaner को **दिनांक 10.06.2022 (5 वर्ष)** तक प्रेषित नहीं की गई है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Japur/Bikaner को **कब तक प्रेषित की जायेगी।** जानकारी / स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।
J.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिनांक **24.06.2022** तक विकसित घोषित नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को **कब तक विकसित घोषित किया जायेगा।** जानकारी / स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

3. यह कि आपके ध्यान आकर्षक हेतु लेख है कि कम्पनी ने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में आवंटित भूखण्डों पर दिनांक **24.06.2022** तक अनुमानित **20.00 करोड़ राशि का निवेश भूमि, बिल्डिंग निर्माण एवं प्लान्ट एवं मशीनरी में कर दिया गया है।** जिसकी आप जांच करवा सकते हैं।

4. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित शर्तों की पिछले **5 वर्षों से Violation/Non-Compliance की जा रही है,** जिसके संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा दिनांक **02.09.2020, 05.10.2020, 04.01.2022** के तहत **Show Cause Notice** रीको लि. बीकानेर को जारी किये गये है तथा वीनू गुप्ता अध्यक्ष RSPCB जयपुर द्वारा **अर्द्ध शासकीय पत्र** दिनांक **13.07.2021, 08.04.2022, प्रबन्धक निदेशक** रीको लि. जयपुर को जारी किये गये है.

महोदय जी, आपको ध्यान आकर्षण हेतु लेख है कि उपरोक्त वर्णित **Show Cause Notice / अर्द्धशासकीय पत्रों** के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में भारत सरकार के **National Green Tribunal** न्यायालय नई दिल्ली, भोपाल तथा पर्यावरण विभाग SEIAA जयपुर द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। जिससे कम्पनी की **आर्थिक / मानसिक स्थिति** पर विपरीत असर हो सकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 4** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों की जांच / सत्यापन कर कम्पनी को चाही गई **जानकारी / स्पष्टीकरण** जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कृपा करें। जिससे कम्पनी बिना किसी डर / भय के आवंटित भूखण्डों पर **39.62 करोड़** राशि का निवेश करते हुए **250 व्यक्तियों** को रोजगार उपलब्ध करा सके। जानकारी / स्पष्टीकरण के अभाव में होने वाले **निवेश की देरी** का समस्त वैधानिक दायित्व व्यक्तिगत आपका होगा। पत्र की प्रतिलिपि संभालकर रखे। जरूरत पड़ने पर आपसे मांगी जा सकती है। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देवें।

सधन्यवाद।

14/7/2022

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.

(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

Gmail

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>

करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सम्बन्ध में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु।

1 message

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com> — Fri, Jun 24, 2022 at 8:17 PM
To: ajaygupta@riico.co.in

महोदय जी,
उपरोक्त अनुसार करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सम्बन्ध में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु अतिआवश्यक प्रतिवेदन क्रमांक 6461 दिनांक 24.06.2022 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया कम्पनी को वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

धन्यवाद

नारायण दास तुलसानी
निदेशक
मैसर्स नगद नारायण एग्रो फुड्स प्रा.लि.,
बीकानेर।

HON'BLE AJAY GUPTA ADDL G.M. CIVIL RIICO JAIPUR.pdf
121K

भारतीय डाक
India Post

ER1666682241N IVR:69821666688224
SP PO BIKANER RMS COUNTER (334001)
Counter No:2,26/06/2022,12:04
To:AJAY GUPTA,E N GEEL UDHYOG
PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
From:NARAYAN DAS,PAWAN PURI
Wt:22gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

NOTARY ★ Mohan Modi BIKANER R.No. 177 GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
14/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-8

(57)

Office Copy ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

क्रमांक : 7005 **अतिआवश्यक प्रतिवेदन** दिनांक : 22.08.2022

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष,
रीको लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर।

विषयः **39.62 करोड़ राशि के निवेश करने के संदर्भ में जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु।**
प्रसंग : **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा कम्पनी को पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 07.09.2012 रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(W) के तहत 99 वर्ष की लीज के तहत Preferential Allotment भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने हेतु 39.62 करोड़ रुपये का निवेश करने हेतु आवंटित किये गये थे। उपरोक्त 39.62 करोड़ का निवेश करने हेतु कम्पनी को जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो निम्नानुसार है:–

1. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित शर्तों की पालना के संदर्भ में कम्पनी को **जानकारी/स्पष्टीकरण** प्राप्त करने का अधिकार है।
2. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 प्राप्त की गई थी। **जिसकी Compliance/Monitering के लिये नोडल अधिकारी महाप्रबन्धक (सिविल) ई.एम. सैल, रीको लि. जयपुर/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, बीकानेर** को नियुक्त किया गया है।
3. यह कि कम्पनी द्वारा **39.62 करोड़ राशि के निवेश करने** के संदर्भ में जानकारी/ स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक 6461 दिनांक 24.06.2022, पत्र क्रमांक 6676 दिनांक 14.07.2022, पत्र क्रमांक 6778 दिनांक 30.07.2022 **अतिरिक्त महाप्रबन्धक (सिविल)** (ई.एम. सैल) रीको. लि. जयपुर को जरिये स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा प्रेषित किये गये थे। लेकिन उपरोक्त पत्रों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण आज दिनांक **22.08.2022 तक अप्राप्त है जो कि प्राकृतिक न्याय का हनन है।** (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-1**
4. यह कि कम्पनी द्वारा **39.62 करोड़ राशि निवेश करने** के सम्बन्ध में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक 6343 दिनांक 08.06.222, पत्र क्रमांक 6462 दिनांक 24.06.2022, पत्र क्रमांक 6675 दिनांक 14.07.2022, पत्र क्रमांक 6777 दिनांक 30.07.2022 **वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,** रीको लि. बीकानेर को प्रेषित किये गये। लेकिन उपरोक्त पत्रों के संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण आज दिनांक **22.08.2022 तक अप्राप्त है** जो कि प्राकृतिक न्याय का हनन है। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-2**
5. यह कि कम्पनी द्वारा **39.62 करोड़ राशि निवेश करने** के सम्बन्ध में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक 6904 दिनांक 10.08.2022 **श्रीमान् प्रबन्धक निदेशक,** रीको लि. जयपुर को जरिये स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा प्रेषित किया गया। लेकिन उपरोक्त पत्र के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण आज दिनांक **22.08.2022 तक अप्राप्त है जो कि प्राकृतिक न्याय का हनन है।** (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-3**

अतः आपसे निवेदन है कि **बिन्दु सं. 1 से 5** में वर्णित पत्रों में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों की **जांच/ सत्यापन** कर चाही गई **जानकारी/स्पष्टीकरण** कम्पनी को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कृपा करें। जिससे कम्पनी बिना किसी डर/भय के आवंटित भूखण्डों पर **39.62 करोड़ रुपये राशि** का निवेश करते हुए **250 व्यक्तियों** को रोजगार उपलब्ध करा सके। जानकारी/स्पष्टीकरण के अभाव में होने वाले निवेश की देरी के कारण कम्पनी को होने **आर्थिक/मानसिक नुकसान** का समस्त वैधानिक दायित्व आपका होगा। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देवें।

सधन्यवाद।

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
14/10/22

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.
नारायणदास
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

संलग्न : उपरोक्तानुसार। Anx-1 to Anx-3

53

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA , BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

क्रमांक : 7065 दिनांक : 22.08.2022

INDEX

क्र.सं.	विवरण	Anx. No.	Page No.
1.	कम्पनी द्वारा पत्र क्रमांक 6461 दिनांक 24.06.2022, पत्र क्रमांक 6676 दिनांक 14.07.2022, पत्र क्रमांक 6778 दिनांक 30.07.2022 अतिरिक्त महाप्रबन्धक (सिविल) (ई.एम. सैल) रीको. लि. जयपुर जरिये स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा प्रेषित किये गये	Anx- 1	1 से 10
2.	कम्पनी द्वारा पत्र क्रमांक 6343 दिनांक 08.06.2022, पत्र क्रमांक 6462 दिनांक 24.06.2022, पत्र क्रमांक 6675 दिनांक 14.07.2022, पत्र क्रमांक 6777 दिनांक 30.07.2022 वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि. बीकानेर को प्रेषित किये गये।	Anx- 2	11 से 23
3.	कम्पनी द्वारा पत्र क्रमांक 6904 दिनांक 10.08.2022 श्रीमान् प्रबन्धक निदेशक, रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को प्रेषित किया गया ।	Anx-3	24 से 26

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.
नारायणदास
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

भारतीय डाक India Post

ER188839483IN IVR:6982188839483
SP PC BIKANER RMS COUNTER (334001)
Counter No:2,22/08/2022,19:32
To:ADYAKSH,UDOG BHAWAN TILAK MARG
PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
From:NAGAD NARAY,BICHWAL IN AREA
Wt:170gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

PHOTO COPY ATTESTED
19/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

GOVT. OF INDIA NOTARY BIKANER

(56)

Gmail

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>

39.62 करोड़ राशि के निवेश करने के संदर्भ में जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु।

1 message

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>
To: chairman@riico.co.in

Mon, Aug 22, 2022 at 6:32 PM

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त वर्णित पत्रों में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों की जांच/सत्यापन कर चाही गई जानकारी/स्पष्टीकरण कम्पनी को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

CHAIRMAN RIICO JAIPUR.pdf
57K

GOVT. OF INDIA * NOTARY

PHOTO COPY ATTESTED
14/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

क्रमांक : 7476 ANX-9 (57)

Office Copy

जनहित में अतिआवश्यक प्राथमिकी

दिनांक : 02.10.2022

सेवा में,

श्रीमान् सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी
जयपुर – 302004

विषयः **रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध कार्यवाही करने के संदर्भ में ।**
प्रसंग : **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की Violation/Non-compliance से सम्बन्धित।**

आदरणीय महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर में स्थापित एक खाद्य पदार्थ इकाई का उद्यमी है, जिसे **मानव अधिकारों के तहत** जनहित/लोकहित में आपको पत्र लिखने का अधिकार प्राप्त है।

1. यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक F-14 (17) RPCB/Meeting/PLG/477-491 दिनांक **14.05.2007** के अन्तर्गत रीको लि. राजस्थान पर Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 लागू है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-1**

2. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा स्थापित करणी औद्योगिक क्षेत्र में पिछले **14 वर्षों से** उच्छिष्ठ जल/गंदगी जमा हो रही है जिसके संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा जारी पत्र F.5/Bikaner-3/complaint/RPCB/Gr.II/2476 Dated **03.09.2008** की विवेचना करना आवश्यकता होगा। (छाया प्रति संलग्न है) **Anx - 2**

(7) And whereas since the Industrial Area are developed and maintained by the RIICO Ltd., therefore as per provision of section 2(d)/2/dd) and 2(k) of the **Water Act, 1974 RIICO Ltd. is responsible for Collection**, Transportation and Disposal of Waste Water of Industrial area promoted by them. During operation/process, it causes discharge of polluted water stagnated in the area.

(8) And whereas RIICO Industrial area has no arrangement for dram out its polluted trade effluent and this polluted trade effluent is getting accumulated near the premises of Engineering College & causing contamination of environment/sub sold water.

(9) And whereas the total estimate quantity of stagnated **wastewater near Karni Industrial area near Bikaner** Engineering College is **50 Million** litters with characteristics pH-7.6 to 8.1 TSS 987 to 1112mg./Litre. BODS-20C 389 to 433 mg/Litre. (OI)- 834 to 1067 mg/litre and Oil and grease-9 to 12 mg/litre. The area of spread estimated 85.817.00 SQM is a clear violation of the provisions of the Water Act. 1974

3. यह कि पर्यावरण विभाग जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 जारी की गई। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति की विवेचना करना आवश्यक होगा– (पर्यावरण स्वीकृति की छाया प्रति संलग्न है) **Anx - 3**

		Sl. No.	Activity	Investment in Lakhs
11	Environment Management Plan along with Budgetary breakup			
		1.	**Setting up CETP**	**2600.00**
		2.	Setting up of STP for treating domestic wastewater up to reused level of residential area, commercial areas and institutional are upto 1 MIC capacity)	175.00
		3.	Development of land fill site waste disposal	300 00
		4.	Laying of internal effluent conveyance system	800.00
		5.	EIA Study and allied work under head of provision of EIA Study	25.00
		6.	Arboriculture	371.37
		7.	Construction of piezometric wells	As per need
		8.	Rainwater harvesting	5.92
			Total	**4277.29 Lacs**
Part A Specific Condition point No. 5.	The PP shall inform the RSPCB at the time of the applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under the proposed Environmental Management Plan. the details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE. As envisaged, the P.P. shall invest at least an amount of Rs. **4277.29** lacs (**before the project is put into use**) for implementing various environmental protection measures.			

4. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **Violation/Non-compliance** के संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा रीको लि. बीकानेर को Show Cause नोटिस/पत्र जारी किये गये जिनकी विवेचना करना आवश्यक होगा जो निम्नानुसार है–

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED

2.10.22

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

(58)

(A) क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर का निरीक्षण दिनांक **25.06.2020** को किया गया था। (निरीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-4**

(B) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सदंर्भ में रीको लि. बीकानेर को दिनांक **02.09.2020** को Show Cause Notice जारी किया गया। (Show Cause Notice की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-5**

(C) भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में रीको लि. बीकानेर को दिनांक **22.09.2020** को पत्र जारी किया गया। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-6**

(D) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में रीको लि. बीकानेर को दिनांक **05.10.2020** को Show Cause Notice जारी किया गया। (Show Cause Notice की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-7**

(E) भारत सरकार के Ministry of Environment Forest and Climate Change New Delhi द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में Member Secretary SEIAA Rajasthan 4 Industrial Area, Jhalana, Doongri Jaipur को दिनांक **24.11.2020** को पत्र प्रेषित किया गया था। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-8**

(F) श्री वीनू गुप्ता IAS Chairperson राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में Shri Ashutosh A.T. Pendenkar Secretary, Industries & Managing Director RIICO Ltd. Udyog Bhawan, Tilak Marg, Road, C-Scheme Jaipur, Rajasthan को अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक **13.07.2021** को जारी किया गया। (अर्द्ध शासकीय पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-9**

(G) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिनांक **13.08.2021** को निम्न विभागों को पत्र जारी किया गया– (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-10**

प्रभारी (MUID) RPCB Jaipur रीको को करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के लिये कनसेन्ट टू स्टेब्लिस पत्र दिनांक 17.01.2012 द्वारा जारी की गई थी। रीको द्वारा Environmental Clearance के लिये प्रस्तुत आवेदन/प्रस्ताव में पुराने करणी एवं बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र से जनित उच्छिष्ठ के लिए सी.ई.टी.पी. प्रस्तावित किया गया था एवं इस हेतु ई.एम.पी. में रुपये 26.00 करोड़ का प्रावधान भी किया था। रीको द्वारा सी.ई.टी.पी. स्थापित किये बिना औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित एव संचालित करवाना Environmental Clearance में उल्लेखित शर्तो की **Non-compliance** है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(H) Non-Compliance के संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा रीको लि. बीकानेर को Show Cause Notice F.14/Tech/ Bikaner (45 RSPBC/B&C/ 2430-2432 दिनांक **04.01.2022** को जारी किया गया है। (Show Cause Notice की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-11**

5. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा उपरोक्त Show Cause Notice का जवाब पत्र दिनांक 01.02.2022 के तहत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर को प्रेषित कर दिया।

6. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा प्राप्त जवाब का अवलोकन करने के पश्चात् **क्षेत्रीय अधिकारी** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर ने जानकारी/सुझाव पत्र क्रमांक RO/RPCB/ BKN/Gen-78/2472 दिनांक **21.02.2022** के तहत SEE and GIC (HBC) Rajasthan State Pollution control Board, Jaipur को प्रेषित किये गये जिसकी विवेचना करना आवश्यक होगा। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-12**

With reference to above, it is submitted that RIICO, Ltd. Bikaner vide letter dated 01.02.2022 has submitted a reply to the above SCN letter dated 04.01.2022 at this office. (Copy Enclosed)

State Board had granted Consent to establish vide 17.01.2012 to the RIICO for the said area, which was valid up to 30.11.2014, After the expiry of this CTE, RIICO has not applied CTE/CTO under the Water Act. 1974 and Air Act to this office till date.

RIICO Ltd has obtained EC from State Level Environment Impact Assessment Authority Rajasthan on dated 11.04.2017, As per point no. 11 of EC, there is a provision of Rs. 2600/- lacs to set up a CETP, Rs. 175 Lac for STP, Rs. 300 Lac for development of landfill site for waste disposal, and Rs. 800/- Lac for a line of internal effluent conveyance system etc. further as per point no. 13 of EC "RIICO is proposing to install a CETP for treatment of effluent generated from existing Karni Industrial Area and Industrial Area Bichwal ensuring a Zero liquid discharge facility in the proposed project area" RIICO has not submitted compliance report of the condition of E.C.

Several complaints regarding water pollution in the area, **non-compliance regarding violation of the conditions of EC** are being received regularly. The non-compliance of the conditions of EC reported during inspection dated 25.06.2020 were communicated to the RIICO, Ltd. by HO vide letter No. F-14/Tech Bikaner (51-CETP) RPCB/Plg/736-738 dated 02.09.2020.

It is pertinent to mention that CETP, STP etc. has not been installed/ commissioned by RIICO in the area to date. Work-related to same is expected to be complied by/through RIICO ltd.

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED

नारायणदास 2.10.22

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

(58)

Submitted for information and necessary action, please.

Your Sincerely,
(Pradeep Kumar Asnani)
Regional Officer

7. यह है कि RSPCB जयपुर कार्यालय के GICLW विभाग के अधिकारी श्री नीरज माथुर द्वारा दिनांक **29.03.2022** को करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर का निरीक्षण किया गया था। **निरीक्षण रिपोर्ट** की छाया प्रति संलग्न है। **Anx-13**
8. यह है कि श्री वीनू गुप्ता IAS Chair person RSPCB जयपुर द्वारा दिनांक **08.04.2022** के तहत अर्द्ध शासकीय पत्र श्रीमती अर्चना सिंह, प्रबन्धक निदेशक जयपुर को जारी किया गया था। अर्द्ध शासकी पत्र की छाया प्रति संलग्न है। **Anx-14**
9. यह कि RSPCB जयपुर के सदस्य सचिव द्वारा पत्र क्रमांक 960 दिनांक 12.09.2022 प्रबन्धक निदेशक, रीको लि. जयपुर को जारी किया गया। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-15**
10. यह कि श्रीमान् मांगीलाल पंवार क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि. बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांक **3712** दिनांक **12.10.2015** के तहत पर्यावरण विभाग में अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई जिसकी विवेचना करना आवश्यक होगा– (छाया प्रति संलग्न है) **Anx-16**

UNDETAKING

I, Mangilal Panwar, Regional Manager of Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd., Bikaner, having its registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302015, Rajathan, India, do hereby **undertake for compliance of following laws related to environment in all industrial area under our jurisdiction**.

1. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
2. The Air (Prevention and Control or Pollution Act, 1981
3. The Environment Protection Act 1986.

Date : **12.10.2015**
Place: **Bikaner**

Sd/-
(MANGILAL PANWAR)
Regional Manager, RIICO Ltd, Bikaner

11. यह कि **RSPCB Jaipur** कार्यालय के **उच्च अधिकारियों द्वारा** पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की Violation/Non-compliance से सम्बन्धित पिछले दो वर्षो से लगातार **Show Cause Notice/अर्द्ध शासकीय** पत्र रीको लि. जयपुर/बीकानेर को जारी किये जा रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की Violation/Non compliance की गई है।
12. यह कि **RSPCB Jaipur** कार्यालय के उच्च अधिकारियो द्वारा रीको के विरूद्व किसी भी प्रकार की कार्यवाही आज दिनांक **02.10.2022** तक नहीं की गई है। जिससे RSPCB के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली **प्रश्नचिन्हित प्रतीत होती है।**

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. 1 से 12 में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों की जांच/सत्यापन कर रीको लि. बीकानेर/जयपुर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करे तथा कार्यवाही की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करें। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देवें।

सधन्यवाद।

प्रार्थी,
नारायणदास
नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. किशन चंद तुलसानी
मकान नं. ए–13, करणी नगर, पवनपुरी सहयोग पार्क के पास, बीकानेर।
मो.नं.: 9928912610 Email: narayandastuslani@gmail.com

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. श्रीमती उषा शर्मा, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमाना् शिखर अग्रवाल, पर्यावरण विभाग, राजस्थान विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान् महेशदत्त पुरोहित, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर।
4. श्रीमान् प्रवीण कुमार जैन (सांईटिस्ट–बी) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भोपाल।
5. श्रीमान् मोहित जैन, केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण, जयपुर।
6. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, बीकानेर।
7. श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर।

प्रार्थी,
नारायणदास Sd/
नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. किशन चंद तुलसानी
मकान नं. ए–13, करणी नगर, पवनपुरी सहयोग पार्क के पास, बीकानेर।

PHOTO COPY ATTESTED
14/10/22
CENTRAL NOTARY

(60)

Date : 02.10.2022

INDEX

क्र. सं.	विवरण	Annexure No	Page No.
1.	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक F-14 (17) RPCB/ Meeting/PLG/477-491 दिनांक 14.05.2007	1	1–2
2.	RSPCB जयपुर द्वारा जारी पत्र F.5/Bikaner-3/complaint/RPCB/ Gr.II/ 2476 Dated 03.09.2008	2	3–4
3.	RSPCB बीकानेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 259 दिनांक 18.04.2012, पत्र क्रमांक 2327 दिनांक 20.11.2014, पत्र क्रमांक 283 दिनांक 05.05.2015	3	5–12
4.	पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017	4	13–18
5.	क्षेत्रीय कार्यालय RSPCB बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर का दिनांक 25.06.2020 के निरीक्षण रिपोर्ट	5	19–20
6.	RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सदंर्भ में रीको लि. बीकानेर को दिनांक 02.09.2020 को जारी Show Cause Notice	6	21
7.	भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में रीको लि. बीकानेर को दिनांक 22.09.2020 को जारी पत्र	7	22–23
8.	RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में रीको लि. बीकानेर को दिनांक 05.10.2020 को जारी Show Cause Notice	8	24–25
9.	भारत सरकार के Ministry of Environment Forest and Climate Change New Delhi द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में Member Secretary SEIAA Rajasthan 4 Industrial Area, Jhalana, Doongri Jaipur को दिनांक 24.11.2020 को जारी पत्र	9	26
10.	श्री वीनू गुप्ता IAS Chairperson RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में Shri Ashutosh A.T. Pendenkar Secretary, Industries & Managing Director RIICO Ltd. Udyog Bhawan, Tilak Marg, Road, C-Scheme Jaipur, Rajasthan को अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 13.07.2021 को जारी पत्र	10	27–28
11.	Non-Compliance के संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा रीको लि. बीकानेर को जारी Show Cause Notice F.14/Tech/ Bikaner (45 RSPBC/B&C/ 2430-2432 दिनांक 04.01.2022	11	29–30
12.	क्षेत्रीय अधिकारी RSPCB बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांक RO/RPCB/ BKN/Gen-78/2472 दिनांक 21.02.2022 के तहत SEE and GIC (HBC) RSPCB, Jaipur को प्रेषित पत्र	12	31
13.	RSPCB जयपुर कार्यालय के GICLW विभाग के अधिकारी श्री नीरज माथुर द्वारा दिनांक 29.03.2022 निरीक्षण रिपोर्ट	13	32–34
14.	श्री वीनू गुप्ता IAS Chairperson RSPCB जयपुर द्वारा दिनांक 08.04.2022 के तहत श्रीमती अर्चना सिंह, प्रबन्धक निदेशक जयपुर को जारी अर्द्ध शासकीय पत्र	14	35
15.	RSPCB जयपुर के सदस्य सचिव द्वारा पत्र क्रमांक 960 दिनांक 12.09.2022 प्रबन्धक निदेशक, रीको लि. जयपुर को जारी पत्र	15	36
16.	श्रीमान मांगीलाल पंवार क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि. बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांक 3712 दिनांक 12.10.2015 के तहत पर्यावरण विभाग में प्रस्तुत अण्डर टेकिंग की प्रति	16	37

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

नारायणदास

नारायण दास तुलसानी
ए-13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर

(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

ER891025903IN IVR:6982891025903
SP BICHHWAL IND.AREA S.O (334006)
Counter No:1,03/10/2022,13:08
To:THE SACHIVRAJ,JHALANA DUNGRI
PIN:302004, Jawahar Nagar H.O
From:NARAYANDAS TULCHHANI,BIKANER
Wt:205gms
Amt:70.80(Cash)Tax:10.80

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(61)

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध कार्यवाही करने के संदर्भ में

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>
To: member-secretary@rpcb.nic.in

Mon, Oct 3, 2022 at 5:54 PM

महोदय जी,

आपसे निवेदन है कि पत्र में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों की जांच/सत्यापन कर रीको लि. बीकानेर/ जयपुर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करे तथा कार्यवाही की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

प्रार्थी,

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. किशन चंद तुलसानी
मकान नं. ए-13, करणी नगर, पवनपुरी सहयोग पार्क के पास, बीकानेर।
मो.नं.: 9928912610

Hon'ble Member Secretarty RSPCB JAIPUR.pdf
2963K

NOTARY INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
14/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-10

62

ॐ Office Copy

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

क्रमांक: 6781 दिनांक: 30.07.2022

स्मरण पत्र – 2

सेवा में,
श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र,
बीकानेर (राज.)

2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विषयः **नियमानुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।**
प्रसंगः **रीको लि. बीकानेर।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर** को स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. **978** दिनांक **11.04.2017** जारी की गई थी। उक्त पर्यावरण स्वीकृति की **मोनेटरिंग एजेन्सी** आपके कार्यालय को नियुक्त किया गया है। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के **violation/Non-compliance** के संदर्भ में जयपुर कार्यालय द्वारा **Show Cause नोटिस/अर्द्धशासकीय पत्र/पत्र** रीको लि. बीकानेर को जारी किये गये है जो निम्नानुसार है:–

1. यह कि **श्री नीरज माथुर** (Liquid Waste) RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14/Tech-Bikaner(51-CETP)/ RPCB/ Plg/736-738 दिनांक **02.09.2020** के तहत **Show cause notice** for intended prosecution under **section 43/44** of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 in respect of Karni Industrial Area Bikaner. रीको लि. बीकानेर को जारी किया गया।
2. यह कि **श्री वी.एस. बृजवासी** (SEE and GIC B&C) RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14/Tech-Bikaner(45)/ RPCB/ B&C/1339-1341 दिनांक **05.10.2020** के तहत **Show cause notice** for intended legal prosecution under section **37, 38 and 39** of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 for you industrial area development plan, "Karni Extension" at Bichwal Bikaner रीको लि. बीकानेर को जारी किया गया।
3. यह कि **श्रीमती वीनू गुप्ता** अध्यक्ष, RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **अर्द्ध शासकीय पत्र** DO F.14 (Tech/Bikaner)CETP-51/RPCB/ LW/386/दिनांक **13.07.2021** प्रबन्धक निदेशक, रीको लि. जयपुर को जारी किया गया।
4. यह कि **श्री नीरज माथुर,** शाखा प्रभारी, Liquid Waste RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14 (Tech/Bikaner)CETP-51/RPCB/ LW/643/दिनांक **13.08.2021** को पत्र जारी किया गया।

1. सहायक शासन सचिव पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को पत्रांक प.5(2)/पर्या./1989/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 02.11.2020 के क्रम में।
2. डॉ. सत्या, संयुक्त निदेशक/वैज्ञानिक (डी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच. अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक File. No.II /ENV/Com-R/1990-Part-II/994 दिनांक 17.09.2020 के क्रम में ।
3. श्री एम.के. चौधरी AD & DH-PR डिवीजन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली–110032 को पत्र क्रमांक CB/PR/ PG20-21/3148 दिनांक 04.12.2020 के क्रम में।
4. श्री ताहीर हुसैन पुत्र श्री तौफीक, विमल भवन के पीछे, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर को पत्र क्रमांक 84 दिनांक 13.10.2021 के क्रम में।

POLLUTION CONTROL BOARD RAJ. BIKANER Receipt No 209 Date 01/08/2022

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)
30.7.22

(63)

5. शाखा प्रभारी पी.सी.वी./वी.टी.आर. शाखा, रा.प्र.नि.म. जयपुर को पत्र क्रमांक एफ–19(5)/रा.प्र.निम./वी.टी.आर. शिकायत/आर.ओ.बीका./3432 दिनांक 01.10.2021, 05.01.2021, 16.02.2021, 04,03,2021 एवं सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 07200268139541 के क्रम में ।

6. प्रभारी (MUID) RPCB Jaipur रीको को करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के लिये कनसेन्ट टू स्टेब्लिस पत्र दिनांक 17.01.2012 द्वारा जारी की गई थी। रीको द्वारा Environmental Clearance के लिये प्रस्तुत आवेदन/प्रस्ताव में पुराने करणी एवं बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र से जनित उच्छिष्ठ के लिए सी.ई.टी.पी. प्रस्तावित किया गया था एवं इस हेतु ई.एम.पी. में रुपये 26.00 करोड़ का प्रावधान भी किया था। रीको द्वारा सी.ई.टी.पी. स्थापित किये बिना औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित एवं संचालित करवाना **Environmental Clearance में उल्लेखित शर्तो की Non-compliance है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।**

5. यह कि **श्री आनन्द मोहन** सदस्य सचिव RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14/Tech/Bikaner(45)/RPCB/ B&C/2430-2432 दिनांक **04.01.2022** के तहत **Show cause notice** for intended legal prosecution under section **37, 38 and 39** of the provision of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 and under section **43 and 44** of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Environment (Protection) Act, 1986 for your industrial area development Plan, "Kani Extension" at Bichwal, Bikaner. जारी किया गया।

6. यह कि **श्री नीरज माथुर** (ACEE & GIC Liquid Waste) RSPCB जयपुर द्वारा दिंनाक **29.03.2022** को बीकानेर मे करणी औद्यौगिक क्षेत्र फेज–1, फेज–2 और करणी एससीजी का निरीक्षण किया गया था।

7. यह कि **श्रीमति वीनू गुप्ता,** अध्यक्ष RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **अर्द्व शासकीय पत्र** DO F.14 Tech/Bikaner (CETP-51)/RPCB/ LW/32-34 दिनांक **08.04.2022** प्रबन्धक निदेशक, रीको लि., जयपुर को जारी किया गया।

8. यह कि उपरोक्त वर्णित बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित Show Cause Notice/अर्द्धशासकीय पत्रों/निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा जारी नोटिसों/पत्रों की खुली अवहेलना की जा रही है।

9. यह कि कम्पनी द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में आवंटित भूखण्ड सं. जी–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर **39.62 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।** जिसमें दिनांक 20.07.2022 तक **16,03,91,499/–** रुपये का **निवेश** किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

10. यह कि आपके/आपके कार्यालय द्वारा रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध दिनांक **30.07.2022** तक **नियमानुसार कार्यवाही** नहीं करना आपके कार्यालय की कार्यप्रणाली को प्रश्नचिन्हित प्रतीत करता है। उपरोक्त संदर्भ में कम्पनी द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक 6175 दिनांक **22.05.2022** एवं पत्र क्रमांक 6598 दिनांक **03.07.2022** जरिये स्पीड पोस्ट/ईमैल द्वारा प्रेषित किये गये । लेकिन आपके कार्यालय द्वारा किसी भी पत्र का जवाब आज दिनांक **30.07.2022** तक अप्राप्त है जो प्राकृतिक न्याय का हनन है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. 1 से 10 में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों की जांच/सत्यापन कर रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें। जो कि विधि के हित में होगा तथा कार्यवाही की सूचना कम्पनी को प्रेषित करने की कृपा करें। कार्यवाही के अभाव में **कम्पनी को होने वाले आर्थिक/मानसिक नुकसान का समस्त वैधानिक दायित्व व्यक्तिगत आपका होगा।** पत्र की प्रतिलिपि संभाल कर रखें वक्त जरूरत आपके मांगी जा सकती है। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देवें।

सधन्यवाद।

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.

नारायणदास

(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY

ॐ Office Copy ☎: 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

64

क्रमांकः 6779 दिनांकः 30.07.2022

स्मरण पत्र – 2

सेवा में,

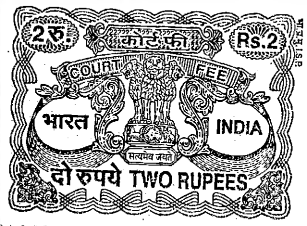

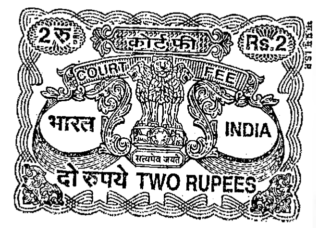

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4, झलाना संस्थानिक क्षेत्र, झलाना डूंगरी
जयपुर (राज.)

विषयः **नियमानुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।**
प्रसंगः **रीको लि. बीकानेर।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर** को स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 जारी की गई थी। उक्त पर्यावरण स्वीकृति की **मोनेटरिंग एजेन्सी** आपके कार्यालय को नियुक्त किया गया है। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के **violation/Non-compliance** के संदर्भ में आपके कार्यालय द्वारा निरीक्षण कर **Show Cause** नोटिस/**अर्द्धशासकीय पत्र**/पत्र रीको लि. बीकानेर को जारी किये गये है जो निम्नानुसार हैः–

1. यह कि **श्री नीरज माथुर** (Liquid Waste) RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14/Tech-Bikaner(51-CETP)/ RPCB/ Plg/736-738 दिनांक 02.09.2020 के तहत **Show cause notice** for intended prosecution under **section 43/44** of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 in respect of Karni Industrial Area Bikaner. रीको लि. बीकानेर को जारी किया गया।
2. यह कि **श्री वी.एस. बृजवासी** (SEE and GIC B&C) RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14/Tech-Bikaner(45)/ RPCB/ B&C/1339-1341 दिनांक 05.10.2020 के तहत **Show cause notice** for intended legal prosecution under section **37, 38 and 39** of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 for you industrial area development plan, "Karni Extension" at Bichwal Bikaner रीको लि. बीकानेर को जारी किया गया।
3. यह कि **श्रीमती वीनू गुप्ता** अध्यक्ष, RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **अर्द्ध शासकीय पत्र** DO F.14 (Tech/Bikaner)CETP-51/RPCB/ LW/386/दिनांक 13.07.2021 प्रबन्धक निदेशक, रीको लि. जयपुर को जारी किया गया।
4. यह कि **श्री नीरज माथुर,** शाखा प्रभारी, Liquid Waste RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14 (Tech/Bikaner)CETP-51/RPCB/ LW/643/दिनांक 13.08.2021 को पत्र जारी किया गया।
    1. सहायक शासन सचिव पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को पत्रांक प.5(2)/पर्या./1989/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 02.11.2020 के क्रम में।
    2. डॉ. सत्या, संयुक्त निदेशक/वैज्ञानिक (डी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच. अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक File. No.II /ENV/Com-R/1990-Part-II/994 दिनांक 17.09.2020 के क्रम में ।
    3. श्री एम.के. चौधरी AD & DH-PR डिवीजन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली–110032 को पत्र क्रमांक CB/PR/ PG20-21/3148 दिनांक 04.12.2020 के क्रम में।
    4. श्री ताहीर हुसैन पुत्र श्री तौफीक, विमल भवन के पीछे, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर को पत्र क्रमांक 84 दिनांक 13.10.2021 के क्रम में।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd.* BIKANER

30.7.22

65

5. शाखा प्रभारी पी.सी.वी./वी.टी.आर. शाखा, रा.प्र.नि.म. जयपुर को पत्र क्रमांक एफ–19(5)/रा.प्र.निम./वी.टी.आर. शिकायत/आर.ओ.बीका./3432 दिनांक 01.10.2021, 05.01.2021, 16.02.2021, 04,03,2021 एवं सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 07200268139541 के क्रम में ।

6. प्रभारी (MUID) RPCB Jaipur रीको को करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के लिये कनसेन्ट टू स्टेब्लिस पत्र दिनांक 17.01.2012 द्वारा जारी की गई थी। रीको द्वारा Environmental Clearance के लिये प्रस्तुत आवेदन/प्रस्ताव में पुराने करणी एवं बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र से जनित उच्छिष्ठ के लिए सी.ई.टी.पी. प्रस्तावित किया गया था एवं इस हेतु ई.एम.पी. में रुपये 26.00 करोड़ का प्रावधान भी किया था। रीको द्वारा सी.ई.टी.पी. स्थापित किये बिना औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित एवं संचालित करवाना **Environmental Clearance में उल्लेखित शर्तो की Non-compliance है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।**

5. यह कि **श्री आनन्द मोहन** सदस्य सचिव RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14/Tech/Bikaner(45)/RPCB/ B&C/2430-2432 दिनांक **04.01.2022** के तहत **Show cause notice** for intended legal prosecution under section **37, 38 and 39** of the provision of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 and under section **43 and 44** of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Environment (Protection) Act, 1986 for your industrial area development Plan, "Kani Extension" at Bichwal, Bikaner. जारी किया गया।

6. यह कि **श्री नीरज माथुर** (ACEE & GIC Liquid Waste) RSPCB जयपुर द्वारा दिंनाक **29.03.2022** को बीकानेर मे करणी औद्यौगिक क्षेत्र फेज–1, फेज–2 और करणी एससीजी का निरीक्षण किया गया था।

7. यह कि **श्रीमति वीनू गुप्ता**, अध्यक्ष RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **अर्द्ध शासकीय पत्र** DO F.14 Tech/Bikaner (CETP-51)/RPCB/ LW/32-34 दिनांक **08.04.2022** प्रबन्धक निदेशक, रीको लि., जयपुर को जारी क़िया गया।

8. यह कि उपरोक्त वर्णित बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित Show Cause Notice/अर्द्धशासकीय पत्रों/निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा जारी नोटिसों/पत्रों की खुली अवहेलना की जा रही है।

9. यह कि कम्पनी द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में आवंटित भूखण्ड स. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर **39.62 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।** जिसमें दिनांक 20.07.2022 तक **16,03,91,499/–** रुपये का **निवेश** किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

10. यह कि आपके/आपके कार्यालय द्वारा रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध दिनांक **30.07.2022** तक **नियमानुसार कार्यवाही** नहीं करना आपके कार्यालय की कार्यप्रणाली को प्रश्नचिन्हित प्रतीत करता है। उपरोक्त संदर्भ में कम्पनी द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक 6173 दिनांक **22.05.2022** एवं पत्र क्रमांक 6596 दिनांक **03.07.2022** जरिये स्पीड पोस्ट/ईमैल द्वारा प्रेषित किये गये । लेकिन आपके कार्यालय द्वारा किसी भी पत्र का जवाब आज दिनांक 30.07.2022 तक अप्राप्त है जो प्राकृतिक न्याय का हनन है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. 1 से 10 में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों की जांच/सत्यापन कर रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें। जो कि विधि के हित में होगा तथा कार्यवाही की सूचना कम्पनी को प्रेषित करने की कृपा करें। कार्यवाही के अभाव में **कम्पनी को होने वाले आर्थिक/मानसिक नुकसान का समस्त वैधानिक दायित्व व्यक्तिगत आपका होगा।** पत्र की प्रतिलिपि संभाल कर रखें वक्त जरूरत आपके मांगी जा सकती है। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देवें।

भारतीय डाक
India Post

ER188825334IN IVR:6982188825334
SP PC BIKANER RMS COUNTER (334
Counter No:2,31/07/2022,14:07
To:SCRATRY MAHOD,JHALANA SANSTHAN
PIN:302004, Jawahar Nagar H.O
From:NAKAD NARAY,F 137 BICHWAL IN
Wt:25gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

Nakad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd.* BIKANER

प्रार्थी,
नकद नारायण एग्रा फूड्स प्रा.लि.

(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

ॐ **Office Copy** Ph.:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679
NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER- 334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

(66)

क्रमांक: 6780 दिनांक: 30.07.2022

स्मरण पत्र – 2

सेवा में,
श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी
जयपुर (राज.)

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विषयः **नियमानुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।**
प्रसंगः **रीको लि. बीकानेर।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर** को स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 जारी की गई थी। उक्त पर्यावरण स्वीकृति की **मोनेटरिंग एजेन्सी** आपके कार्यालय को नियुक्त किया गया है। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के **violation/Non-compliance** के संदर्भ में आपके कार्यालय द्वारा निरीक्षण कर **Show Cause नोटिस/अर्द्धशासकीय पत्र/पत्र** रीको लि. बीकानेर को जारी किये गये है जो निम्नानुसार हैः–

1. यह कि **श्री नीरज माथुर** (Liquid Waste) RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14/Tech-Bikaner(51-CETP)/ RPCB/ Plg/736-738 दिनांक 02.09.2020 के तहत **Show cause notice** for intended prosecution under **section 43/44** of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 in respect of Karni Industrial Area Bikaner. रीको लि. बीकानेर को जारी किया गया।
2. यह कि **श्री वी.एस. बृजवासी** (SEE and GIC B&C) RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14/Tech-Bikaner(45)/ RPCB/ B&C/1339-1341 दिनांक 05.10.2020 के तहत **Show cause notice** for intended legal prosecution under section **37, 38 and 39** of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 for you industrial area, development plan, "Karni Extension" at Bichwal Bikaner रीको लि. बीकानेर को जारी किया गया।
3. यह कि **श्रीमती वीनू गुप्ता** अध्यक्ष, RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **अर्द्ध शासकीय पत्र** DO F.14 (Tech/Bikaner)CETP-51/RPCB/ LW/386/दिनांक 13.07.2021 प्रबन्धक निदेशक, रीको लि. जयपुर को जारी किया गया।
4. यह कि **श्री नीरज माथुर,** शाखा प्रभारी, Liquid Waste RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14 (Tech/Bikaner)CETP-51/RPCB/ LW/643/दिनांक 13.08.2021 को पत्र जारी किया गया।
   1. सहायक शासन सचिव पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को पत्रांक प.5(2)/पर्या./1989/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 02.11.2020 के क्रम में।
   2. डॉ. सत्या, संयुक्त निदेशक/वैज्ञानिक (डी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच. अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक File. No.II /ENV/Com-R/1990-Part-II/994 दिनांक 17.09.2020 के क्रम में ।
   3. श्री एम.के. चौधरी AD & DH-PR डिवीजन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली–110032 को पत्र क्रमांक CB/PR/ PG20-21/3148 दिनांक 04.12.2020 के क्रम में।
   4. श्री ताहीर हुसैन पुत्र श्री तौफीक, विमल भवन के पीछे, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर को पत्र क्रमांक 84 दिनांक 13.10.2021 के क्रम में।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED
30.7.22
CENTRAL NOTARY

(67)

5. शाखा प्रभारी पी.सी.वी. / वी.टी.आर. शाखा, रा.प्र.नि.म. जयपुर को पत्र क्रमांक एफ–19(5) / रा.प्र.निम. / वी.टी.आर. शिकायत / आर.ओ.बीका. / 3432 दिनांक 01.10.2021, 05.01.2021, 16.02.2021, 04,03,2021 एवं सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 07200268139541 के क्रम में ।

6. प्रभारी (MUID) RPCB Jaipur रीको को करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) के लिये कनसेन्ट टू स्टेब्लिस पत्र दिनांक 17.01.2012 द्वारा जारी की गई थी। रीको द्वारा Environmental Clearance के लिये प्रस्तुत आवेदन / प्रस्ताव में पुराने करणी एवं बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र से जनित उच्छिष्ठ के लिए सी.ई.टी.पी. प्रस्तावित किया गया था एवं इस हेतु ई.एम.पी. में रुपये 26.00 करोड़ का प्रावधान भी किया था। रीको द्वारा सी.ई.टी.पी. स्थापित किये बिना औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित एवं संचालित करवाना **Environmental Clearance में उल्लेखित शर्तो की Non-compliance है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।**

5. यह कि **श्री आनन्द मोहन** सदस्य सचिव RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में F.14/Tech/Bikaner(45)/RPCB/ B&C/2430-2432 दिनांक **04.01.2022** के तहत **Show cause notice** for intended legal prosecution under section **37, 38 and 39** of the provision of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 and under section **43 and 44** of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Environment (Protection) Act, 1986 for your industrial area development Plan, "Kani Extension" at Bichwal, Bikaner. जारी किया गया।

6. यह कि **श्री नीरज माथुर** (ACEE & GIC Liquid Waste) RSPCB जयपुर द्वारा दिनाक **29.03.2022** को बीकानेर मे करणी औद्यौगिक क्षेत्र फेज–1, फेज–2 और करणी एससीजी का निरीक्षण किया गया था।

7. यह कि **श्रीमति वीनू गुप्ता,** अध्यक्ष RSPCB जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **अर्द्ध शासकीय पत्र** DO F.14 Tech/Bikaner (CETP-51)/RPCB/ LW/32-34 दिनांक **08.04.2022** प्रबन्धक निदेशक, रीको लि., जयपुर को जारी किया गया।

8. यह कि उपरोक्त वर्णित बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित Show Cause Notice/अर्द्धशासकीय पत्रों / निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा जारी नोटिसों / पत्रों की खुली अवहेलना की जा रही है।

9. यह कि कम्पनी द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में आवंटित भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर **39.62 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।** जिसमें दिनांक 20.07.2022 तक **16,03,91,499 /–** रुपये का निवेश किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

10. यह कि आपके / आपके कार्यालय द्वारा रीको लि. बीकानेर के विरुद्ध दिनांक **30.07.2022** तक **नियमानुसार कार्यवाही** नहीं करना आपके कार्यालय की कार्यप्रणाली को प्रश्नचिन्हित प्रतीत करता है। उपरोक्त संदर्भ में कम्पनी द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक 6174 दिनांक **22.05.2022** एवं पत्र क्रमांक 6597 दिनांक **03.07.2022** जरिये स्पीड पोस्ट / ईमैल द्वारा प्रेषित किये गये । लेकिन आपके कार्यालय द्वारा किसी भी पत्र का जवाब आज दिनांक **30.07.2022** तक अप्राप्त है जो प्राकृतिक न्याय का हनन है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. 1 से 10 में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों की जांच / सत्यापन कर रीको लि. बीकानेर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें। जो कि विधि के हित में होगा तथा कार्यवाही की सूचना कम्पनी को प्रेषित करने की कृपा करें। कार्यवाही के अभाव में **कम्पनी को होने वाले आर्थिक / मानसिक नुकसान का समस्त वैधानिक दायित्व व्यक्तिगत आपका होगा।** पत्र की प्रतिलिपि संभाल कर रखें वक्त जरूरत आपके मांगी जा सकती है। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देवें।

भारतीय डाक
India Post
ER188825453IN IVR:6982188825453
SP PC BIKANER RMS COUNTER <3340
Counter No:2,31/07/2022,14:07
To:SCRATRY OF MA,4 JHALANA SANSTH
PIN:302004, Jawahar Nagar H.O
From:NAKAD NARAY,F 137 BICHWAL IN
Wt:25gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.

नारायणदास

(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

PHOTO COPY
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-11

(68)

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

Office Copy

क्रमांक: 7132 .   दिनांक: 02.09.2022

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

सेवा में,

श्रीमती उषा शर्मा
मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,
जयपुर (राज.)

विषय: **रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के संदर्भ में।**
प्रसंग: **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Violation/Non-compliance के संदर्भ में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग जयपुर से **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978** दिनांक 11.04.2017 जारी की गई है। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के **Violation/Non-compliance** के संदर्भ में मुख्य तथ्य/साक्ष्य/दस्तावेज आपको प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार है:–

1. यह कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की **Compliance/Monitoring Agency RSPCB Jaipur/Bikaner को अधिकृत किया गया है।**

2. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Violation/Non-Compliance के संदर्भ में दिनांक 02.09.2020, 05.10.2020, 13.07.2021, 13.08.2021, 04.01.2022, 08.04.2022 के तहत **Show Cause Notice/अर्द्धशासकीय पत्र** रीको लि. बीकानेर/प्रबन्धक निदेशक रीको लि. जयपुर को जारी किये गये।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा **श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी RSPCB बीकानेर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6175 दिनांक 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6598 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6781 दिनांक 30.07.2022 प्रेषित किये गये। लेकिन RSPCB बीकानेर द्वारा आज दिनांक **02.09.2022 तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है।** जो कि प्राकृतिक न्याय का हनन है। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-1

4. यह कि प्रार्थी द्वारा **श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, RSPCB जयपुर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6173 दिनां 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6596 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6779 दिनांक 30.07.2022 को प्रेषित किये गये लेकिन अध्यक्ष महोदय RSPCB जयपुर द्वारा आज दिनांक **02.09.2022 तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है।** (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-2

5. यह कि प्रार्थी द्वारा **सदस्य सचिव, RSPCB जयपुर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक 6174 दिनांक 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6597 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6780 दिनांक 30.07.2022 को प्रेषित किये गये लेकिन सदस्य सचिव RSPCB जयपुर द्वारा आज दिनांक **02.09.2022 तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है।** (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-3

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 5 में अंकित तथ्यों/पत्रों की जांच/सत्यापन** कर रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध **नियमानुसार कार्यवाही** करने की कृपा करें। जो कि न्याय के हित में होगा। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देवें।

सधन्यवाद।

ER994842466IN IVR:6982994842466
SP PC BIKANER RMS COUNTER (334001)
Counter No:2,03/09/2022,16:53
To:USHA SHARMA,SECRETARIATE JAI
PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
From:MESERS NAGAD NARAYAN,BICHWAL
Wt:212gms
Amt:70.80(Cash)Tax:10.80
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

भारतीय डाक
India Post

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.,
नारायणदास
नारायण दास तुलसानी
निदेशक

PHOTO COPY ATTESTED
14/9/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-12 (69)

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

Office Copy

क्रमांकः 7131·   दिनांकः 02.09.2022

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

सेवा में,

श्रीमान् क्षेत्रीय निदेशक महोदय,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, परिवेश भवन,
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल–462016 (म.प्र.) ।

विषयः **रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के संदर्भ में।**
प्रसंगः **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Violation/Non-compliance के संदर्भ में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग जयपुर से **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978** दिनांक 11.04.2017 जारी की गई है। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के **Violation/Non-compliance** के संदर्भ में मुख्य तथ्य/साक्ष्य/दस्तावेज आपको प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैः–

1. यह कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की **Compliance/Monitoring Agency RSPCB Jaipur/Bikaner को अधिकृत किया गया है।**

2. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Violation/Non-Compliance के संदर्भ में दिनांक 02.09.2020, 05.10.2020, 13.07.2021, 13.08.2021, 04.01.2022, 08.04.2022 के तहत **Show Cause Notice/अर्द्धशासकीय पत्र** रीको लि. बीकानेर/प्रबन्धक निदेशक रीको लि. जयपुर को जारी किये गये।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा **श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी RSPCB बीकानेर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6175 दिनांक 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6598 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6781 दिनांक 30.07.2022 प्रेषित किये गये। लेकिन RSPCB बीकानेर द्वारा आज दिनांक **02.09.2022 तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है।** जो कि प्राकृतिक न्याय का हनन है। (पत्रो की छाया प्रति संलग्न है) Anx-1

4. यह कि प्रार्थी द्वारा **श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, RSPCB जयपुर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6173 दिनां 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6596 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6779 दिनांक 30.07.2022 को प्रेषित किये गये लेकिन अध्यक्ष महोदय RSPCB जयपुर द्वारा आज दिनांक **02.09.2022 तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है।** (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-2

5. यह कि प्रार्थी द्वारा **सदस्य सचिव, RSPCB जयपुर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6174 दिनांक 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6597 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6780 दिनांक 30.07.2022 को प्रेषित किये गये लेकिन सदस्य सचिव RSPCB जयपुर द्वारा आज दिनांक **02.09.2022 तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है।** (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-3

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 5 में अंकित तथ्यों/पत्रों की जांच/सत्यापन** कर रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध **नियमानुसार कार्यवाही** करने की कृपा करें। जो कि न्याय के हित में होगा। पत्र को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देवें।

सधन्यवाद।

ER994842470IN IVR:6982994842470 भारतीय डाक
SP PC BIKANER RMS COUNTER <334001>
Counter No:2,03/09/2022,16:53
To:ARIAL NIDESAK,PARIVESH BHAWAN
PIN:462016, R.S.Nagar S.O
From:MESERS NAGAD NARAYAN,BICHWAL
Wt:206gms
Amt:70.80(Cash)Tax:10.80
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>
India Post

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.,
नारायणदास
नारायण दास तुलसानी
निदेशक

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (RAJ.)
14/9/22

GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 77 8/8/2025

ॐ

☎: 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

Office Copy

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
SINCE 1977
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

70

ANX-13

क्रमांक: 7487 अतिआवश्यक प्रतिवेदन दिनांक: 03.10.2022

सेवा में,

Hon'ble Tanmay Kumar Ji
Chairman
Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
Delhi-110032 ccb.cpcb@nic.in

2 रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2 रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विषय: **रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के संदर्भ में।**
प्रसंग: **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Violation/Non-compliance के संदर्भ में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग जयपुर से **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978** दिनांक 11.04.2017 जारी की गई है। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के **Violation/Non-compliance** के संदर्भ में मुख्य तथ्य/साक्ष्य/दस्तावेज आपको प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैः—

1. यह कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की **Compliance/Monitoring** Agency **RSPCB** Jaipur/Bikaner को अधिकृत किया गया है।
2. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Violation/Non-Compliance के संदर्भ में दिनांक 02.09.2020, 05.10.2020, 13.07.2021, 13.08.2021, 04.01.2022, 08.04.2022 के तहत **Show Cause Notice/अर्द्धशासकीय पत्र** रीको लि. बीकानेर/प्रबन्धक निदेशक रीको लि. जयपुर को जारी किये गये।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी **RSPCB बीकानेर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6175 दिनांक 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6598 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6781 दिनांक 30.07.2022 प्रेषित किये गये। लेकिन RSPCB बीकानेर द्वारा आज दिनांक **03.10.2022** तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है। जो कि प्राकृतिक न्याय का हनन है। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-1
4. यह कि प्रार्थी द्वारा अध्यक्ष महोदय, **RSPCB जयपुर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6173 दिनां 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6596 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6779 दिनांक 30.07.2022 को प्रेषित किये गये लेकिन अध्यक्ष महोदय RSPCB जयपुर द्वारा आज दिनांक **03.10.2022** तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-2
5. यह कि प्रार्थी द्वारा सदस्य सचिव, **RSPCB जयपुर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6174 दिनांक 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6597 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6780 दिनांक 30.07.2022 को प्रेषित किये गये लेकिन सदस्य सचिव RSPCB जयपुर द्वारा आज दिनांक **03.10.2022** तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-3
6. यह कि प्रार्थी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, Central Pollution Control Board, **भोपाल** को पत्र क्रमांक **7131** दिनांक **02.09.2022** को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया था। लेकिन क्षेत्रीय निदेशक महोदय Central Pollution Control Board, **भोपाल** द्वारा पत्र का जवाब/कार्यवाही की सूचना दिनांक **03.10.2022** उपलब्ध नहीं करवाई गई है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-4

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 6 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच/सत्यापन** कर रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध **नियमानुसार कार्यवाही** करने की कृपा करें। जो कि न्याय के हित में होगा। पत्र को सर्वोच्च्तम प्राथमिकता देवें।

सधन्यवाद।

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.,
नारायण दास तुलसानी
निदेशक

संलग्नः **Annexure 1 to 4**

GOVT. OF INDIA

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

71

Gmail

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>

URGENT LETTER/REPRESENTATION FOR TAKING ACTION AGAINST RIICO LIMITED BIKANER

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com> Tue, Oct 4, 2022 at 1:58 PM
To: ccb.cpcb@nic.in

Dear Sir

Kindly Find Enclosed attachment as the Urgent Letter/Representation for Taking action against RIICO Limited Bikaner

Thanking you
Regards
Narayan Das Tulsani
M/s Nagad Narayan Agro Foods P Ltd
Bikaner

CHAIRPERSON CPCB NEW DELHI.pdf
2280K

NOTARY [illegible] BIKANER [illegible] OF INDIA

[illegible] IVR:[illegible]
[illegible] BIKANER [illegible] COUNTER [illegible]
Counter No:2,04/10/2022,15:37
To:[illegible] CPCB PARIVESH BH
[illegible], Shahdara SO
[illegible] LTD,[illegible] IN AREA
[illegible]
[illegible] Cash,[illegible]
(Track on www.indiapost.gov.in)
([illegible]) (Wear Masks, Stay Safe)

भारतीय डाक
India Post

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)
14/10/22

ॐ

☎: 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD
E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ).
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

Office Copy

72

ANX-14

क्रमांक: 7488 **अतिआवश्यक प्रतिवेदन** दिनांक: 03.10.2022

सेवा में,

Hon'ble Dr. Prashant Gargava
Member Secretary,
Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi-110032 mscb.cpcb@nic.in

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

विषय: **रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के संदर्भ में।**
प्रसंग: **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Violation/Non-compliance के संदर्भ में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग जयपुर से **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978** दिनांक 11.04.2017 जारी की गई है। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के **Violation/Non-compliance** के संदर्भ में मुख्य तथ्य/साक्ष्य/दस्तावेज आपको प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार है:–

1. यह कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की **Compliance/Monitoring** Agency **RSPCB** Jaipur/Bikaner को अधिकृत किया गया है।
2. यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के Violation/Non-Compliance के संदर्भ में दिनांक 02.09.2020, 05.10.2020, 13.07.2021, 13.08.2021, 04.01.2022, 08.04.2022 के तहत **Show Cause Notice/अर्द्धशासकीय पत्र** रीको लि. बीकानेर/प्रबन्धक निदेशक रीको लि. जयपुर को जारी किये गये।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी **RSPCB बीकानेर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6175 दिनांक 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6598 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6781 दिनांक 30.07.2022 प्रेषित किये गये। लेकिन RSPCB बीकानेर द्वारा आज दिनांक **03.10.2022** तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है। जो कि प्राकृतिक न्याय का हनन है। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-1
4. यह कि प्रार्थी द्वारा अध्यक्ष महोदय, **RSPCB जयपुर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6173 दिनां 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6596 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6779 दिनांक 30.07.2022 को प्रेषित किये गये लेकिन अध्यक्ष महोदय RSPCB जयपुर द्वारा आज दिनांक **03.10.2022** तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-2
5. यह कि प्रार्थी द्वारा सदस्य सचिव, **RSPCB जयपुर** को रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक 6174 दिनांक 22.05.2022, पत्र क्रमांक 6597 दिनांक 03.07.2022, पत्र क्रमांक 6780 दिनांक 30.07.2022 को प्रेषित किये गये लेकिन सदस्य सचिव RSPCB जयपुर द्वारा आज दिनांक **03.10.2022** तक पत्रों का जवाब/कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-3
6. यह कि प्रार्थी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, Central Pollution Control Board, **भोपाल** को पत्र क्रमांक 7131 दिनांक **02.09.2022** को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया था। लेकिन क्षेत्रीय निदेशक महोदय Central Pollution Control Board, **भोपाल** द्वारा पत्र का जवाब/कार्यवाही की सूचना दिनांक **03.10.2022** उपलब्ध नहीं करवाई गई है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-4

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 6 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच/सत्यापन** कर रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध **नियमानुसार कार्यवाही** करने की कृपा करें। जो कि न्याय के हित में होगा। पत्र को सर्वोच्च्तम प्राथमिकता देवें।
सधन्यवाद।

प्रार्थी,
नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि.,
नारायणदास
नारायण दास तुलसानी
निदेशक

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. BIKANER

संलग्न: **Annexure 1 to 4**

PHOTO COPY
14/10/22
CENTRAL NOTARY

73

Gmail

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>

URGENT LETTER/REPRESENTATION FOR TAKING ACTION AGAINST RIICO LIMITED BIKANER

Hitesh Tulsani <nagadnarayan@gmail.com>
To: mscb.cpcb@nic.in

Tue, Oct 4, 2022 at 1:59 PM

Dear Sir

Kindly Find Enclosed attachment as the Urgent Letter/Representation for Taking action against RIICO Limited Bikaner

Thanking you
Regards
Narayan Das Tulsani
M/s Nagad Narayan Agro Foods P Ltd
Bikaner

MEMBER SECRETARY CPCB NEW DELHI.pdf
2280K

ER994524387IN IVR:6992994824386 भारतीय डाक
SP PO BIKANER RMS COUNTER <334
Counter No:2,04/10/2022,15:37 India Post
To:R PRASHANT S,CPCB PARIVESH BH
PIN:110032, Shahdara SO
From:NNAFP LTD,BICHWAL IN AREA
Wt:21gms
Amt:78.20 Cash Tax:10.80
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

NOTARY

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-15

(74)

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

Office Copy

क्रमांक : 7503 दिनांक : 09.10.2020
9.10.22

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
4, झलाना संस्थानिक क्षेत्र
झलाना डूगंरी, जयपुर (राज)

विषयः **रीको लि0 बीकानेर/जयपुर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के संदर्भ मे।**
प्रसंग : **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की Violation/Non Compliance के संदर्भ मे।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 प्राप्त की गई थी। **जिसकी Compliance/Monitoring के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/बीकानेर को अधिकृत किया गया है। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति के Violation/Non-compliance के संदर्भ में मुख्य तथ्य आपको प्रेषित किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार है।**

1. यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संबध मे प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की पिछले 66 माह से **Violation/Non Compliance** की जा रही है जिसके संदर्भ मे मुख्य तथ्य, साक्ष्य, आपको प्रस्तुत किये जा रहे है जो निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित Specific Condition	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित Specific Condition की Violation/Non-compliance के संदर्भ में
A.	यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** दिनांक **09.10.2022** तक प्राप्त नहीं की गई?	यह कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश 9219–9259, दिंनाक 21.12.2010 के बिन्दु संख्या 31 का उल्लघंन है।
B.	यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा जारी **Consent to Establish** दिनांक **17.01.2012** के बिन्दु सं. **4** में अंकित है कि परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व **Consent to Operate** प्राप्त करना आवश्यक था, लेकिन रीको लि0 बीकानेर द्वारा दिंनाक 09.10.22 तक **Consent to Operate** प्राप्त नही की गई है।	यह कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश 9219–9259, दिंनाक **21.12.2010** के बिन्दु **संख्या 31 का** उल्लघंन है।
C.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में ट्यूबवेल निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली/जयपुर से दिनांक **09.10.2022** (66 माह) तक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में निर्माणाधीन ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई चालू कर दी गई है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 का **Violation है**
D.	यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के कन्स्ट्रक्शन फेस के **बिन्दु सं. 5** में अंकित है कि– The PP shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE, As envisaged, the **P.P. shall invest at least an amount of Rs. 4277.29 lacs (before the project is put into use)** for implementing various environmental protection measures.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के बिन्दु सं. 5 में अंकित **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **09.10.2022 (5½ वर्ष तक) नहीं किया गया है** तथा उपरोक्त निवेश किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में दिसम्बर 2019 से आरंभ कर दिया गया है जो कि बिन्दु संख्या 5 का **Violation** है।

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

नारायणदास
9.10.22

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

E.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट–II Operation Phase में अंकित है कि An independent expert shall certify the installation of the Sewage Treatment Plant (STP) and a report this regard shall be submitted to the RPCB, before the project is commissioned for operation. Discharge of treated sewage shall conform to the norms & standards of the Rajasthan State Pollution Control Board.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट–II के तहत अंकित Sewage Treatment Plant **(STP)** की स्थापना किये बिना परियोजना में भूखण्ड विक्रय कर ऑपरेशन आरम्भ कर दिया जो कि पर्यावरण स्वीकृति की **Violation** है।
F	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य **09.10.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य दिनांक 09.10.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.04.17 की **Non Compliance** है
G	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/नालियों का निर्माण कार्य **09.10.2022** (66 माह) तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/नालियों का निर्माण **दिनांक** 09.10.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
H.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने के सदंर्भ में पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में **11444.32 लाख** का निवेश प्रस्तावित था।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक विस्तार (परियोजना) बीकानेर में दिनांक 09.10.2022 तक 22.32 करोड़ का निवेश किया गया हैं शेष राशि **92.11 करोड़** का निवेश दिनांक 09.10.2022 तक नही किया गया है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.17 का **Violation** है।
I.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में 145 भूखण्ड उद्यमियों का विक्रय कर 150.00 करोड़ की राशि अर्जित की गई है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर से अर्जित की गई राशि 150 करोड़ रुपये का निवेश परियोजना में दिनांक **09.10.2022** तक नहीं किया गया है जो कि एक **जांच का विषय** है।
J.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 23** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2019** तक समयावधि से सम्बन्धित Six Monthly Compliance status report of the "Project along with implementation of environmental measures SEIAA & RSPCB Jaipur/Bikaner को **दिनांक 09.10.2022** (66 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है? जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान द्वारा जारी पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. **23** की अनुपालना में **11.04.2017 से 11.04.2019** तक Six Monthly Complinace Status report of the "Project along with implementation of environmental measures SEIAA & RSPCB Bikaner को दिनांक 09.10.2022 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दि० 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 की **Non-compliance** है।
K.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Japur/Bikaner को **दिनांक 09.10.2022** (66 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है। जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/ SEIAA जयपुर राजस्थान के पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Bikaner को दिनांक 09.10.2022 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Noncompliance** है।

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

नारायणदास
9.10.22

76

2: यह कि रीको लि0 बीकानेर/ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर द्वारा दिंनाक 27.04.2016 की जन सुनवाई के दोरान करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को **Zero Liquid Discharge की पदत्ति पर स्थापित करने की घोषणा नही की गई थी** जो कि एक जाचं का विषय है।

3. यह कि रीको लि. बीकानेर/जयपुर द्वारा प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति 978 दिनांक 11.04.2017 में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि नियम एवं शर्तों की पालना अन्य **संस्था/कम्पनी/फर्म/व्यक्ति द्वारा की जायेगी।**

4: यह कि रीको लि0 बीकानेर/जयपुर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 मे अकिंत विशिष्ट नियम एंव शर्तो की **जिम्मेदारी** किसी संस्था/कम्पनी/फर्म/व्यक्ति को Sublet नहीं की जा सकती है।

5. यह है कि रीको लि. बीकानेर/जयपुर द्वारा पिछले 4 वर्षो से राज्य सरकार/पर्यावरण विभाग/प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है कि पर्यावरण स्वीकृति में अंकित नियम एवं शर्तों की पालना अन्य संस्था **एस.पी.वी.** द्वारा की जायेगी। **जो कि विधि के विरूद्ध है।**

6. यह कि RSPCB जयपुर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित नियमों एवं शर्तो की Violation/Non-compliance से सम्बन्धित दिनांक 02.09.2020, 05.10.2020, 04.01.2022 Show cause Notice रीको लि. बीकानेर को जारी किये गये।

7. यह कि RSPCB Jaipur की तत्काल अध्यक्ष महोदया वीनू गुप्ता द्वारा पर्यावरण स्वीकृति 978 की Violation/Non-compliance के संदर्भ में अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 13.07.2021, 08.04.2022 श्रीमान प्रबन्धक निदेशक, रीको लि. जयपुर को जारी किये गये हैं।

8. यह कि RSPCB जयपुर द्वारा जारी Show cause Notice/अर्द्ध शासकीय पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.20217 कर Violation/Non-compliance रीको लि. बीकानेर द्वारा की गई है।

9. यह कि आम उद्यमी/व्यक्ति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति का Violation/Non-compliance की जाती है तो RSPCB के अधिकारियों द्वारा तत्काल एक माह में कार्यवाही की जाती है। लेकिन RSPCB जयपुर में पदस्थापित उच्च अधिकारियों द्वारा रीको के विरूद्ध आज दिनांक 09.10.2022 (2 वर्ष) तक कार्यवाही नहीं करना उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली **प्रश्नचिन्हित** प्रतीत होती है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. 1 से 9 में अंकित तथ्यो साक्ष्यों की जांच/सत्यापन कर रीको लि. बीकानेर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें। जो कि **न्याय** के हित में हेगा। की गई कार्यवाही की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

सधन्यवाद।

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रार्थी

नारायणदास

नारायण दास तुलसानी पुत्र स्वं किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी, सहयोग पार्क के पास बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610 ईमेलः narayandastulsani@gmail.com

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
5. श्रीमान् सदस्य सचिव, SEIAA जयपुर।
6. श्रीमान् सदस्य सचिव, SEAC जयपुर।
7. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, बीकानेर।
8. श्रीमान् महेशदत्त पुरोहित, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर।
9. श्रीमान् प्रवीण कुमार जैन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल।
10. श्रीमान् मोहित जैन, केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण, जयपुर।
11. श्रीमान् नीरज शर्मा तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.म., सीकर
12 श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर।

प्रार्थी,
Sd/-
नारायण दास तुलसानी

PHOTO COPY ATTESTED
14/11/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(77)

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

रीको लि. बीकानेर/जयपुर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के संदर्भ में।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Sun, Oct 9, 2022 at 5:11 PM
To: chairperson@rpcb.nic.in

महोदय जी,
उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि रीको लि. बीकानेर/जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सम्बन्ध में प्राप्त की गई पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित नियम एवं शर्तो की violation/Non Compliance किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने बाबत् अतिआवश्यक प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित है।

सधन्यवाद

नारायदास तुलसानी
बीकानेर

CHAIRMAN RSPCB JAIPUR.pdf
2225K

भारतीय डाक
India Post

ER706382094IN IVR:6982706382094
SP BICHHWAL IND.AREA S.O (334006)
Counter No:1,10/10/2022,12:09
To:THE P SACHIV,M N 8129 1 KAJIL
PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
From:NARAYANDAS,A 13 KARNINAGAR
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

PHOTO ... CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

14/10/22

जो पढ़े... आगे बढ़े...

नफा नुकसान

RNI No.: 63696/96 | राज्यस्तरीय कारोबारी दैनिक | जयपुर, शनिवार, 8 अक्टूबर 2022 | www.nafanuksan.com | वर्ष 27 अंक 163 | मूल्य: ₹ 6.00 | पेज: 8

Vimalscop
SBI
100% COTTON CLOTH
SCOP
POPLIN & FULL VOILE RUBIA

पर्यावरण शर्तों की अवहेलना पर रीको को एनजीटी का नोटिस

बीकानेर/कार्यालय संवाददाता

बीकानेर के करणी इंडस्ट्रीयल एरिया एक्सटेंशन परियोजना में लम्बे समय से एक बहुत बड़े क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के वेस्ट वाटर का तालाब बन चुका है। अब यह तालाब क्षेत्र की इकाइयों के लिए नासूर बन चुका है। इस संबंध में यहां के औद्योगिक संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रमुख उद्योगपति नारायण दास तुलसानी इस संबंध में लम्बी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्षेत्र में पिछले 14 सालों से दूषित वेस्ट वाटर का निस्तारण नहीं करने और एनवायरमेंट क्लीयरेंस की शर्तों की अवहेलना करने पर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून नई दिल्ली ने रीको को नोटिस भेजा है। इस संबंध में कारोबारी नारायण दास तुलसानी की एनजीटी की प्रिंसिपल ब्रांच के समक्ष शिकायत पंजीकृत की गई थी।

इस मामले की 11 जुलाई 2022 को एनजीटी के जस्टिस अरूण कुमार त्यागी व विशेषज्ञ न्यायिक सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने सुनवाई की। उन्होंने इसे लेकर संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

दरअसल पर्यावरण विभाग द्वारा करणी इंडस्ट्रीयल एरिया एक्सटेंशन परियोजना को स्थापित करने के लिए 11 अप्रेल 2017 को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी। रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में अंकित शर्तों की अवहेलना के संदर्भ में नारायण दास तुलसानी द्वारा पिछले तीन वर्षों से राज्य सरकार, रीको जयपुर व नोडल अधिकारी बीकानेर, राज्य प्रदूषण मंडल पर्यावरण विभाग को पत्र भेजे गए। जिस पर प्रदूषण मंडल द्वारा 25 जून 2020 को करणी इंडस्ट्रीयल एरिया एक्सटेंशन के सामने जमा उच्छिष्ठ जल तथा पर्यावरण स्वीकृति में अंकित शर्तों का निरीक्षण किया गया।

बीकानेर के करणी इंडस्ट्रीयल एरिया एक्सटेंशन में जमा वेस्ट वाटर जिसके संबंध में एनजीटी ने रीको को नोटिस जारी किया है।

निरीक्षण की रिपोर्ट के बाद प्रदूषण मंडल की तत्कालीन चैयरमेन वीनू गुप्ता द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र 13 जुलाई 2021 व 8 अप्रेल 2022 को रीको के प्रबंध निदेशक को जारी किया गया। फिर प्रदूषण मंडल, पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण प्रार्थी को 30 मार्च 2022 के पत्र के तहत एनजीटी नई दिल्ली को अपनी परिवेदना प्रस्तुत करनी पड़ी जिसकी जांच कर एनजीटी की मुख्य शाखा ने संज्ञान लेते हुए 11 जुलाई 2022 को आदेश जारी किया, जिसमें आगामी 18 अक्टूबर 2022 को सुनवाई होनी है।

ड्रोन सर्वे से सामने आई हकीकत : करणी इंडस्ट्रीयल एरिया एक्सटेंशन परियोजना में स्थित गंदे पानी के तालाब का ड्रोन के जरिए हवाई सर्वे किया गया। यह हवाई सर्वे जयपुर की कम्पनी गरूड सर्वे प्राइवेट लिमिटेड ने ड्रोन द्वारा कंप्यूटर सिमुलेशन से किया। सर्वे के विश्लेषण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख 22 हजार 907.76 वर्ग मीटर एरिया में वेस्ट वाटर फैला हुआ है। साथ ही इस वेस्ट वाटर से बना तालाब रोड लेवल से करीब 2 फीट ऊपर मापा गया है।

यही वजह है कि तालाब का पानी सड़क पर फैल गया और जिसे रोकने के लिए पिछले दिनों रीको ने जेसीबी के जरिए तालाब की खुदाई कर कीचड़ मिट्टी निकाली और फिर इस मिट्टी से सड़क के किनारे बाउंड्री वॉल बना दी ताकि पानी बाहर न फैले। इससे हालात यह हो गए हैं कि मिट्टी सूख गई है और भारी वाहनों की आवाजाही से उड़ कर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का कारण बन रही है। इसके अलावा इस गंदे पानी का किनारा तुलसानी की यूनिट्स से महज 142.53 मीटर की दूरी पर ही है।

वहीं तालाब के मध्य से महज 478.44 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस गंदे पानी के तालाब की जद में क्षेत्र की 875.32 मीटर लम्बी रोड आ रही है। जाहिर है इतने बड़े एरिया में रसायन युक्त वेस्ट वाटर के फैले होने से क्षेत्र का पर्यावरण लम्बे समय से दूषित हो रहा है। ऐसे में संबंधित एजेंसी को इस रिपोर्ट को आधार बनाकर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र की 551 यूनिट्स को राहत मिल सके।

दैनिक भास्कर गुरुवार, 06 अक्टूबर, 2022

एनजीटी का रीको को नोटिस • रीको पर पर्यावरण शर्तों की अनदेखी करने का आरोप, अब 18 को होगी सुनवाई

करणी औद्योगिक क्षेत्र के 1.50 लाख वर्ग मीटर में फैला 551 इकाइयों का 1500 मिलियन लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट, 14 साल बाद भी निस्तारण नहीं

सिटी रिपोर्टर | बीकानेर

पिछले पांच साल से पर्यावरण मंजूरी के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) नई दिल्ली ने रीको को नोटिस थमाया है। इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। एनजीटी की मुख्य ब्रांच के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बीकानेर के करणी नगर निवासी नारायण दास तुलसानी की शिकायत पंजीकृत की गई थी।

करणी औद्योगिक क्षेत्र में फैले इंडस्ट्रीयल वेस्ट पानी पर एनजीटी के नोटिस के बाद रीको अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। बीकानेर में यह पहला मामला है, जब परिवादी ने एनजीटी के समक्ष अधिकारियों को पर्यावरण मंजूरी की अनदेखी करने पर पार्टी बनाया है। इससे पूर्व ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी व विशेषज्ञ न्यायिक सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने 11 जुलाई 2022 को सुनवाई की थी। एनजीटी ने परिवादी तुलसानी की परिवेदना सुनने तथा तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि कर यह एक्शन लिया है।

551 औद्योगिक इकाइयां मौजूद

2 हजार करोड़ का सालाना टर्न ओवर इकाइयों में

12 हजार लोगों को इकाइयों से रोजगार

5 लाख लीटर पानी निकलता है औद्योगिक इकाइयों से

1.50 लाख वर्ग मी. में गंदा पानी

पर्यावरण स्वीकृति लिए बिना ही आवंटित कर दिए भूखंड

असल में करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। रीको ने पर्यावरण विभाग की पर्यावरण मंजूरी के बिना ही सात भूखंड आवंटित कर दिए। इन भूखंडों का एरिया करीब 2 लाख 20 हजार वर्ग मीटर था। जब भूखंड धारियों को फैक्ट्री निर्माण और बैंकिंग कार्यों के लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत पड़ी तो उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। रीको ने 2017 में पर्यावरण मंजूरी तो ली, लेकिन उसने शर्तों और नियमों को पूरा नहीं किया। नियमों के तहत रीको को करीब 42 करोड़, 77 लाख रुपए की मूलभूत सुविधाएं आवंटियों को देनी थी, लेकिन रीको ने इसमें कोई निवेश नहीं किया। हैरानी की बात यह है कि इस 42 करोड़ की राशि में सीईटीपी स्थापित करने के लिए 26 करोड़ रुपए, एसटीपी के लिए 1.75 करोड़ रुपए, कचरा निपटान के लिए 3 करोड़, लैंडफिल साइट के विकास के लिए 3 करोड़ और आंतरिक बहिःस्राव परिवहन प्रणाली के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च करने थे। रीको द्वारा आवंटियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के कारण पिछले 14 सालों से करणी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्ट जमा हो रहा है और अब 1.50 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में 1500 मिलियन लीटर जमा हो चुका है। जिससे पर्यावरण प्रदूषण और पानी दूषित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण और इसी शर्तों का पालन न करने की शिकायत राजस्थान पीसीबी से भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

परिवादी ने इनको बनाया पार्टी

परिवादी नारायण दास तुलसानी ने रीको की अनदेखी पर रीको चेयरमैन, पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन, उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी तथा उसके मेंबर को पार्टी बनाया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में दैनिक भास्कर ने समय-समय पर खबरें प्रकाशित कर रीको की अनदेखी के कारण निवेशकों को होने वाली समस्या को प्रमुखता से उठाया था।

दैनिक युगपक्ष ■ बीकानेर
सोमवार 10 अक्टूबर 2022

करणी इंडस्ट्रियल एरिया पर एनजीटी नोटिस पर सुनवाई

■ डेढ़ लाख वर्ग मीटर में फैला भीषण प्रदूषित जल ■ औद्योगिक इकाइयां बर्बाद होने के कगार पर जनजीवन को भी खतरा

बीकानेर। करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर के संबंध में पर्यावरण स्वीकृति के गंभीर उल्लंघन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) नई दिल्ली की ओर से रीको लि. बीकानेर को नोटिस जारी किया गया है जिसमें रीको के अध्यक्ष को भी पार्टी बनाया गया है। इस नोटिस पर सुनवाई 18 अक्टू. को नई दिल्ली में होगी।

रीको लि. की ओर से बीकानेर में करणी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। करणी इंडस्ट्रियल एरिया पर रीको लि. बीकानेर ने विस्तार क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति जारी होने से पूर्व 7 भूखंड आवंटन कर दिये जो कि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा 19 अगस्त 2010 को जारी आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

रीको लि. बीकानेर ने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 21-5-2014 को आवेदन पत्र पर्यावरण विभाग जयपुर में प्रस्तुत किया था जिस पर पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण स्वीकृति पत्र संख्या 978 दिनांक 11-4-2017 को जारी की लेकिन स्वीकृति में जिन विशिष्ट नियमों व शर्तों की पालना की बात कही थी रीको लि. बीकानेर पिछले 5 वर्षों से उन नियमों का उल्लंघन कर रहा था। जिसके बारे में करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में खाद्य पदार्थ निर्माण के उद्यमी श्री नारायण दास तुलसानी बीकानेर द्वारा राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सचिव को लगातार पत्र प्रेषित किये, जिसके आधार पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर ने 20-9-2020, 5-10-2020, 4-1-2022 को रीको लि. को कारण बताओ नोटिस जारी किये तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चैयरमेन वीनू गुप्ता द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र 13-7-2021, 8-4-2022 को प्रबंध निदेशक रीको लि. जयपुर को भेजे गये लेकिन प्रदूषण नियंत्रण मंडल और संबंधित विभागों द्वारा तमाम नोटिसों की रीको लि. बीकानेर ने अनदेखी की ओर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई कदम नहीं उठाए जिसके कारण नारायण दास तुलसानी ने 30 मार्च 2022 को अपनी व्यथा और रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के नियमों के उल्लंघन के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष रखी जिस पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 11-07-2022 को सुनवाई की। सुनवाई करने वाले ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरूण कुमार त्यागी व न्यायिक विशेषज्ञ डॉ. अफरोज अहमद के एनजीटी ने आगे कार्यवाही करने के लिए परिवेदना को चर्चात्मक स्थिति की पुष्टि की ओर पर्यावरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए रीको के चैयरमेन जयपुर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चैयरमेन जयपुर, मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग राजस्थान और जिला कलेक्टर बीकानेर को प्रतिवादी बनाकर आगे सुनवाई के लिए 18 अक्टू. की तारीख निर्धारित की है।

रीको ने निभाई साहूकार की भूमिका!

प्रदूषण नियंत्रण को कोई कदम नहीं उठाया

बीकानेर। करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के संबंध में रीको लि. ने सरकारी एजेंसी के बजाय ऐसे साहूकार की भूमिका ज्यादा निभाई जिसे अपने लाभ की ही चिंता रहती है। रीको लि. की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि राज्य में उद्योगों का विकास हो, पर्यावरण सुरक्षा और औद्योगिक कचरा एकत्र ना हो लेकिन वास्तविकता में रीको लि. केवल मुनाफा कमाने तक सीमित है। 2011 में करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना की स्थापना हुई थी। रीको लि. ने करीब 2.20 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना पर्यावरण स्वीकृति के भूखंडों का आवंटन शुरु कर दिया। रीको को 42 करोड़ 77 लाख रुपए का निवेश कर मूलभूत सुविधाएं आवंटियों को देनी थी जिसमें 26 करोड़ रुपए की राशि सीईटीपी प्लांट की स्थापना पर खर्च होने से एसटीपी के लिए 1.75 करोड़ रुपए कचरा निपटान के लिए 3 करोड़ रुपए और लैंड फिलसाइट के लिए 3 करोड़ और आंतरिक बहिःस्त्राव परिवहन प्रणाली पर 8 करोड़ रुपए खर्च करने थे लेकिन रीको ने इसकी पूरी अनदेखी की जिसका नतीजा वह हुआ की अब पूरे क्षेत्र में 1.22 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में प्रदूषित जल बढ़ा हुआ है जिसमें ठोस अपशिष्ट लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके कारण भयंकर दुर्गंध और जल स्त्रोतों के प्रदूषित होने से यह औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण का पर्याय बन गया है। गंदे पानी का किनारा परिवादी तुलसानी के भूखंड से मात्र 142.53 मीटर दूरी पर है। इस क्षेत्र में सड़क भी आ रही है। रासायनिक खतरनाक कचरा भी लगातार गंदे पानी के तालाब में आ रहा है।

■ श्री नारायण तुलसानी
उद्यमी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल करे सख्त कार्यवाही

बिना वैध स्वीकृति 8 वर्ष से चल रहा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार

आज तक संस्थापना स्वीकृति (कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट) नहीं पर 145 औद्योगिक इकाईयों को भूखण्ड आवंटित

बीकानेर। बीकानेर में रीको लि. द्वारा संस्थापित करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) के संबंध में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने संस्थापना की स्वीकृति (कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट) ही जारी नहीं किया परंतु पिछले 8 साल से यह औद्योगिक क्षेत्र संचालित हो रहा है जिसमें 145 औद्योगिक इकाईयों को भूखंड आवंटित हो चुके है। अधिकतर में कार्य हो रहा है।

इस बारे में इसी क्षेत्र के उद्यमी नारायण दास तुलसानी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर के अध्यक्ष को प्रतिवेदन भेजकर नियमानुसार कार्यवाही कर रीको लि. से पर्यावरण संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करवाने का आग्रह किया तथा कठोर कार्यवाही करने का निवेदन किया। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि 30-11-2014 से यह औद्योगिक क्षेत्र में अस्तित्व में है परंतु आज दिनांक तक संस्थापना की स्वीकृति ही जारी नहीं हुई जो कि मंडल के आदेश का गंभीर उल्लंघन है। आश्चर्य है कि बिना स्वीकृति के औद्योगिक क्षेत्र कैसे चल रहा है। रीको लि. ने ट्यूबवैल निर्माण के संबंध में भी केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली से भी अनुमति प्राप्त नहीं की है जबकि क्षेत्र में निर्माणाधीन ट्यूबवैल से पानी की सप्लाई चालू कर दी गई है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए रीको ने जो आवेदन किया था उस समय रीको के प्रबंधन में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्षेत्र में 42 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा था जिसमें एसटीपी प्लांट की स्थापना सीईटीपी प्लांट की स्थापना सहित अन्य कार्य होने थे, जिनकी पालना आज तक नहीं हुई। रीको ने 33 प्रतिशत ग्रीन एरिया निर्माण व विकास कार्य भी आज तक नहीं किया। बरसाती पानी की निकासी के लिए भी इस क्षेत्र में नाले नालियों का निर्माण 66 माह तक नहीं किया गया है। रीको ने पूरे क्षेत्र के विकास और निर्माण के संबंध में 11444.32 लाख के निवेश का प्रस्ताव किया था मगर आज तक 114 करोड़ में से 22.36 करोड़ का ही निवेश हुआ है। शेष 92.11 करोड़ रुपए का निवेश होना बाकी है।

जबकि रीको स्वयं 145 भूखंडो का विक्रय कर लगभग 150 करोड़ रुपए अर्जित कर चुका है, जो कि जांच का विषय है। इस बारे में रीको लि. मासिक रिपोर्ट जयपुर को भेजता है लेकिन 11 अप्रेल 2017 से 11 अप्रेल 2019 तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। रिपोर्ट ना मिलने से रीको द्वारा क्या कदम उठाये गये वह स्पष्ट नहीं होता। उद्यमी तुलसानी का कहना है कि रीको लि. द्वारा पिछले 4 वर्षो से राज्य सरकार पर्यावरण विभाग और प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि औद्योगिक इकाइयों के ठोस कचरे और प्रवाहित किये जा रहे जल और वर्षा के पानी से बहुत बड़ा प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। अनेक इकाइयां दुर्गंध और जल प्रदूषण से कार्य करने में असमर्थ हो रही है। प्रतिवेदन में नारायण दास तुलसानी ने मंडल से आग्रह किया कि रीको लि. को नोटिस जारी कर सख्त कार्यवाही की जाये।

18